VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

MAINS 365

सुरक्षा

Classroom Study Material 2021

(September 2020 to September 2021)

www.visionias.in
+91 8468022022 DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI

फाउंडेशन कोर्स
सामान्य अध्ययन

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2022 & 2023

इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम

- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
- मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
- एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
- अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
- योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
- नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन

- सीसैट कक्षाएं
- PT 365 कक्षाएं
- MAINS 365 कक्षाएं
- PT टेस्ट सीरीज
- मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
- निबंध टेस्ट सीरीज
- सीसैट टेस्ट सीरीज
- निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
- करेंट अफेयर्स मैगजीन

लाइव / ऑनलाइन कक्षाएं भी उपलब्ध

Scan the QR CODE to download VISION IAS app

DELHI: 28 सितंबर 1 PM

DELHI: 2023 फाउंडेशन कोर्स : 15 DECEMBER | **LUCKNOW : 12 April**

ABHYAAS
MAINS 2021
ALL INDIA GS MAINS MOCK TEST (OFFLINE)*

GS-I & GS-II	GS-III & GS-IV
18 DECEMBER	19 DECEMBER

- All India Percentile
- Comprehensive Evaluation, Feedback & Corrective Measures
- Available In ENGLISH / हिन्दी

Register @ www.visionias.in/abhyaas

25 CITIES

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | BHUBANESWAR | CHANDIGARH | CHENNAI | DEHRADUN | DELHI | GHAZIABAD | GREATER NOIDA | GUWAHATI | HYDERABAD | INDORE | JAIPUR | JODHPUR | KANPUR | KOLKATA | LUCKNOW | MUMBAI | PATNA | PRAYAGRAJ | PUNE | RAIPUR | RANCHI | THIRUVANANTHAPURAM

सुरक्षा
(Security)

विषय सूची

1. रक्षा (Defence) 4

1.1. रक्षा उद्योग का स्वदेशीकरण (Indigenisation of Defence Industry) 4

1.1.1. रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया, 2020 {Defence Acquisition Procedure (DAP), 2020} 5

1.1.2. रक्षा खरीद से संबंधित सुधार (Defence Procurement Reforms) 6

1.2. रक्षा क्षेत्र का आधुनिकीकरण (Defense Modernization) 9

1.3. एकीकृत थिएटर कमान (Integrated Theatre Commands) 11

2. सीमा सुरक्षा और प्रबंधन (Border Security and Management) 14

2.1. सीमा प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका (Role of Technology in Border Management) 15

2.2. समुद्री सुरक्षा (Maritime Security) 17

2.2.1. हिंद महासागर क्षेत्र में पायरेसी या समुद्री डकैती (Piracy in the Indian Ocean Region) 21

3. आतंकवाद (Terrorism) 26

3.1. विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम {Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA)} 27

3.2. वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (Financial Action Task Force: FATF) 29

3.3. जैव-आतंकवाद (Bio-Terrorism) 30

3.4. नक्सल हिंसा (Naxal Violence) 33

3.5. ओवर-ग्राउंड वर्कर (Overground Workers: OGWs) 37

4. पुलिस सुधार (Police Reforms) 41

5. साइबर सुरक्षा (Cyber Security) 42

5.1. महत्वपूर्ण अवसंरचना (Critical Infrastructure) 43

5.1.1. दूरसंचार क्षेत्रक पर राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश (National Security Directive on the Telecom Sector) 45

5.1.2. साइबर-परमाणु सुरक्षा ढांचा (Cyber-Nuclear Security Architecture) 47

5.2. साइबर निगरानी (Cyber Surveillance) 48

5.2.1. फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी (Facial Recognition Technology) 51

6. पूर्वोत्तर में उग्रवाद या विद्रोह (Insurgency in the North East) 54

6.1. बोडो शांति समझौता (Bodo Peace Accord) 56

VISION IAS

7. विविध (Miscellaneous)..... 59

7.1. आसूचना सुधार (Intelligence Reforms) 59

7.2. इंटरनेट शटडाउन (Internet Shutdowns)..... 61

7.3. भारत में ड्रोन विनियम (Drone Regulations in India) 62

विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न	मुख्य परीक्षा के सिलेबस के अनुसार अलग कर वर्ष 2013-2020 तक पूछे गए प्रश्नों (सुरक्षा खंड के लिए) की एक रेफरेंस शीट प्रदान की गई है। इस डॉक्यूमेंट के साथ, यह परीक्षा की मांग को समझने और बेहतर उत्तर लिखने के लिए विचारशीलता (थॉट प्रॉसेस) को विकसित करने में मदद करेगा।	

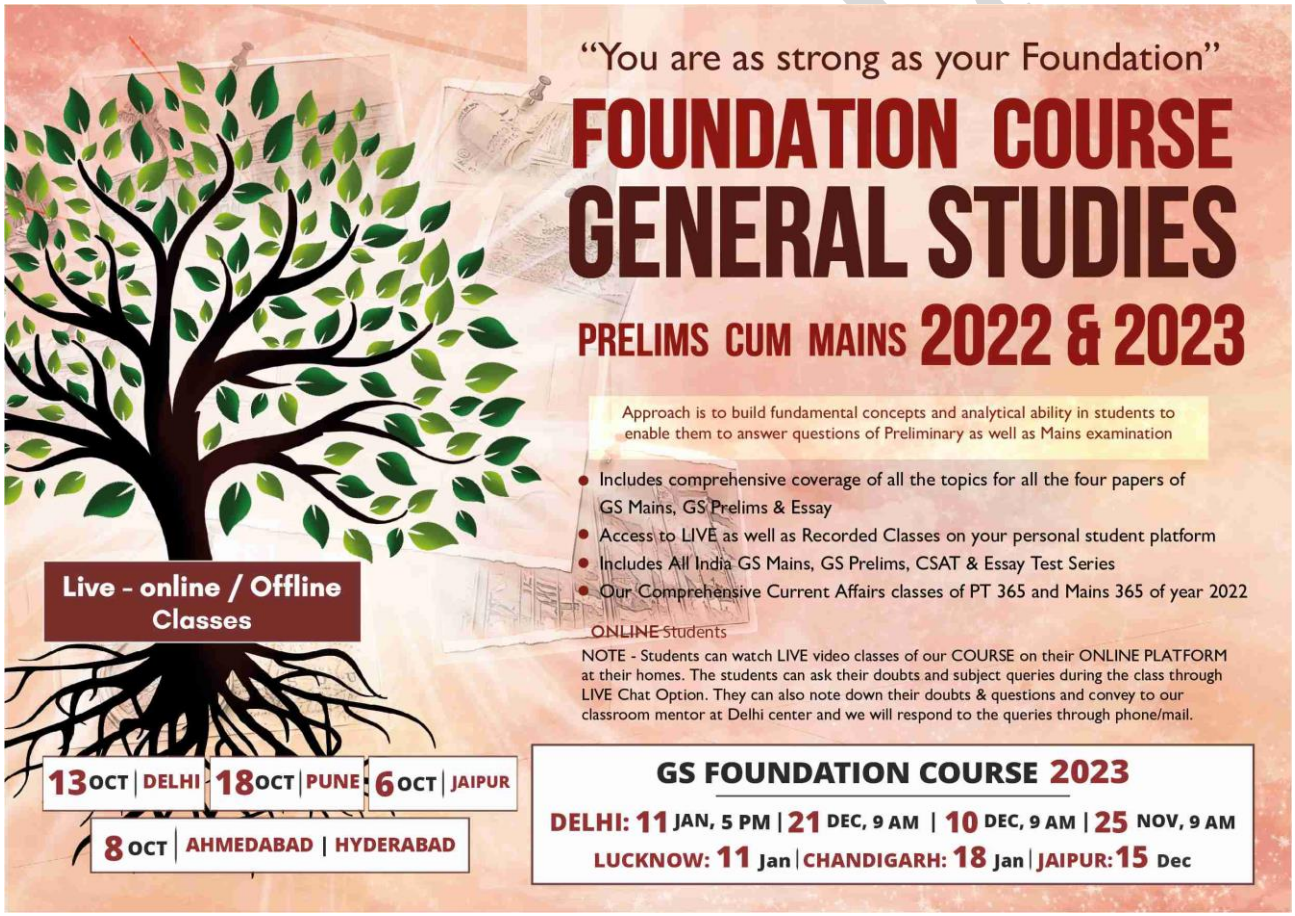

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

छात्रों के लिए संदेश

प्रिय छात्रों,

प्रति वर्ष मेंस–365 डॉक्युमेंट्स के साथ, हमारा उद्देश्य परीक्षा की मांग और छात्रों की संबंधित जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एकीकृत कंटेंट प्रदान करना है। यह परीक्षा के बदलते पैटर्न के साथ तैयारी की गति को बनाए रखने में सहायक है।

पिछले 3–4 वर्षों के दौरान, मुख्य परीक्षा में प्रश्नों की प्रकृति में काफी बदलाव आया है। प्रश्न प्रकृति में अधिक वैचारिक और अधिक समग्र होते जा रहे हैं। इनमें अब स्टेटिक और करेंट दोनों का संयोजन देखने को मिला है। उदाहरण के लिए– मुख्य परीक्षा, 2020 में सीमावर्ती क्षेत्र प्रबंधन और स्थानीय समर्थन पर पूछा गया प्रश्न।

इस संदर्भ में हमने इस डॉक्यूमेंट में कुछ नई विशेषताएं शामिल की हैं:

- **टॉपिक – एक नज़र में:** मेंस–365 सुरक्षा के इस डॉक्युमेंट में **"टॉपिक – एक नज़र में"** खंड को जोड़ा गया है। छात्रों के लिए टॉपिक – एक नज़र में:

- **इन्फोग्राफिक्स:** इन्फोग्राफिक्स को इस डॉक्यूमेंट में इस तरह से शामिल किया गया है कि उन्हें फ़्लोचार्ट, पाई चार्ट, मैप्स आदि के माध्यम से परीक्षा में आसानी से याद करके लिखा/दर्शाया जा सकता है, जिससे उत्तर में कंटेंट की प्रस्तुति में सुधार होता है।
- **विगत वर्षों के प्रश्न:** छात्रों के संदर्भ के लिए सिलेबस के अनुसार अलग कर पिछले वर्ष के प्रश्नों के लिए एक QR कोड प्रदान किया गया है। ये बेहतर उत्तर लिखने के लिए आवश्यक विचारशीलता (थॉट प्रॉसेस) को विकसित करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेंगे।

यह डॉक्यूमेंट न केवल सुरक्षा से जुड़े करेंट अफेयर्स के लिए एक ही स्थान पर समाधान प्रदान करता है बल्कि यह प्रभावी और अच्छी तरह से उत्तर लिखने के लिए आवश्यक एक सुसंगत थॉट प्रॉसेस विकसित करने का भी प्रयास करता है। इसलिए, आपसे अनुरोध है कि इस डॉक्यूमेंट में शामिल आर्टिकल्स को न केवल कंटेंट के लिए बल्कि उत्तर लेखन की बेहतर शैली को समझने और उसे अपनाने के लिए भी पढ़ें।

हम आशा करते हैं कि इसमें ऑर्गनाईज्ड तरीके से शामिल कंटेंट सिविल सेसेवा मुख्य परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने में आपकी सहायता करेगा।

"ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, हमें उसका इस्तेमाल आना चाहिए। इच्छा रखना पर्याप्त नहीं है, हमें वास्तविक प्रयास करना चाहिए।"

- जोहान वोल्फगैंग वॉन गोएथे

शुभकामनाएं!
टीम VisionIAS

1. रक्षा (Defence)

1.1. रक्षा उद्योग का स्वदेशीकरण (Indigenisation of Defence Industry)

सुर्ख़ियों में क्यों?

घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने हेतु किए गए श्रृंखलाबद्ध उपायों के बाद, भारत को पहली बार **स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI)** के **हथियार निर्यातकों की सूची में शामिल** किया गया है।

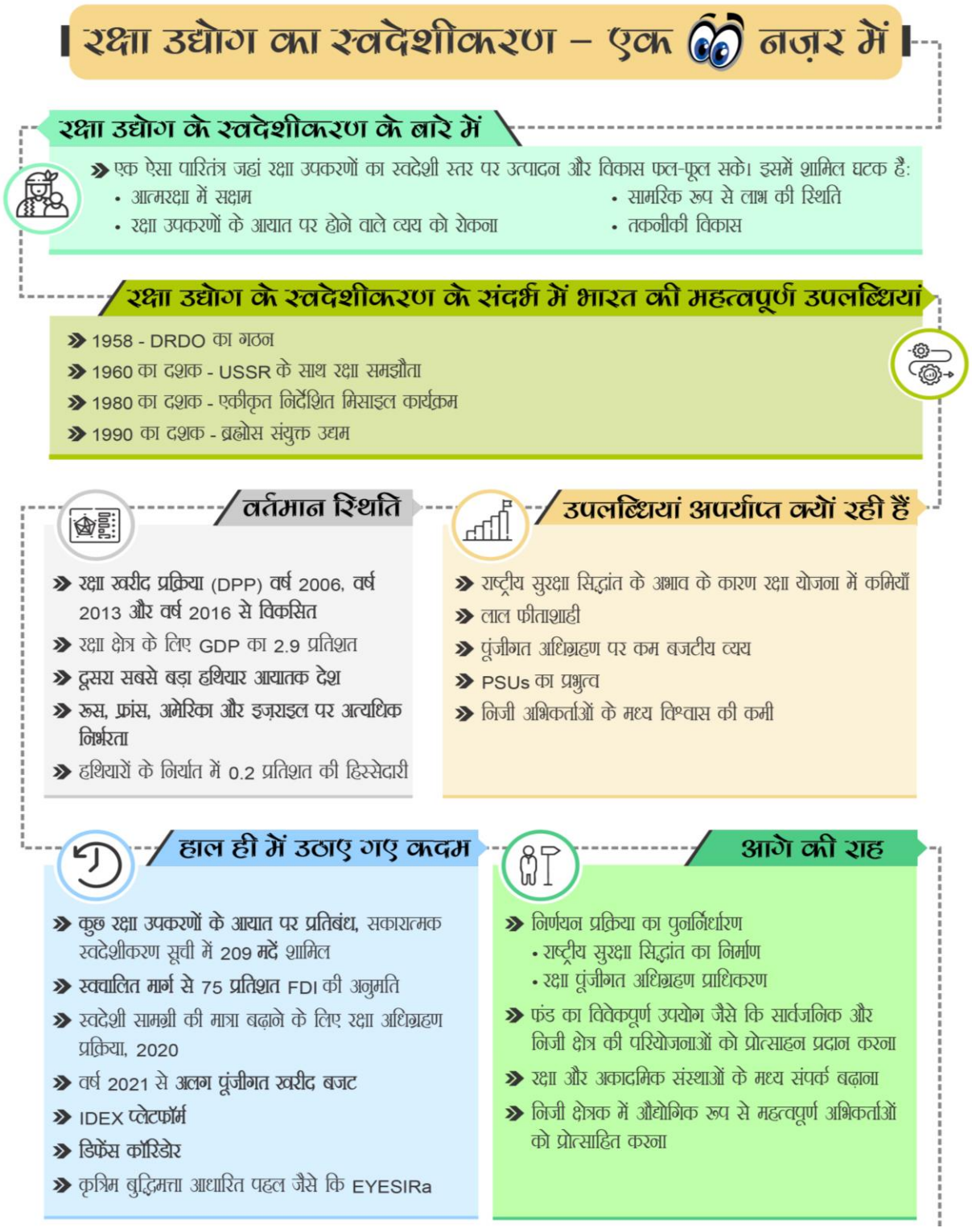

1.1.1. रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया, 2020 {Defence Acquisition Procedure (DAP), 2020}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, रक्षा मंत्रालय द्वारा **रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP), 2020** का अनावरण किया गया। इसे पहले 'रक्षा खरीद प्रक्रिया'[1] के नाम से जाना जाता था। रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया, 2020 ने **DPP, 2016** का स्थान लिया है।

रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया, 2020 की प्रमुख विशेषताएं

- **आयातित पुर्जों के स्वदेशीकरण को बढ़ावा:**
  - चुनिंदा उपकरणों या पूर्जों के आयात पर प्रतिबंध के लिए हथियारों/ प्लेटफॉर्म्स की एक सूची जारी की गई है, ताकि घरेलू और स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके।
  - **"बाय (ग्लोबल-भारत में विनिर्माण)" {Buy (Global-Manufacture in India)} नामक एक नई श्रेणी:** इसे नई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति के अनुरूप बनाया गया है। इसे घरेलू उद्योग के लिए आवश्यक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए विदेशी मूल उपकरण विनिर्माताओं (OEMs)[2] को भारत में अपनी सहायक कंपनी के माध्यम से "विनिर्माण या रखरखाव करने वाली कंपनियों" की स्थापना के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु आरंभ किया गया है।
    - हाल ही में, रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के माध्यम से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को **49% से बढ़ाकर 74% किया गया था।**
  - **सूचना के लिए अनुरोध (Request For Information: RFI):** इसके चलते, विदेशी विक्रेता कलपुर्जों / लघु उपकरणों के विनिर्माण के संबंध में जानकारी जुटा पाएंगे और स्थानीय विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा पाने में सक्षम हो पाएंगे।
  - **भारतीय विक्रेताओं (वेंडर्स) के लिए कुछ श्रेणियों में आरक्षण:** बाय (इंडियन-IDDM), मेक-I (70% तक सरकार द्वारा वित्त पोषित), मेक-II (उद्योग द्वारा वित्त पोषित), डिज़ाइन एवं विकास हेतु उत्पादन एजेंसी, रणनीतिक साझेदारी मॉडल आदि जैसी श्रेणियाँ केवल भारतीय विक्रेताओं (वेंडर्स) के लिए आरक्षित रहेंगी, जिनके लिए 49% से अधिक FDI की अनुमति नहीं है।
  - **अन्य प्रस्तावित उपाय:** इनमें पूंजी अधिग्रहण अनुबंध के अंतर्गत विक्रय पश्चात् समर्थन, अधिग्रहण में अधिकतम स्वदेशी सामग्री तथा स्थानीय सामग्री एवं सॉफ्टवेयर के लिए प्रोत्साहन तथा ऑफ़सेट के तहत उत्पाद निर्यात पर बल देना शामिल है।

स्वदेशी सामग्री को बढ़ावा देने हेतु समग्र प्रावधान

क्रम संख्या	श्रेणी	DPP-2016 में स्वदेशी सामग्री का प्रतिशत	DAP-2020 में स्वदेशी सामग्री का प्रतिशत
1.	खरीद (भारतीय– IDDM) {Buy (Indian-IDDM)} ● IDMM अर्थात् स्वदेशी रूप से अभिकल्पित, विकसित और विनिर्मित (Indigenously Designed, Developed and Manufactured)	न्यूनतम 40%	न्यूनतम 50%
2.	खरीद (भारतीय) {Buy (Indian)}	न्यूनतम 40%	स्वदेशी डिज़ाइन – न्यूनतम 50% अन्य–न्यूनतम 60%
3.	खरीद और निर्माण (भारतीय) {Buy - Make (Indian)}	निर्माण (मेक) का न्यूनतम 50%	निर्माण का न्यूनतम 50%
4.	खरीद (वैश्विक – भारत में विनिर्माण) {Buy Global & Manufacture in India)}	——	खरीद + निर्माण का न्यूनतम 50%
5.	खरीद (वैश्विक) {Buy Global)}	——	भारतीय विक्रेताओं के लिए न्यूनतम 30%

- **समयबद्ध रक्षा खरीद प्रक्रिया के लिए, त्वरित निर्णयन और व्यवसाय करने की सुगमता:**
  - **ऑफसेट नीति में संशोधन:** सशस्त्र बलों के लिए हथियारों और सैन्य प्लेटफॉर्मों की खरीद हेतु किए जाने वाले अंतर-सरकारी समझौतों (IGAs)[3], गवर्नमेंट-टू गवर्नमेंट समझौतों (सरकारों के परस्पर रक्षा सौदे) और एकल-विक्रेता अनुबंध[4] के संदर्भ में मौजूदा **ऑफसेट खंड का लोप** कर 15 वर्ष पुरानी नीति को परिवर्तित किया गया है।

[1] Defence Procurement Procedure: DPP

[2] Original Equipment Manufacturers

[3] Inter-Government Agreement

DELHI | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | JAIPUR | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI 8468022022

- इसके अतिरिक्त, ऑफसेट दिशा-निर्देशों को भी संशोधित किया गया है। इसमें प्रावधान किया गया है कि हथियारों और सैन्य प्लेटफॉर्मों के **घटकों (पार्ट्स) की बजाय पूर्ण विनिर्मित रक्षा उत्पादों (अर्थात् पूर्णत: तैयार रक्षा उपकरण) को प्राथमिकता दी जाएगी।**

- **परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना:** यह इकाई अधिग्रहण प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने और अनुबंध को सुगम बनाने के लिए निर्दिष्ट क्षेत्रों में परामर्श आधारित समर्थन प्रदान करने की सुविधा प्रदान करेगी।
- **परीक्षण प्रक्रियाओं का सरलीकरण (Simplification of Trial Procedures)।**
- इस नीति में अधिग्रहण प्रस्तावों के अनुमोदन में विलंब से बचने के लिए 500 करोड़ तक के सभी मामलों में **आवश्यकता की स्वीकृति (AoN)**[5] के एकल चरण समझौते का भी प्रावधान किया गया है।

- **लीजिंग (पट्टे पर देना):** लीजिंग को आरंभ में ही बहुत अधिक मात्रा में होने वाले पूंजीगत व्यय के प्रतिस्थापन हेतु आवधिक किराये के भुगतान के साथ मौजूदा 'बाय' और 'मेक' श्रेणियों के अतिरिक्त अधिग्रहण की एक नई श्रेणी के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
  - यह उन सैन्य उपकरणों के लिए उपयोगी होगा, जो वास्तविक युद्ध में उपयोग नहीं किए जाते हैं, यथा- परिवहन बेड़े, प्रशिक्षक, सिम्यूलेटर आदि जैसे उपकरण।
- **रणनीतिक साझेदारी मॉडल (Strategic Partnership Model: SPM):** रणनीतिक साझेदारी मॉडल के अंतर्गत अधिग्रहण, रक्षा क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' पहल में विदेशी OEM के साथ-साथ निजी क्षेत्र की भारतीय कंपनियों की भागीदारी को संदर्भित करता है। ये एक व्यापक पारिस्थितिक तंत्र के विकास का निर्माण करके, तंत्र को एकीकृत करने की भूमिका निभाते हैं, जिसमें विशेष रूप से MSME क्षेत्र से विकास भागीदार, विशेष विक्रेता व आपूर्तिकर्ता शामिल हैं।
  - रणनीतिक साझेदारी निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से मौजूदा उत्पादन स्तर की तुलना में स्वदेशी रक्षा विनिर्माण क्षमताओं को और अधिक बढ़ाने का प्रयास करेगी।

इस नीति का महत्व

- **भारत को वैश्विक रक्षा विनिर्माण हब (केंद्र) के रूप में स्थापित करने के लिए** DAP को सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' दृष्टिकोण के साथ संरेखित किया गया है।
- **आयात पर निर्भरता कम होगी:** भारत पारंपरिक रक्षा उपकरणों के सबसे बड़े आयातकों में से एक है, जो अपने **कुल रक्षा बजट का लगभग 30%** पूंजीगत (कैपिटल) अधिग्रहण पर खर्च करता है। वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को पूंजीगत बजट के तहत शामिल किया जाता है।
- **समग्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा प्राप्त होगा:** रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक 1.75 लाख करोड़ रूपये के टर्न ओवर को प्राप्त करना है।
- यह सशस्त्र बलों द्वारा मांग किए जाने वाले आवश्यक सैन्य उपकरणों, प्रणालियों एवं प्लेटफॉर्म्स का समय पर अधिग्रहण सुनिश्चित करेगी।
- **सशस्त्र बलों की क्षमताओं में सुधार होगा:** DAP, 2020 सशस्त्र बलों की भविष्य की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए स्वदेशीकरण को प्रोत्साहन प्रदान करेगी और नई प्रौद्योगिकियों के समावेशन को सुविधाजनक बनाएगी।
- **निजी क्षेत्र की भूमिका परिभाषित करेगी:** विनिर्माण के माध्यम से औद्योगिक विकास की गति बढ़ाने और पूंजीगत एवं प्रौद्योगिकीय उन्नति के लिए "मेक इन इंडिया" पहल में निजी निवेश का प्रमुख योगदान होगा।

1.1.2. रक्षा खरीद से संबंधित सुधार (Defence Procurement Reforms)

सुर्ख़ियों में क्यों?

रक्षा मंत्रालय ने **"रक्षा सेवाओं को वित्तीय शक्तियां सौंपना, 2021" (DFPDS)**[6] आदेश को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके तहत सशस्त्र बलों की राजस्व खरीदारी शक्तियों का विस्तार किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इसका उद्देश्य **व्यापक पैमाने पर विकेंद्रीकरण** के माध्यम से देश में सुरक्षा अवसंरचना को मजबूत बनाना है। इसमें **थलसेना, नौसेना, वायुसेना, और एकीकृत रक्षाकर्मी** की **शक्तियों की अनुसूचियों** से संबंधित दिशानिर्देश शामिल किए गए हैं।
- नए दिशानिर्देश में निम्नलिखित स्तरों पर वित्तीय शक्तियों को बढ़ाया गया है:

[4] single-vendor contracts

[5] Acceptance of Necessity

[6] Delegation of Financial Powers to Defence Services

- क्षेत्रीय टुकड़ियों (field formations) पर 5 से 10 गुना तक,
- सक्षम वित्तीय प्राधिकारियों की शक्ति में दोगुना वृद्धि,
- सेवा के उप-प्रमुखों की शक्तियों में 10% की वृद्धि (500 करोड़ रुपये की सीमा के अंतर्गत)।

- इसमें, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए **स्वदेशीकरण/अनुसंधान एवं विकास** से संबंधित कार्यक्रमों में **तीन गुना तक की वृद्धि** की गई है।
- **सशस्त्र बलों के लिए लाभ:** इससे निम्नलिखित के माध्यम से सशस्त्र बलों को लाभ होगा:
  - खरीदारी प्रक्रिया को बेहतर बनाकर संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सकेगा;
  - बेहतर ढंग से योजना बनाने और ऑपरेशन से जुड़ी तैयारी के लिए आवश्यक शर्तों को तुरंत पूरा किया जा सकेगा;
  - सभी स्तरों पर तेजी से निर्णय लिए जा सकेंगे और
  - सेवाओं के मध्य व्यापक पैमाने पर तालमेल स्थापित होगा।

आयात पर सर्वाधिक निर्भरता क्यों?

प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) की वर्ष 2018 की रिपोर्ट के अनुसार, सशस्त्र बल निम्नलिखित कारणों से आयात पर सर्वाधिक निर्भर हैं:

- **स्वदेशीकरण की मंद गति।**
- **सीमित स्वदेशी क्षमता,** विशेषकर रक्षा बलों के आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक बड़े और उच्च तकनीकी हथियारों/उपकरणों के संदर्भ में।
- **निजी क्षेत्रक की सीमित** भागीदारी।

भारत द्वारा की जाने वाली रक्षा खरीद की स्थिति

- **व्यय: वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले देशों में** अमेरिका और चीन के बाद **भारत का तीसरा स्थान है।** भारत का रक्षा बजट लगभग 73 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।
- **व्यय का वितरण:** कुल व्यय में से, लगभग एक तिहाई **पूंजीगत परिव्यय (capital outlay)** के लिए आवंटित किया जाता है। इसमें रक्षा संबंधी खरीद जैसे रक्षा उपकरण, प्रणालियाँ और प्लैटफॉर्म की खरीद शामिल है।
  - रक्षा खरीद में से **लगभग आधी राशि का व्यय विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से रक्षा संबंधी खरीद पर किया जाता है।** इस प्रकार भारत हथियारों का **दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है।** पहले स्थान पर अभी **सऊदी अरब** विद्यमान है ('अंतर्राष्ट्रीय हथियार स्थानांतरण रुझान 2020' से संबंधित स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट-SIPRI की फैक्ट शीट के अनुसार)।

भारत द्वारा विदेशों से हथियारों की खरीदारी पर बहुत अधिक खर्च किया जाता है। इसके बाद भी, हथियारों और गोलाबारूद के साथ-साथ मुख्य रक्षा प्रणालियों जैसे कि विमान वाहक पोत तथा फाइटर जेट से संबंधित भारत की रक्षा तैयारी उच्च मानकों के अनुरूप नहीं है।

भारत की रक्षा खरीद व्यवस्था में क्या समस्याएं हैं?

- **अत्यधिक प्रक्रियात्मक विलंब:** सशस्त्र बलों द्वारा प्रस्तुत की गई अपनी आवश्यकताओं और वास्तविक आपूर्ति के प्राप्त होने में बहुत अधिक विलंब होता है। उदाहरण के लिए, पनडुब्बी परियोजना P-75I पर पिछले दो दशकों से बातचीत चल रही है और वर्ष 2021 में यह प्रस्ताव के लिए अनुरोध (request for proposal) चरण तक ही पहुंची है।
- **समन्वय से जुड़ी समस्याएं:** इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में हितधारक शामिल होते हैं, जिससे परस्पर समन्वय की समस्या पैदा होती है। इसके कारण खरीद प्रक्रिया में देरी होती है। उदाहरण के लिए, सेना और रक्षा मंत्रालय के मध्य पर्याप्त समन्वय का अभाव है।
- **स्थिरता की कमी:** नीति या विनिर्देशों में बार-बार बदलाव होने से खरीद प्रक्रिया में देरी होती है या फिर संबंधित परियोजनाओं को रद्द भी करना पड़ जाता है। उदाहरण के लिए, रक्षा संबंधी सामग्री की कमी और पुरानी होती रक्षा परिसंपत्तियों के बावजूद बाद भी, नई नीति को अपनाने पर पुरानी नीति के तहत जारी की गई पुरानी निविदाओं को रद्द करना पड़ता है।
- **भ्रष्टाचार और बिचौलिए:** भारतीय रक्षा खरीद प्रक्रिया पर भ्रष्टाचार और बिचौलिए/निहित स्वार्थों से संबंधित आरोप लगाना सामान्य बात है।
- **राजनीतिक इच्छाशक्ति:** सीमाओं से संबंधित अनसुलझे विवादों के बावजूद भी विदेशों से रक्षा खरीद के संबंध में राजनीतिक निर्णयों की अनिर्णायक स्थिति के कारण सशस्त्र बल आवश्यक उपकरणों की कमी का सामना कर रहे हैं।
- सार्वजनिक क्षेत्र में दीर्घकालीन रक्षा संबंधी आवश्यकताओं पर **रणनीतिक दृष्टिकोण** के अभाव के कारण, विदेशी निवेश और घरेलू रक्षा विनिर्माण को प्रोत्साहन नहीं मिलता है।

DELHI | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | JAIPUR | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI 8468022022

रक्षा खरीद की समस्याओं में संरचनात्मक समस्याएं जैसे, सशस्त्र बलों का सीमित स्वदेशीकरण, सीमित और आवश्यकता से कम बजट का आवंटन आदि भी शामिल हैं।

समग्र रक्षा खरीदारी प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए किए गए प्रयास

हालाँकि DFPDS के तहत **परिचालन को प्रभावी** बनाने की व्यवस्था की गई है, वहीं **रक्षा प्रणाली को मजबूत** बनाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। नीति से लेकर वास्तविक उत्पादन तक, निम्नलिखित प्रयासों से तीव्र और किफायती रक्षा खरीद की जा सकेगी:

किए गए उपाय	विवरण
रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) 2020	आयात पर निर्भरता कम करने के लिए, **DAP 2020 का उद्देश्य** त्वरित निर्णय लेकर और सशस्त्र बलों की क्षमताओं में वृद्धि करके तथा निजी क्षेत्र को शामिल करते हुए घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देकर समयबद्ध रक्षा खरीद प्रक्रिया संपन्न करना है।
रक्षा क्षेत्र में FDI	वर्ष 2020 में, स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा क्षेत्र में FDI की अधिकतम सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया था।
आयात प्रतिबंध	101 और 108 वस्तुओं के साथ क्रमशः दो **नकारात्मक आयात सूचियाँ या सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ** अधिसूचित की गई हैं, जो केवल स्वदेशी स्रोतों से खरीद को इंगित करती हैं।
पूंजीगत खरीद बजट का विभाजन	उच्च घरेलू खरीद सुनिश्चित करने के लिए खरीद बजट को घरेलू और विदेशी मार्गों में विभाजित किया गया है।
निर्यात पर विशेष ध्यान देना	वैश्विक रक्षा मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बनने के लिए, भारत ने वर्ष 2025 तक 35,000 करोड़ रुपये के मूल्य के रक्षा निर्यात करने की योजना बनाई है। SIPRI फैक्ट शीट के अनुसार, भारत रक्षा निर्यात पर 24वें स्थान पर था।
समय–सीमा को आगे बढ़ाना	इसमें आवश्यकता की स्वीकृति (Acceptance of Necessity: AoN), ट्रेल पद्धति और उपकरणों की कीमतों की बेंचमार्किंग जैसे खरीद के विभिन्न चरणों के लिए समय–सीमा शामिल है।
आयुध निर्माणी बोर्डों का विघटन	इन्हें सात नए रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। इस कदम से अक्षम आपूर्ति श्रृंखलाओं को समाप्त करने और प्रतिस्पर्धा के लाभ और निर्यात सहित नए अवसरों का लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है।

रक्षा खरीदारी की व्यवस्था में और सुधार के लिए क्या किया जा सकता है?

- **आवश्यकताओं के संबंध में अग्रिम रिपोर्ट तैयार करना:** रक्षा संबंधी प्रतिष्ठानों को राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति या अन्य माध्यमों द्वारा मध्यम अवधि से लेकर दीर्घावधि तक की अपनी आवश्यकताओं के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। इससे रक्षा क्षेत्र में उद्योग जगत की भागीदारी में सुधार हेतु सहायता मिलेगी।
- **खरीदारी में जवाबदेही:** इसके तहत देरी और भ्रष्टाचार के लिए जवाबदेहिता निर्धारित करना एक अनिवार्य आवश्यकता है। इससे जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी। ऐसा, **प्रक्रियाओं को सरल बनाकर** किया जा सकता है। इसके लिए स्पष्ट रूप से प्रक्रियाओं के साथ-साथ स्पष्ट रूप से जवाबदेहिता को भी निर्धारित करना होगा।
- **हितधारकों की संख्या कम करना:** इसके लिए समर्पित खरीद सेल या समर्पित कैडर का गठन किया जा सकता है। इनको संबंधित सभी सेवाओं के लिए खरीदारी को प्रबंधित करने का दायित्व सौंपा जा सकता है। इससे, समन्वय के अभाव में होने वाली देरी का समाधान किया जा सकता है।
- **रक्षा उत्पादन में निवेश:** रक्षा उत्पादन एक पूंजी सघन उद्योग है और रक्षा संबंधी परियोजना को पूरा होने में लंबा समय भी लगता है। इसलिए रक्षा क्षेत्रक के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) और निजी क्षेत्रक को सरकारी सहायता की आवश्यकता होती है। साथ ही, एक आत्मनिर्भर रक्षा पारितंत्र बनाने के लिए अनुसंधान एवं विकास, उपकरणों के परीक्षण आदि के लिए सक्षम अवसंरचना का निर्माण करने हेतु भी निवेश को प्रोत्साहित करना चाहिए।
- **रक्षा-उद्योग-शिक्षा जगत के संबंध विकसित करना:** इस संबंध से देश में रक्षा क्षेत्र से संबंधित नवाचार और अनुसंधान की एक व्यवस्था तैयार होगी। इससे, रक्षा संबंधी आवश्यकताओं हेतु विदेशी आयातों पर देश की निर्भरता कम होगी।

निष्कर्ष

सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, **तीव्र और पारदर्शी** रक्षा खरीद **प्रक्रिया अनिवार्य** है, ताकि **भारत की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।** इससे, **सीमा पर बढ़ते तनावों और वैश्विक आतंकी संगठनों के उभरने** से पैदा होने वाली चुनौतियों से निपटने में सहायता मिलेगी। साथ ही, यह एक कुशल और जवाबदेह उत्पादन प्रणाली के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा प्रदान करेगा तथा भारतीय रक्षा पारितंत्र को मजबूत भी करेगा।

1.2. रक्षा क्षेत्र का आधुनिकीकरण (Defense Modernization)

सुर्ख़ियों में क्यों?

15वें वित्त आयोग ने एक **समर्पित व गैर-व्यपगत निधि** के रूप में **रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए आधुनिकीकरण कोष (MFDIS)**[7] के गठन की अनुशंसा की है।

रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए आधुनिकीकरण कोष (MFDIS) के बारे में

- इस कोष का प्राथमिक उद्देश्य **रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए अनुमानित बजटीय आवश्यकताओं और बजटीय आबंटन के मध्य व्याप्त अंतराल को समाप्त** करना है।
- **वर्ष 2021-26 की अवधि के लिए** प्रस्तावित MFDIS हेतु कुल अनुमानित राशि **2.5 लाख करोड़ रुपये** है।
- वित्त आयोग के अनुसार, इस कोष के वित्तीयन में वृद्धि के **चार विशिष्ट स्रोत होंगे, यथा-**
  - भारत की संचित निधि से अंतरण,
  - रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों (DPSUs) के विनिवेश से प्राप्त आगम (राशि),
  - अधिशेष रक्षा भूमि के मौद्रीकरण से प्राप्त आगम, और
  - रक्षा भूमि से प्राप्त आगम।
- वित्त आयोग के अनुसार, इन आगमों (proceeds) का उपयोग **रक्षा सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए पूंजीगत निवेश, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) के लिए पूंजीगत निवेश और राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण** के लिए किया जाएगा।
  - इस कोष से अग्रिमपंक्ति के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अपने जीवन का बलिदान करने वाले रक्षा और CAPFs कार्मिकों के परिवारों के कल्याण के लिए प्रति वर्ष 1,000 करोड़ रुपये भी आवंटित किए जाएंगे।

रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए उठाए गए कदम

- **रक्षा उत्पादन और स्वदेशीकरण के लिए:**
  - अगले पांच वर्षों में भारत के रक्षा उत्पादन को दोगुना करने के उद्देश्य से **रक्षा उत्पादन और निर्यात नीति, 2020**[8] का प्रारूप तैयार किया गया है।
  - **रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया, 2020**[9] का उद्देश्य भारतीय घरेलू उद्योग को 'मेक इन इंडिया' परियोजनाओं के माध्यम से सशक्त बनाना है। इसका अंतिम उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र में परिवर्तित करना है।
  - **सृजन पोर्टल (SRIJAN Portal):** यह एक **'वन स्टॉप शॉप' ऑनलाइन पोर्टल** है, जो विक्रेताओं (कंपनियों) को ऐसी वस्तुओं की सूचना प्रदान करेगा, जिनका **स्वदेशीकरण** किया जा सकता है।

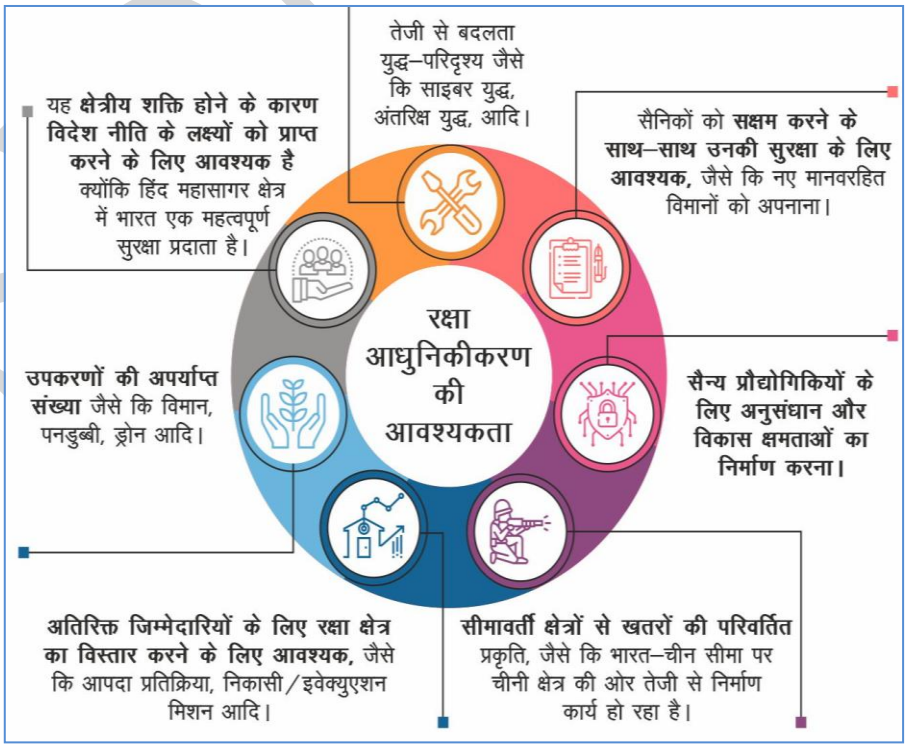

[7] Modernisation Fund for Defence and Internal Security

[8] Defence Production and Export Policy, 2020

[9] Defence Acquisition Procedure, 2020

- **रक्षा उद्यमशीलता को प्रोत्साहन:** राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रासंगिक उत्पादों / प्रौद्योगिकियों के कार्यात्मक आद्यरूपों (प्रोटोटाइप्स) के सृजन हेतु डिफेंस इंडिया स्टार्ट-अप चैलेंज जैसी पहल को प्रारंभ किया गया है।

- **सैन्य संगठन में सुधार के लिए:**
  - **चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS):** सशस्त्र बलों के तीनों स्कंधों को "शीर्ष स्तर पर प्रभावी नेतृत्व" प्रदान करने के लिए CDS के पद का सृजन किया गया है। इसके अतिरिक्त, सैन्य संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और खरीद के लिए **सैन्य मामलों के विभाग**[10] का भी गठन किया गया है।
  - **एकीकृत युद्धक समूहों (IBGs)**[11] **का निर्माण:** IBGs वस्तुतः ब्रिगेड के आकार की दक्ष व आत्मनिर्भर युद्धक संरचनाएं (combat formations) हैं। ये युद्ध की स्थिति में शत्रु के विरुद्ध त्वरित आक्रमण करने में सक्षम होती हैं।
  - **त्रि-सेवा क्षमताओं के साथ थिएटर कमांड:** इसके अंतर्गत सशस्त्र बलों को कई थिएटर कमांडों में पुनर्गठित किए जाने की परिकल्पना की गई है। इसके तहत तीनों सेवाओं का संचालन क्षेत्रीय आधार पर एकीकृत रीति से किया जाएगा।
- **आधुनिकीकरण की दिशा में अन्य प्रयास:**
  - **एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली (IADWS)**[12]**:** संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को IADWS की बिक्री करने की स्वीकृति प्रदान की है। यह **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) दिल्ली के ऊपर बहुस्तरीय मिसाइल कवच** का निर्माण करेगी।
  - **रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना (DTIS)**[13]**:** रक्षा परीक्षण अवसंरचना की स्थापना से घरेलू रक्षा उद्योग को सुगम पहुंच प्राप्त होने के साथ-साथ उनकी परीक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता प्राप्त होगी।

विद्यमान चुनौतियां क्या हैं?

- **निर्णय निर्माण प्रक्रिया में विलंब या अधिक समय लगना:** विशेषज्ञों द्वारा इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि खरीद और विकास के लिए विभिन्न मार्ग उपलब्ध होने के बावजूद, उत्पादन आरंभ होने से पूर्व **उत्पादन एवं अधिग्रहण अनुबंधों को अंतिम रूप प्रदान करने में लगभग 7 से 9 वर्ष का समय** लग जाता है।
  - यह सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं और उपकरणों की उपलब्धता के मध्य एक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त, दीर्घ समय सीमा के कारण **विनिर्मित प्रौद्योगिकी और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के मध्य एक अंतराल** आ जाता है।
- **सार्वजनिक क्षेत्र की विनिर्माण क्षमता और योग्यता की सीमा:** आयुध निर्माणियां[14], रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO), हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) आदि एजेंसियों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र की विनिर्माण क्षमता बहुत अधिक सीमित और अत्यधिक भारग्रस्त है और यह निम्नस्तरीय भी बनी हुई है।
  - उदाहरण के लिए, आधुनिक युद्धक टैंकों के बेड़े (जिसे भविष्य के लिए तैयार युद्धक यान के रूप में नामांकित किया गया है) का स्वदेशी रूप से निर्माण करने का कार्यक्रम, प्रक्रियागत विलंब के कारण आगे नहीं बढ़ रहा है।
- **एक सुदृढ़ रक्षा औद्योगिक आधार का अभाव:** रक्षा विनिर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी सीमित है। इस हेतु मुख्यतया उद्योग जगत और रक्षा क्षेत्र के मध्य संचार मंचों के अभाव को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
  - हालांकि, रक्षा औद्योगिक गलियारे (DIC)[15] (जैसे- तमिलनाडु DIC) के निर्माण के रूप में प्रयास किए जा रहे हैं, परन्तु रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी अभी भी अपर्याप्त है।
- **भविष्य के युद्ध की प्रकृति पर संवाद की अनुपस्थिति:** यद्यपि साइबर हमले, सूचनाओं की श्रेष्ठता के माध्यम से हाइब्रिड युद्ध के प्रति चीन का झुकाव आदि जैसे विभिन्न खतरे उभर रहे हैं, परन्तु इनके प्रत्युत्तर में ऐसी क्षमताओं के भावी विकास के लिए स्पष्ट योजना या रणनीति का निर्माण नहीं किया गया है।

आगे की राह

- **प्रमुख आयातक से प्रमुख निर्यातक बनने हेतु विचारधारा में परिवर्तन:** विचारधारा में बदलाव अप्रत्यक्ष रूप से अधिग्रहण और उत्पादन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करेगा। साथ ही, यह विकास-डिजाइन-उत्पादन-निर्यात चक्र को पूरा करने और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी को सुदृढ़ करने में योगदान करने के लिए भी आवश्यक है।

[10] Department of Military Affairs

[11] Integrated Battle Groups

[12] Integrated Air Defence Weapon System

[13] Defence Testing Infrastructure Scheme

[14] Ordnance Factories

[15] Defense Industrial Corridors

- **निजी क्षेत्र को समर्थन प्रदान करना:** ध्यातव्य है कि वर्तमान में भारतीय रक्षा उद्योग अपनी आरंभिक अवस्था में है। इसलिए इसे गारंटीकृत खरीद, संयुक्त विकास आदि के रूप में सहायता की आवश्यकता होगी।
- **उद्योग-रक्षा-अकादमी संपर्क का विकास:** रक्षा बलों का आधुनिकीकरण प्रत्यक्ष रूप से अनुसंधान पर निर्भर करता है। परिणामस्वरूप, यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि देश की अनुसंधान क्षमताओं को शिक्षा क्षेत्र के साथ संलग्न किया जाए तथा उन्हें औद्योगिक और रक्षा उत्पादन चैनलों के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाए।
- **रक्षा क्षेत्र का समेकित आधार पर आधुनिकीकरण करना:** रक्षा क्षेत्र का आधुनिकीकरण पृथक धारणा के स्थान पर देश के अवसंरचनात्मक आधुनिकीकरण, बढ़ती मानव संसाधन क्षमताओं आदि के संयोजन के साथ ही संभव है। इसलिए, रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण को समग्र आधुनिकीकरण के साथ एकीकरण के रूप में ही संदर्भित किया जाना चाहिए।
    - उदाहरण के लिए, पोत निर्माण उद्योग और विकसित पत्तन नौसेना प्रणालियों (जैसे- पनडुब्बियां) के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

1.3. एकीकृत थिएटर कमान (Integrated Theatre Commands)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, एकीकृत थिएटर कमान के प्रस्तावित मॉडल से संबंधित मुद्दों के आलोक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) ने तीनों सेनाओं के उप प्रमुखों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की।

भारत में सैन्य कमान की वर्तमान प्रणाली

- वर्ष 1947 से, तीनों सेनाओं को पृथक रूप से संचालित किया जाता रहा है। हालांकि, उनके मध्य पर्याप्त समन्वय रहते हुए भी वास्तविक रूप में एकीकरण का अभाव रहा है।
- भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना में प्रत्येक के पास बहुविध कमान (multiple commands) मौजूद हैं, जिन्हें उनकी कमान संरचना के संदर्भ में लंबवत रूप में विभाजित किया गया है।
    - वर्तमान संरचना में तीनों सैन्य सेवाओं की कुल 17 सैन्य कमान हैं, इनमें से **सात कमान थल सेना और सात कमान वायुसेना से संबंधित हैं तथा तीन नौसेना** के नेतृत्वाधीन हैं। इन विभिन्न कमानों की मौजूदगी से संसाधनों के अपव्यय एवं दोहराव की स्थिति उत्पन्न होती है।
- इनके अतिरिक्त, तीनों सेनाओं का एकमात्र एकीकृत **अंडमान और निकोबार कमान (ANC)** तथा परमाणु संपत्तियों की सुरक्षा के लिए **स्पेशल फोर्सेज़ कमान (SFC)** भी स्थापित की गई हैं।
- वर्ष 2019 में **चार त्रि-सेवा संस्थानों** (यथा- डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, डिफेंस स्पेस एजेंसी, साइबर एजेंसी और आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन) को स्थापित किया गया था।

एकीकृत थिएटर कमान के बारे में

- एकीकृत थिएटर कमान वस्तुतः सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रों के लिए **एकल कमांडर के अधीन तीनों सेनाओं की एकीकृत कमान** की परिकल्पना को संदर्भित करती है।
    - एकीकृत थिएटर कमान का कमांडर अपनी क्षमता के अधीन किसी भी विपरीत परिस्थिति में सरलता से तीनों सैन्य बलों (थल सेना, वायुसेना और नौसेना) से सभी आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सक्षम होगा।
- एकीकृत थिएटर कमान के विचार को **कारगिल समीक्षा समिति और डी. बी. शेकटकर समिति** दोनों द्वारा प्रस्तावित किया गया है।
- वर्तमान में जो थिएटर मॉडल विचाराधीन है, उसके तहत कम से कम **छह नए एकीकृत कमान** स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।
- भारत के **चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ** को इस थिएटर मॉडल को मूर्त रूप देने हेतु अधिदेशित किया गया है।
- **अन्य देशों में एकीकृत थिएटर कमान:** सैन्य शाखाओं के मध्य बेहतर एकीकरण के लिए विश्व के 32 से अधिक देशों में पहले से ही थिएटर या संयुक्त कमान को किसी न किसी रूप में स्थापित किया जा चुका है। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस ऐसे देशों के उदाहरण हैं।

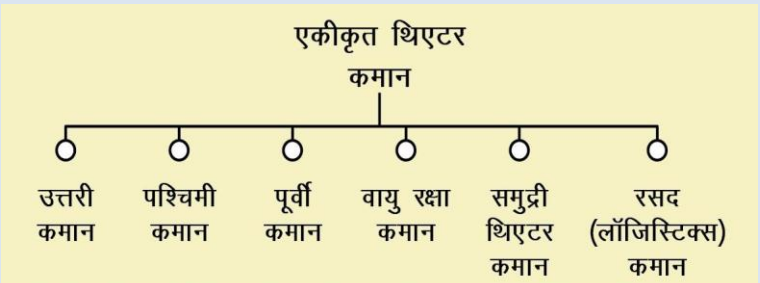

पश्चिमी और पूर्वी थिएटरों का नेतृत्व सेना के जनरलों द्वारा किया जाएगा, जिनके अधीन वरिष्ठ थ्री–स्टार एयर कंपोनेंट कमांडर होंगे। **एयर डिफेंस कमान** का नेतृत्व वायु सेना के एक शीर्ष **थ्री–स्टार अधिकारी** और **मैरीटाइम थिएटर कमान** का नेतृत्व एक **शीर्ष वाइस एडमिरल** द्वारा किया जाएगा।

थिएटर कमान की आवश्यकता क्यों?

- **युद्ध की बदलती प्रकृति:** युद्ध के नए व उभरते हुए रूपों (जैसे कि हाइब्रिड, साइबर और अंतरिक्ष युद्ध) को देखते हुए शांति काल के दौरान भी सैन्य बलों के बीच बेहतर युद्ध तैयारियों और एक-दूसरे से जुड़े रहने या अंतर-संचालन (interoperability) को बढ़ाने के लिए आपसी सहयोग और तालमेल की मांग में वृद्धि हुई है।
- **बेहतर संसाधन दक्षता:** संसाधनों के इष्टतम आवंटन और इसके स्रोतों का उपयोग कर यह नया मॉडल, दोहराव की स्थिति को सीमित कर लागत को कम करेगा।
- **बेहतर खरीद:** तीनों सेवाओं के लिए एक साथ सैन्य प्रणालियों और उपकरणों की थोक खरीदारी से रक्षा उद्योग की लागत में कमी आएगी। साथ ही, इससे रक्षा उद्योग से संबंधित लाभों को सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी।
- **निर्णयन प्रक्रिया में सुधार:** थिएटर कमान, संयुक्त संचालन के मामले में त्वरित निर्णय लेने में सहयोग कर सकती है।
- **पड़ोसी देशों की सैन्य क्षमताओं में सुधार:** चीनी सेना के भीतर व्यापक सैन्य सुधार थिएटर कमान की बढ़ती आवश्यकता को बढ़ावा देने वाला एक प्रमुख कारक रहा है।
    - नियंत्रण रेखा[16] के साथ-साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा[17] पर अधिक सक्रियता की संभावना ने विभिन्न अर्थों में भारतीय सेना में व्यापक सुधारों की मांग को बढ़ा दिया है।

एकीकृत थिएटर कमान को अमल में लाने में चुनौतियां

- **भारत का भौगोलिक विस्तार:** विभिन्न विशेषज्ञों का मानना है कि भारत भौगोलिक रूप से इतना बड़ा नहीं है कि इसे विभिन्न थिएटरों में विभाजित किया जाए, क्योंकि भारत में एक थिएटर से संसाधनों को दूसरे थिएटर तक सुगमतापूर्वक ले जाया जा सकता है।
- **अंतर-सेवा संघर्ष की संभावना:** कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि यह मॉडल सेनाओं की स्वतंत्र सेवा पहचान को प्रभावित करेगा और अंतर-सेवा टकराव की स्थिति को उत्पन्न करेगा।
    - जहां थल सेना और नौसेना थिएटर कमान के पक्ष में हैं, वहीं वायुसेना ने इस मॉडल में अपनी वायु संपत्तियों के विभाजन, प्रमुखों की शक्तियों को कम करने आदि को लेकर चिंता व्यक्त की है।
- **थिएटर कमांडर की विशेषज्ञता का अभाव:** थिएटर कमांडर का सीमित प्रक्षेत्र ज्ञान (limited domain knowledge) और उसकी अल्प विशेषज्ञता सैन्य कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकती है।
- **परिचालन संबंधी बाधाएं:** थिएटर कमान प्रणाली के तहत तीनों सेवाओं को एकीकृत करने में अग्रलिखित बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि- कौन किसे रिपोर्ट करेगा और कमान की श्रृंखला को कैसे संचालित किया जाएगा आदि। इसके अतिरिक्त, इनमें परिचालन कमान और परिसंपत्तियों पर नियंत्रण के मुद्दे भी शामिल हैं।
- **वित्तीय बाधाएं:** बजटीय आबंटन और धन के वितरण को ऐसे कारकों के रूप में इंगित किया गया है, जिन पर स्पष्ट रूप से कार्य किया जाना आवश्यक है, ताकि एक निर्बाध थिएटर कमान प्रणाली की स्थापना को सुनिश्चित किया जा सके।

आगे की राह

- **मतभेदों का निवारण करना:** योजनाओं को सुदृढ़ करने और सभी हितधारकों को शामिल करने हेतु सरकार ने CDS के तहत आठ सदस्यीय पैनल का गठन किया है।
- **वित्त मंत्रालय की सहमति:** इस पर विचार किया जाना आवश्यक है, क्योंकि थिएटरों की स्थापना और विभिन्न संरचनाओं के एकीकरण के वित्तीय प्रभाव भी उत्पन्न होंगे।
- **निर्णयन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना:** यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि थिएटर कमांडर किसे रिपोर्ट करेंगे। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में कमांडर राजनीतिक नेतृत्व को रिपोर्ट करते हैं।
- **लक्षित हस्तक्षेप के माध्यम से अन्य सुधार:** एक सुदृढ़ और जीवंत रक्षा-औद्योगिक विनिर्माण परिसर को विकसित करने, युद्ध की बदलती प्रकृति की पहचान करने, तकनीकी क्षमताओं पर अधिक निर्भरता आदि जैसी प्रणालियों को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

[16] Line of Control: LOC

[17] Line of Actual Control: LAC

ENGLISH Medium | 12 Nov 1 PM

हिन्दी माध्यम | 16 Nov 1 PM

- फैकल्टी द्वारा टेस्ट रणनीति एवं तनाव प्रबंधन पर विशेष सेशन
- द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, लाइवमिंट, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, योजना, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, इंडिया ईयर बुक, RSTV आदि का समग्र कवरेज।
- मुख्य परीक्षा हेतु विशिष्ट लक्ष्योन्मुखी सामग्री।
- मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से एक वर्ष की समसामयिक घटनाओं की खंड–वार बुकलेटस (ऑनलाइन स्टूडेंटस के लिये मेटेरियल केवल सॉप्ट कॉपी में ही उपलब्ध)
- लाइव और ऑनलाइन रिकॉर्डेड कक्षाएं जो दूरस्थ अभ्यार्थियों के लिए सहायक होंगी जो क्लास टाइमिंग मे लचीलापन चाहते हैं।

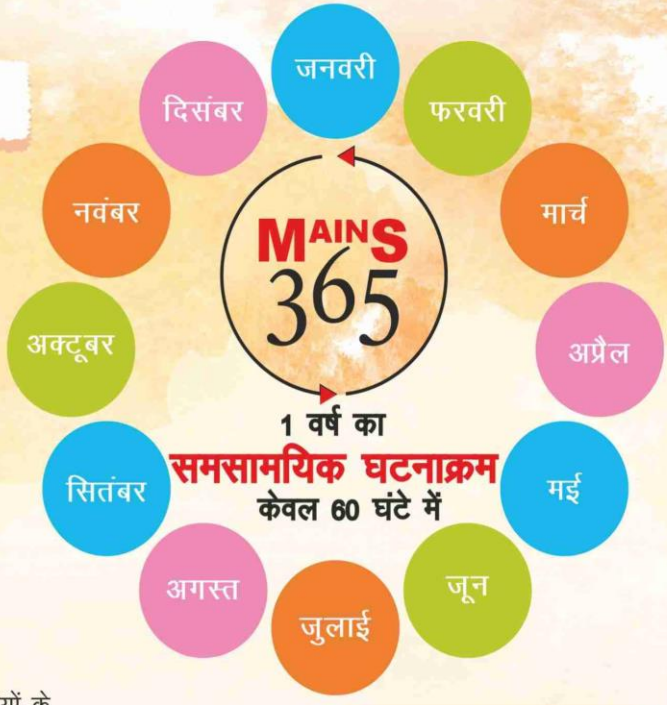

1 वर्ष का **समसामयिक घटनाक्रम** केवल 60 घंटे में

लाइव/ऑनलाइन कक्षाएं भी उपलब्ध

Scan the QR CODE to download VISION IAS app

मासिक समसामयिकी रिवीजन 2022

सामान्य अध्ययन (प्रारंभिक + मुख्य परीक्षा)

प्रवेश प्रारम्भ

- इन कक्षाओं का उद्देश्य जटिल समसामयिकी मुद्दों, जिन्हें कवर करने की अपेक्षा उम्मीदवारों से की जाती है, की एक विस्तृत विषय–वार समझ विकसित करना है।
- तमाम समसामयिक मुद्दों की सर्वाधिक अद्यतित प्रासंगिक समझ, जिसमें भारतीय राजव्यवस्था और संविधान, शासन (गवर्नेंस), अर्थव्यवस्था, समाज, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, संस्कृति, पारिस्थितिकी और पर्यावरण, सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा विविध विषयों के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ सम्मिलित हैं।
- इस कोर्स (लगभग 60 कक्षाएं) में विभिन्न मानक स्रोतों, जैसे– द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, PIB, PRS, AIR, राज्य सभा/लोक सभा टीवी, योजना आदि से महत्वपूर्ण सामायिक मुद्दों को शामिल किया जाएगा।
- प्रत्येक टॉपिक के बाद MCQ तथा मुख्य परीक्षा के लिए संभावित प्रश्नों के माध्यम से आपकी समझ का आकलन।
- 'टॉक टू एक्सपर्ट' के माध्यम से और कक्षा में ऑफ़लाइन व्याख्यान के दौरान चर्चा और विचार–विमर्श हेतु अवसर।
- प्रत्येक पखवाड़े में दो से तीन कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। समय–समय पर मेल के माध्यम से शेड्यूल साझा किया जाएगा।

Scan the QR CODE to download VISION IAS app

ENGLISH MEDIUM also Available

2. सीमा सुरक्षा और प्रबंधन (Border Security and Management)

संक्षिप्त विवरण

भारत की भूमि सीमा लगभग 15,000 किलोमीटर से अधिक है, जिसे वह सात देशों (पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान) के साथ साझा करता है। इसके अतिरिक्त, इसकी तटरेखा 7,500 किलोमीटर से अधिक है। सीमा साझा करने वाले अलग-अलग देशों के साथ भारत के भिन्न रक्षा संबंधों, सीमा की अत्यधिक छिद्रिल (porous) प्रकृति और अन्य प्रणालीगत मुद्दों के कारण यह और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम चारों ओर से अपनी सीमा की रक्षा के लिए अपनी क्षमताओं का विकास करें।

सीमा सुरक्षा – एक नज़र में

सीमा से संबंधित प्रमुख मुद्दे तथा किए गए उपाय

सीमा	सीमा से संबंधित मुद्दे या सीमा पर चुनौतियाँ	आरंभ की गई पहल
भारत–चीन	≫ अरुणाचल प्रदेश, डोकलाम और अक्साई चिन आदि जगहों पर **सीमा विवाद** और कुछ अतिक्रमण की घटनाएँ ≫ चीन से इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की **बड़े पैमाने पर तस्करी** ≫ कठिन भू–क्षेत्र के कारण **अपर्याप्त आधारभूत संरचना** ≫ **सीमा पर अधिक बलों** (जैसे आई.टी.बी.पी., असम राइफल्स, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स) की उपस्थिति, परिणामस्वरूप समन्वय में कठिनाईयां। ≫ **जल और इससे जुड़े आंकड़ों के साझाकरण से संबंधित मुद्दे**	≫ सैनिकों की आवाजाही के लिए समय कम करने के लिए **बुनियादी ढांचे का निर्माण** जैसे कि ढोला–सादिया पुल ≫ **पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास** ≫ LAC के 100 कि.मी. के भीतर सेना की अवसंरचना परियोजनाओं को वन संबंधी स्वीकृति से छूट दी गई है ≫ सीमा सड़क निर्माण में तेजी लाने के लिए सीमा सड़क संगठन (BRO) को प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई हैं
भारत–पाकिस्तान	≫ सर क्रीक और कश्मीर में **सीमा विवाद** ≫ सिंधु नदी से संबंधित **नदी जल–साझाकरण मुद्दे** ≫ **घुसपैठ और सीमा–पार आतंकवाद** ≫ मरुस्थल, दलदल, हिम से ढके पर्वत और मैदान सहित कठिन भू–क्षेत्र ≫ अवसंरचना परियोजनाओं में लगने वाला अत्यधिक समय और लागत ≫ अन्य मुद्दों में नशीली दवाओं की तस्करी, नकली मुद्रा, हथियारों की तस्करी आदि शामिल हैं	≫ एक एकीकृत सुरक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए **व्यापक प्रबंधन प्रणाली (CIBMS)** का कार्यान्वयन ≫ जम्मू और कश्मीर पुलिस एवं अन्य अर्धसैनिक बलों को प्रशिक्षित करके आतंकवाद विरोधी अभियानों को मजबूत करने के लिए **जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) कमांडो की तैनाती**
भारत–नेपाल	≫ बढ़ता अतिवाद और भारत विरोधी गतिविधियां ≫ नेपाली माओवादियों से लिंक के चलते भारत में माओवादी उग्रवाद के फैलने का डर ≫ अपराध कर आसानी से एक-दूसरे के भू–क्षेत्र में अपराधियों का पलायन और अवैध गतिविधियां जैसे कि तस्करी या स्मगलिंग, नकली भारतीय मुद्रा आदि। ≫ सीमा के दोनों ओर से भूमि पर कब्जा	≫ बेहतर परिचालन दक्षता सुनिश्चित करने के लिए एस.एस.बी. में नए खुफिया विभाग की स्थापना ≫ सीमावर्ती जिला समन्वय समिति की स्थापना ≫ सीमा पर 1,377 कि.मी. लंबी सड़कों के निर्माण को मिली मंजूरी ≫ नेपाल को विकास सहायता
भारत–भूटान	≫ उग्रवाद ≫ भूटानी भांग जैसे सामानों की तस्करी ≫ वस्तुओं और लोगों की मुक्त आवाजाही	≫ सीमा प्रबंधन और सुरक्षा **पर इंडिया–भूटान ग्रुप** ≫ विद्रोहियों को शरण देने से रोकने के लिए भूटानी सेना के साथ सहयोग ≫ सिक्किम में नई सीमा चौकियों की स्थापना ≫ प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वन भूमि के इस्तेमाल के लिए सामान्य स्वीकृति
भारत–म्यांमार	≫ मुक्त आवाजाही व्यवस्था ≫ गोल्डन ट्रायंगल से निकटता के कारण मादक पदार्थों की तस्करी ≫ सीमा पर कोई भौतिक अवरोध नहीं ≫ निम्न स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाएं	थाईलैंड और म्यांमार सहित सार्क देशों के साथ भारत की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु हाल ही में मंत्रिमंडल द्वारा 13 नए एकीकृत चेक पोस्ट (ICPs) की स्थापना को मंजूरी
भारत–बांग्लादेश	≫ तीस्ता नदी और बराक नदी के संदर्भ में जल विवाद ≫ अवैध प्रवास ≫ सीमा पर अपर्याप्त बाड़बंदी ≫ वस्तुओं की तस्करी जैसे कि जामदानी साड़ी	≫ भारत–बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता, 2015 ≫ सीमा सुरक्षा ग्रिड की स्थापना ≫ अपराध मुक्त खंड स्थापित किया गया है ≫ सीमा निगरानी उपकरण जैसे ड्रोन आदि की व्यवस्था ≫ स्थानीय लोगों में अपराधों की रोकथाम के प्रति जागरूकता का प्रसार

उठाए जा सकने वाले अन्य कदम

- **विवाद निपटान:** सरकार द्वारा पड़ोसी देशों के साथ विद्यमान विवादों का समाधान किया जाना चाहिए क्योंकि आगे चलकर ये विवाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन जाते हैं।
- **सुरक्षा बलों की अन्यत्र तैनाती नहीं की जानी चाहिए:** सीमा सुरक्षा बलों को अपने प्रमुख कार्य से हटाकर अन्य आंतरिक सुरक्षा कर्तव्यों के लिए तैनात नहीं किया जाना चाहिए। उदाहरणस्वरूप– ITBP, जिसे विशेष रूप से भारत–चीन बॉडर की सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित किया गया है, को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात नहीं किया जाना चाहिए।
- **सेना की संलग्नता:** यह अनुभव किया गया है कि अनसुलझे एवं विवादित सीमा मुद्दों जैसे कि जम्मू कश्मीर में LoC, भारत–तिब्बत क्षेत्र में LAC, को हल करने का उत्तरदायित्व सेना का होना चाहिए। इसी प्रकार गैर–विवादित सीमा चौकसी का उत्तरदायित्व सीमा सुरक्षा बल (BSF) का होना चाहिए।
- **'एक सैन्य बल एक सीमा' के सिद्धांत का अनुपालन:** यह सीमा को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि विभाजित उत्तरदायित्व कभी भी प्रभावी नियंत्रण के रूप में परिणत नहीं होता।
- **अवसंरचनात्मक विकास:** सीमा पर अवसंरचना के विकास में तेजी लाना, विशेष रूप से सीमावर्ती आबादी को अवैध गतिविधियों से मुक्त करने के लिए।
- **उग्रवादियों को स्थानीय समर्थन प्राप्त करने से रोकना:** स्थानीय समुदायों को सीमा प्रबंधन से जोड़ना और युवाओं को शिक्षा एवं रोजगार के अवसर प्रदान करके उन्हें मुख्यधारा में लाना।
- **प्रौद्योगिकी के उपयोग में वृद्धि:** सीमाओं की निगरानी और प्रबंधन में अधिक से अधिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।

2.1. सीमा प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका (Role of Technology in Border Management)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय सेना एक हाइब्रिड मॉडल के माध्यम से मौजूदा **नियंत्रण रेखा (LOC) के 700 कि.मी. के संपूर्ण विस्तार को स्मार्ट बाड़ में परिवर्तित** करने पर कार्य कर रही है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इन स्मार्ट सीमा बाड़ परियोजनाओं[18] को व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS)[19] कार्यक्रम के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है। ज्ञातव्य है कि इसके तहत भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर फेंसिंग (या बाड़बंदी) की जा रही है।
- इसमें एक हाई-टेक निगरानी प्रणाली सम्मिलित है जो **भूमि, जल, वायु और भूमिगत क्षेत्रों पर एक अदृश्य इलेक्ट्रॉनिक बाधा उत्पन्न करेगी।**
- बाड़बंदी को **लिडार[20] सेंसर, इंफ्रारेड सेंसर और कैमरों आदि के साथ** एकीकृत किया जाएगा, जिसकी लागत लगभग **10 लाख रुपये प्रति कि.मी.** आएगी।

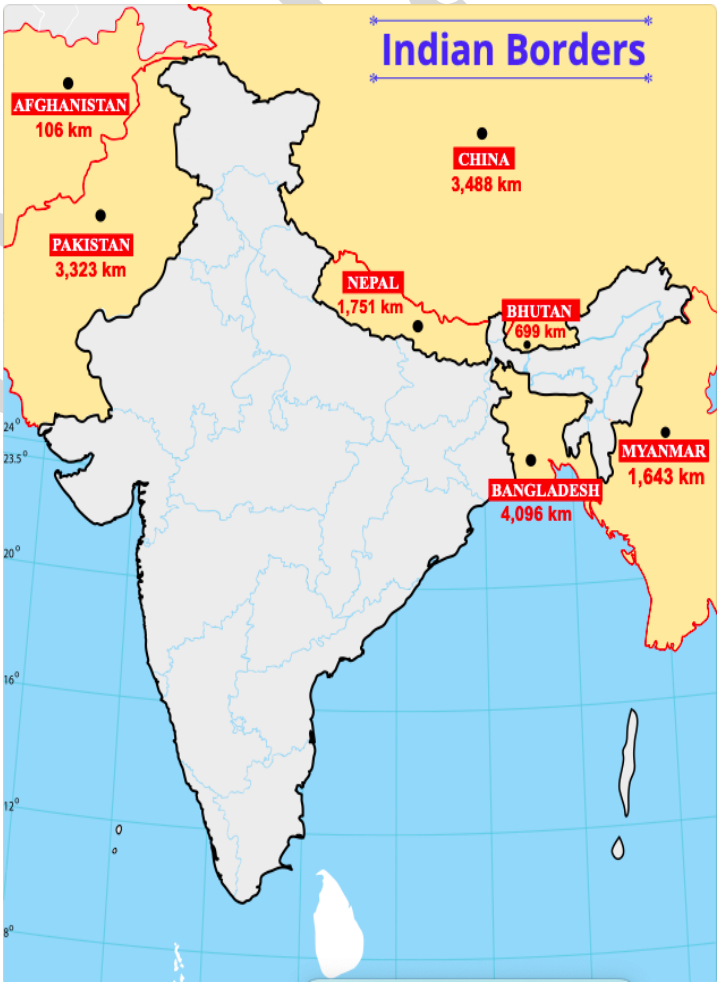

सीमा प्रबंधन में एकीकृत प्रौद्योगिकी की भूमिका

- **मौजूदा प्रणाली को अपडेट करने में सहायक:** वर्तमान में, सीमा की सुरक्षा लगभग पूर्णत: मानव निगरानी पर निर्भर है। इस प्रकार सीमा प्रबंधन में अधिक समय लगता है, जिससे यह एक जटिल कार्य बना जाता है।

[18] smart border fencing projects

[19] Comprehensive Integrated Border Management System

[20] Light Detection and Ranging

- **घुसपैठ का पता लगाना:** यह क्लोज सर्किट टेलिविज़न कैमरा (CCTV), थर्मल इमेजर[21] और नाईट विजन उपकरणों आदि को स्थापित करके भूमि, जल, वायु और सुरंगों से घुसपैठ का पता लगाने में सहायता करती है।
- **सीमा-पार व्यापार को सुगम बनाना:** उदाहरण के लिए, ब्लॉकचेन तकनीक लेनदेन को त्वरित और सुरक्षित रूप प्रदान करने में सहायता कर सकती है, इससे अवैध व्यापार का पता लगाने एवं निगरानी करने में भी अधिक सुगमता होती है।
- **बेहतर ख़ुफ़िया जानकारी और निगरानी:** सुदूर संवेदन उपग्रह, रडार उपग्रह और सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR) सेंसरों वाले उपग्रह दिन एवं रात में सभी प्रकार के भू-क्षेत्रों एवं सभी मौसम (मेघों की उपस्थिति में भी) की जानकारी प्रदान करने में सक्षम होते हैं।
- **सीमा सुरक्षा पर मधुकर गुप्ता समिति** ने भारत-पाकिस्तान सीमा पर बाड़बंदी कर सीमा सुरक्षा को मजबूत करने और कमियों को दूर करने के लिए संघ सरकार से अनुशंसा की थी। इसके तहत वर्ष 2015 में व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन (CIBMS) को लागू किया गया था।

सीमा क्षेत्रों में प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल में आने वाली चुनौतियाँ

- अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों की खरीद के लिए **बहुत अधिक मौद्रिक निवेश की आवश्यकता** पड़ती है, जबकि वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था धीमी वृद्धि की समस्या से ग्रस्त है।
- **मौजूदा बुनियादी ढांचे का कम उपयोग:** भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में मौजूदा बुनियादी ढांचा, जिसमें खोजबीन एवं निगरानी उपकरणों और संचार प्रौद्योगिकियों के साथ-साथ भौतिक संरचनाएं भी शामिल हैं, का अत्यंत सीमित उपयोग किया जा रहा है।
- **तकनीकी विशेषज्ञता की कमी:** प्रशिक्षण, मरम्मत और रखरखाव की सुविधा तथा स्मार्ट उपयोगकर्ताओं की कमी के कारण तकनीकी उपकरणों की प्रभावशीलता में और कमी आई है।
- **प्रतिकूल भू-भाग:** सीमाओं के पार जल निकायों द्वारा भी कुछ जटिलताएँ उत्पन्न की जाती हैं, जैसे नदी का मार्ग बदलना, घुसपैठ का पता लगाने में कठिनाई आदि।
  - भारत-पाकिस्तान सीमा का 12.36 प्रतिशत हिस्सा तथा भारत-बांग्लादेश सीमा का 37 प्रतिशत हिस्सा नदी के किनारे स्थित है।
  - साथ ही, ऐसे इलाकों में अनियमित विद्युत आपूर्ति, प्रौद्योगिकी के सुचारू संचालन में बाधा उत्पन्न करती है।

प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन को सक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (Comprehensive Integrated Border Management System: CIBMS)**
  - यह एक **सुदृढ़ और एकीकृत प्रणाली है** जो मानव संसाधन, हथियारों और उच्च तकनीक से युक्त निगरानी उपकरणों को एकीकृत करके सीमा सुरक्षा की वर्तमान प्रणाली में व्याप्त कमियों को दूर करने में सक्षम है।
  - यह **सीमा सुरक्षा जैसे अवैध घुसपैठ, निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी, मानव दुर्व्यापार और सीमा पार आतंकवाद आदि का पता लगाने एवं नियंत्रित करने में सीमा सुरक्षा बल (BSF) की क्षमता में सुधार करती है।**
  - यह त्वरित निर्णय लेने और नई समस्याओं की परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए **स्थितिजन्य जागरूकता में भी सुधार करती है।**
  - वर्ष 2018 में, BSF भारत-बांग्लादेश सीमाओं पर ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के बाड़ रहित नदी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के सेंसर लगाने के लिए **प्रोजेक्ट बोल्ड क्यूआईटी (बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड क्यूआरटी इंटरसेप्टिक तकनीक)**[22] को आरंभ किया गया था।

[21] दूर से ही ऊष्मा उत्सर्जित करने वाली वस्तुओं को दर्शाने वाला उपकरण

[22] Project BOLD QIT (Border Electronically Dominated QRT Interception Technique)

- **भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग:** इसरो द्वारा विशेष रूप से गृह मंत्रालय के उपयोग के लिए एक उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा। इससे पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ-साथ अन्य देशों से जुड़ी सीमाओं पर निगरानी को और अधिक मजबूत करने में मदद मिलेगी।
- हाल ही में, सरकार ने **जम्मू सीमा पर गतिविधियों की निगरानी के लिए संचार और निगरानी उपकरणों के एकीकरण संबंधी प्रस्ताव** को मंजूरी प्रदान की है।

आगे की राह

- **वित्तीय भार साझा करना:** एक संभावित समाधान के रूप में यू.एस.-मैक्सिको मॉडल का अनुसरण किया जा सकता है। इस मॉडल के तहत दोनों देशों ने संयुक्त रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों को विकसित किया है, जिसने उन्हें आर्थिक, सामाजिक और जनसांख्यिकीय दृष्टि से अधिक स्थिरता प्राप्त करने में सहायता प्रदान की है ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में अपराध को कम किया जा सके।
- **क्षमता निर्माण:** श्रमशक्ति को पहले से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और उपकरणों के त्वरित सेवा उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- **निजी क्षेत्रक की भागीदारी:** निजी क्षेत्रक के पास उपलब्ध ज्ञान को इलेक्ट्रॉनिक और निगरानी उपकरणों के संदर्भ में तथा बायोमेट्रिक विवरण जैसे डेटा के रखरखाव एवं उन्हें अद्यतित करने की दिशा में उपयोग किया जाना चाहिए।
- **निरंतर उन्नयन:** नई परियोजना के संयोजन के साथ उपकरण और सहायक उपकरणों की वर्तमान सूची को अद्यतित करना महत्वपूर्ण है ताकि उनका भी इष्टतम उपयोग किया जा सके।
- अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा बलों के साथ **ज्ञान के आदान-प्रदान और अनुभव साझा** करने पर भी विचार किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय संप्रभुता के मुख्य पहलुओं में से एक राज्यों की सीमाओं की रक्षा और सुरक्षा करना है। यदि सीमाएं सुरक्षित एवं स्थिर हैं तो ही देश आर्थिक व सामाजिक समृद्धि प्राप्त कर सकता है।

इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रॉनिक और निगरानी उपकरण एवं बायोमेट्रिक विवरण जैसे डेटा के रखरखाव व अद्यतन के संदर्भ में निजी क्षेत्रक के साथ उपलब्ध ज्ञान का उपयोग करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

2.2. समुद्री सुरक्षा (Maritime Security)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत द्वारा समुद्री सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई। इस दौरान UNSC द्वारा समुद्री सुरक्षा से निपटने के लिए भारत द्वारा प्रस्तावित 5 सूत्री एजेंडा को अपनाया गया है।

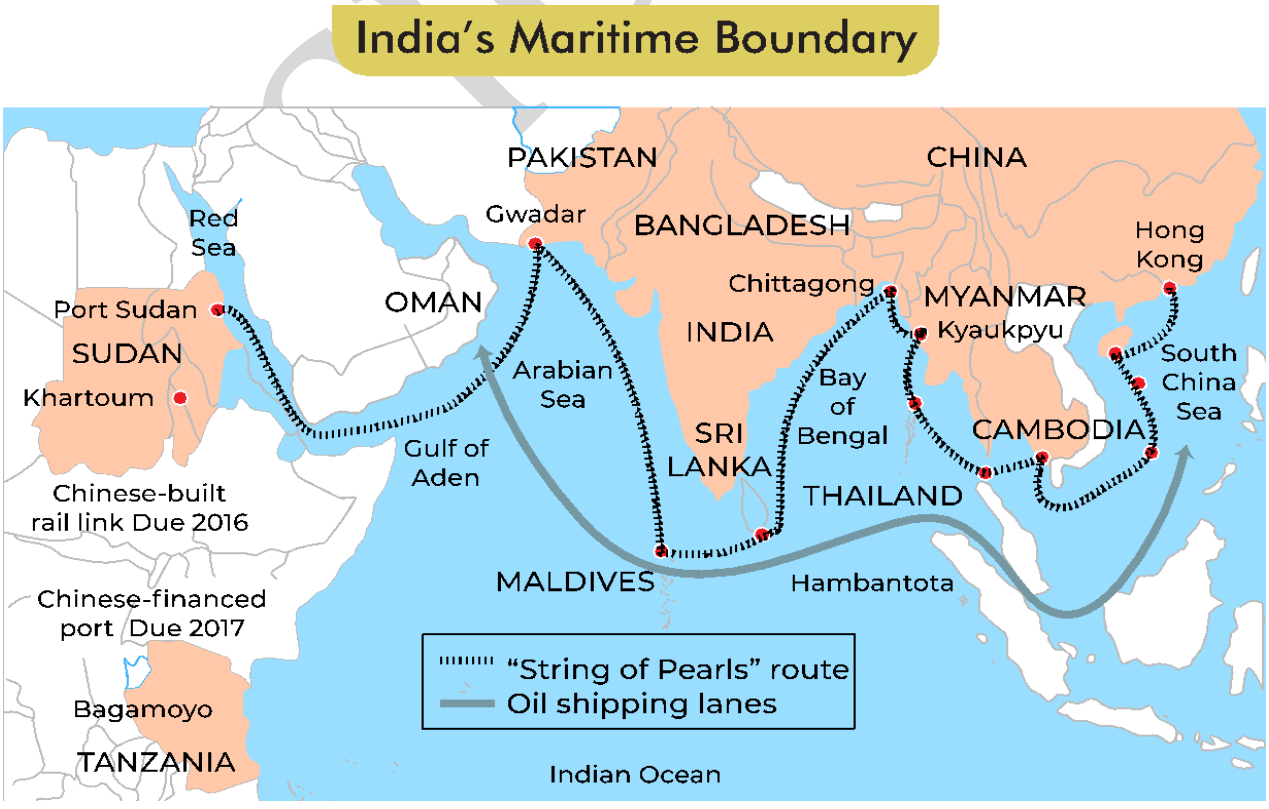

समुद्री सुरक्षा के बारे में

इसमें **राष्ट्रीय सुरक्षा, समुद्री माहौल, आर्थिक विकास, और मानवीय सुरक्षा** से संबंधित समुद्री क्षेत्र की समस्याएं शामिल हैं। इसके तहत महासागरों के अलावा क्षेत्रीय समुद्र, प्रादेशिक जल क्षेत्र, नदियां और बंदरगाह भी शामिल हैं।

भारत को समुद्री सुरक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता क्यों है?

- **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार:** भारत की आर्थिक संवृद्धि के लिए संचार के समुद्री मार्गों को सुरक्षित करना आवश्यक है क्योंकि भारत का अधिकांश आयात और निर्यात समुद्री मार्गों से होता है।
- **तटीय सुरक्षा:** भारत की 7000 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा, समुद्री खतरों के प्रति इसकी सुभेद्यता को बढ़ाती हैं। इस तथ्य की पुष्टि वर्ष 2008 के मुंबई हमलों में हो चुकी है।
- **चीन का बढ़ता प्रभाव:** हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव से भारत के क्षेत्रीय हितों के समक्ष खतरा उत्पन्न हो सकता है।
- **नीली अर्थव्यवस्था का दोहन:** समुद्री क्षेत्रक, भविष्य के लिए अपार संभावनाएं प्रस्तुत करता हैं, लेकिन इसका विकास सुरक्षित समुद्री माहौल में ही संभव है।
    - भारत की अर्थव्यवस्था की लगभग 4.1% आर्थिक गतिविधियां, समुद्री संसाधनों पर निर्भर हैं।
- **तकनीकी विकास:** वर्तमान विश्व में खतरे तेजी से विकसित हो रहे हैं, इसलिए भारत को अपने समुद्री माहौल की सुरक्षा पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
    - उदाहरण के लिए, इजरायल के एक पोत पर हाल ही में उत्तरी अरब सागर में ड्रोन से हमला किया गया। इस हमले में चालक दल के दो सदस्य मारे गए।

समुद्री चुनौतियों से निपटने के समक्ष समस्याएं

- **अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए सम्मान न होना:** अक्सर यह देखा गया है कि मजबूत राष्ट्रों द्वारा कानूनों का अनुपालन नहीं किया जाता है।
    - उदाहरण के लिए, चीन द्वारा स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (PCA)[23] द्वारा दिए गए निर्णय को नहीं मानना। इस निर्णय में दक्षिण चीन सागर में नाइन डैश लाइन में संपूर्ण क्षेत्र पर बीजिंग के दावे को खारिज कर दिया गया है।
- **वैश्विक रूप साझा समुद्री क्षेत्र:** अधिकतर समुद्री क्षेत्र, खुले समुद्र/उच्च सागर (high seas) का हिस्सा हैं, इसलिए ऐसे क्षेत्रों पर किसी भी एक देश द्वारा अपनी अधिकारिता का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसलिए, कई देश सुरक्षा के ढांचे को मज़बूत करने के लिए ऐसे क्षत्रों में अपने संसाधन का निवेश करने से बचते हैं। यह स्थिति समुद्री खतरों के प्रति उनकी **सुभेद्यता को बढ़ाती है।**
- **अंतर्राष्ट्रीय संधियों में सार्वभौमिकता का अभाव:** उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र समुद्री क़ानून संधि (UNCLOS) पर केवल हस्ताक्षर किए हैं और अभी तक इसकी अभिपुष्टि नहीं की है। इस कारण संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इस संधि के उल्लंघन की संभावना बनी रहती है।

[23] Permanent Court of Arbitration

- **परिभाषा में आम सहमति का अभाव:** समुद्री सुरक्षा की एक समान परिभाषा पर आम सहमति बनाने में राष्ट्र विफल रहे हैं।
- **भू-राजनीतिक हितों को सुरक्षा संबंधी मुद्दों से अधिक महत्व देना:** उदाहरण के लिए, रूस अपने भू-राजनीतिक हितों के कारण, दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में चीन द्वारा संयुक्त राष्ट्र समुद्री क़ानून संधि के उल्लंघन की अनदेखी करता है।

आगे की राह

- **समुद्री सुरक्षा पर 5 सूत्री एजेंडा अपनाना:** हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा 5 सूत्री एजेंडे को अपनाया गया है जिसे अक्षरशः लागू करने की आवशयकता है। इसमें शामिल है:
  - वैध व्यापार स्थापित करने के लिए बाधा रहित मुक्त समुद्री व्यापार;
  - समुद्री विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर ही होना चाहिए;
  - जवाबदेह समुद्री संपर्क को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए;
  - गैर-राज्य अभिकर्ताओं (non-state actors) और प्राकृतिक आपदाओं के कारण पैदा होने वाले समुद्री खतरों का सामूहिक रूप से सामना करने की आवश्यकता है।
  - समुद्री पर्यावरण और समुद्री संसाधनों का संरक्षण करना।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद **में एक समुद्री सुरक्षा संस्था स्थापित करने के बारे में सर्वसम्मति बनाना**, जैसा कि रूस के राष्ट्रपति द्वारा द्वारा प्रस्तावित किया गया है।
- **वैश्विक संधियों को सार्वभौमिक रूप प्रदान करना:** सभी **देशों को वैश्विक संधियों जैसे कि संयुक्त राष्ट्र समुद्री क़ानून संधि का हिस्सा होना चाहिए,** ताकि समुद्री सुरक्षा को लेकर बेहतर सहयोग और समन्वय को बढ़ावा दिया जा सके। इससे, समुद्री सुरक्षा की **एक सामान्य परिभाषा को लेकर आम सहमति बनाने में भी सहायता मिलेगी।**

समुद्री चुनौतियों से निपटने के लिए उपलब्ध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं

- **क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (SAGAR)[24]:** यह भारत द्वारा आरंभ किया गया एक विजन है। इसका उद्देश्य भारत के समुद्री पड़ोसी देशों में आर्थिक और सुरक्षा के माहौल को मज़बूत बनाना और उनकी समुद्री सुरक्षा क्षमता का निर्माण करने में सहायता करना है।
- **संयुक्त राष्ट्र समुद्री क़ानून संधि (UNCLOS)[25]:** इसमें विश्व के महासागरों के संबंध में सभी देशों के अधिकारों और दायित्वों को परिभाषित किया गया है।
- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा के लिए:**
  - **ऑस्ट्रेलिया-भारत हिंद-प्रशांत महासागरीय पहल भागीदारी (AIIPOIP)[26]:** यह ऑस्ट्रेलिया-भारत भागीदारी के तहत एक पहल है। यह एक खुली, समावेशी, लचीला, समृद्धि और नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था का समर्थन करने के लिए हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग को आकार देने हेतु सहयता करेगा।
    - यह पहल **समुद्री सुरक्षा के सात स्तंभों** पर केंद्रित है। इनमें समुद्री पारिस्थितिकी, आपदा संबंधी जोखिम में कमी करना और प्रबंधन करना आदि शामिल हैं।
  - **क्वाड (QUAD):** यह भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक सामरिक संवाद है। इसका उद्देश्य "स्वतंत्र, खुला, और समृद्ध" हिंद-प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करना और इसका समर्थन करना है।
- **सोमालिया के तट पर समुद्री डकैती पर संपर्क समूह (CGPCS)[27]:** यह एक अंतर्राष्ट्रीय शासन व्यवस्था है। इसका उद्देश्य देशों और संगठनों की बीच चर्चा और समन्वय को सुगम बनाना है, ताकि सोमाली क्षेत्र में समुद्री डकैती पर रोक लगाई जा सके।

[24] Security and Growth for all in the Region

[25] The United Nations Convention on the Law of the Sea

[26] Australia-India Indo-Pacific Oceans Initiative Partnership

DELHI | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | JAIPUR | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI 8468022022

तटीय सुरक्षा – एक नज़र में

तटीय सुरक्षा के बारे में

- यह **समुद्री सुरक्षा का एक उपसमुच्चय है** और इसमें समुद्र से उत्पन्न होने वाले खतरों के खिलाफ समुद्र तटीय क्षेत्र (कोस्टल वाटर ज़ोन) की सुरक्षा शामिल है।
- यह केंद्र और राज्य स्तर पर कई **हितधारकों के बीच समन्वित प्रयासों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है।**

भारत के लिए तटीय सुरक्षा का महत्व

- **समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना को सक्षम बनाने में** तटीय सुरक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- यह **भारत के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता** है, क्योंकि व्यापार, मछली उत्पादन और सामरिक खनिज अन्वेषण जैसे क्षेत्रों पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव है।
- **हिंद महासागर क्षेत्र** (IOR) **में भारत के भू-रणनीतिक हितों को पूरा करना, जैसे कि चीनी प्रभाव को संतुलित करना,** एक शुद्ध सुरक्षा प्रदाता बनना और HADR ऑपरेशनों का संचालन करना। {मानवीय सहायता और आपदा राहत (Humanitarian Assistance and Disaster Relief: HARD)}
- विकासात्मक गतिविधियों के कारण बढ़ते समुद्र स्तर और पर्यावरणीय निम्नीकरण जैसे **जलवायु प्रेरित संकटों से निपटना।**

तटीय सुरक्षा संरचना का विकास

वर्ष	घटनाक्रम
1974	**समुद्री सीमा शुल्क संगठन** (CMO) की स्थापना तस्करी विरोधी अभियान चलाने के लिए की गई थी।
1977	**भारतीय तटरक्षक बल** (ICG) **की स्थापना तस्करी गतिविधियों** को रोकने, सामरिक प्रतिष्ठानों की रक्षा करने, मछुआरों की सहायता करने और समुद्री पर्यावरण के संरक्षण के लिए की गई थी।
2005	3 स्तरीय सुरक्षा प्रणाली के माध्यम से गश्त और निगरानी के लिए तटीय बुनियादी ढांचे को मजबूत करने हेतु **तटीय सुरक्षा योजना** (CSS)।
26/11 हमले के बाद	भारतीय नौसेना, ICG, BSF, CISF आदि की भूमिकाओं और कर्त्तव्यों में विस्तार कर **बहुस्तरीय निगरानी प्रणाली को मजबूत किया गया था।** समुद्री डोमेन जागरूकता को मजबूत करने के लिए NC31 **नेटवर्क** और IMC की स्थापना की गई थी। तालमेल, कार्यों में एकीकरण और समन्वय के लिए **अलग-अलग सुरक्षा एजेंसी के बीच आपसी समुद्री अभ्यासों का नियमित आयोजन।** सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण आदि के लिए अन्य देशों के साथ सहयोग बढ़ाना।
2017	भारतीय नौसेना, थल सेना, IAF और तटरक्षक बल की परिसम्पत्तियों को एकीकृत करने और एक नेट-केंद्रित युद्ध मॉडल बनाने के लिए **मैरीटाइम थिएटर कमांड** प्रस्तावित किया गया है।

मौजूदा संरचना में अंतराल या कमियां

- **राज्य सरकारों के ढुलमुल रवैये** के परिणामस्वरूप तटीय बुनियादी ढांचे के निर्माण की गति धीमी है।
- **एजेंसियों की बहुलता,** परिणामस्वरूप आपसी समन्वय का अभाव।
- **आतंकवाद** पर अधिक ध्यान देने के परिणामस्वरूप गैर-पारंपरिक खतरों पर कम जोर दिया गया।
- समुद्री पुलिस बलों में पेशेवर गुण और क्षमता की कमी।
- **तकनीकी पिछड़ापन।**
- अधिकांश छोटे बंदरगाहों में **बंदरगाह की सुरक्षा उपेक्षित रह जाती है।**

मौजूदा संरचना में विद्यमान कमियों को दूर करने के तरीके

- प्रस्तावित **तटीय सुरक्षा विधेयक** को अधिनियमित करना, जिससे **नेशनल मेरीटाइम अथॉरिटी** (NMA) के गठन में सुविधा होगी।
- **निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ बनाना।**
- ICG को मजबूत बनाना।
- **केंद्रीय समुद्री पुलिस बल** (CMPF) का निर्माण।
- कुशल, समन्वित और प्रभावी कार्रवाइयों के लिए राष्ट्रीय वाणिज्यिक समुद्री सुरक्षा दस्तावेज प्रख्यापित करना।
- मछुआरों जैसे तटीय समुदाय की प्रभावी भागीदारी।
- तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) नियमों को मजबूत करना।
- **क्षमता और संसाधनों को बढ़ाने के लिए** रक्षा व्यय में सुधार करना।

[27] Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia

2.2.1. हिंद महासागर क्षेत्र में पायरेसी या समुद्री डकैती (Piracy in the Indian Ocean Region)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से **जिबूती आचार संहिता / जेद्दा संशोधन** (DCOC/JA)[28] में एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है।

जिबूती आचार संहिता के बारे में

- वर्ष 2009 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO)[29] के अंतर्गत स्थापित DCOC का उद्देश्य **पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र, अदन की खाड़ी और लाल सागर में समुद्री जहाज़ों के साथ होने वाली पायरेसी एवं सशस्त्र डकैती का दमन करना है।**
  - **जेद्दा संशोधन ने जिबूती संहिता के दायरे को काफी हद तक विस्तारित किया** है। वर्ष 2017 में इस संशोधन को जेद्दा, सऊदी अरब में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में अपनाया गया था। इसमें कई गैर-कानूनी गतिविधियों के दमन के लिए उपाय शामिल किए गए हैं, जिसमें जलदस्युता, हथियारों की तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी, वन्यजीवों का अवैध व्यापार, अवैध तेल भरण, कच्चे तेल की चोरी, मानव तस्करी और विषैले अपशिष्ट की अवैध डंपिंग शामिल हैं।
  - डकैती के कृत्य में शामिल संदिग्ध व्यक्तियों की जांच, गिरफ्तारी तथा अभियोजन, संदिग्ध जहाजों को प्रतिबंधित एवं उनको जब्त करने, जलदस्युता व सशस्त्र डकैती से जहाजों और लोगों की सुरक्षा करने तथा संयुक्त अभियानों का आयोजन करने आदि कार्यों में सदस्य देशों का सहयोग करते हैं।
- DCOC/JA समुद्री मामलों पर एक समूह है, जिसमें लाल सागर, अदन की खाड़ी व अफ्रीका के पूर्वी तट से संलग्न देश तथा हिंद महासागर क्षेत्र के द्वीपीय राष्ट्रों सहित 18 सदस्य देश शामिल हैं।
- एक **पर्यवेक्षक** के रूप में, **भारत** हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए समन्वय एवं सहयोग करने हेतु DCOC/JA के सदस्य देशों के साथ मिलकर कार्य करेगा।

पायरेसी या जलदस्युता, हिंद महासागर क्षेत्र में इससे संबंधित खतरे और वर्तमान स्थिति के बारे में

समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UN Convention on the Law of the Sea: UNCLOS) के अनुच्छेद 101 के अंतर्गत, पायरेसी को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: "किसी निजी पोत या विमान के यात्रियों द्वारा निजी उद्देश्य के लिए किसी भी देश की अधिकारिता से बाहर किसी अन्य पोत, विमान, व्यक्तियों या संपत्तियों के विरुद्ध खुले समुद्र में की गई हिंसा, कैद या लूट-पाट का कोई भी अवैध कार्य" जलदस्युता कहलाता है।

समुद्र में समृद्ध संसाधनों की उपलब्धता, स्थलीय क्षेत्रों (अर्थात् तटीय देशों) में राजनीतिक अस्थिरता, कानून के प्रवर्तन का अभाव और निर्धनता आदि इसके प्रमुख उत्तरदायी कारक हैं, जिन्होंने लगातार बढ़ती जलदस्युता की घटनाओं में योगदान दिया है। जलदस्युता के मामले **मुख्यतः अपहरण और फिरौती अदायगी के साथ** जहाजों के अपहरण के रूप में सामने आते हैं। इससे कई प्रकार के खतरे उत्पन्न होते हैं, जैसे-

[28] Djibouti Code of Conduct/ Jeddah Amendment

[29] International Maritime Organization

DELHI | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | JAIPUR | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI 8468022022

- ऐसी घटनाओं से **व्यापार में बाधा के रूप में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं** को खतरा उत्पन्न हुआ है। उदाहरण के लिए, **अफ्रीका के 90% से अधिक आयात और निर्यात** समुद्री मार्गों द्वारा संचालित होने के कारण **अफ्रीका के प्रमुख समुद्री मार्ग** (संचार के समुद्री गलियारे) पायरेसी द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं।
- **अधिकांश समुद्री डकैती के हमले** तेल और गैस परिवहन में शामिल जहाजों, जैसे- टैंकर, बड़े माल वाहक जहाज और टगबोट आदि के विरुद्ध किए जाते रहे हैं। इसके अतिरिक्त, छोटे देशों के वाणिज्यिक जहाजों और मत्स्यन में प्रयुक्त होने वाली नौकाओं को भी जलदस्युओं द्वारा लक्षित किया गया है। उदाहरण के लिए, वर्ष 2018 में नाइजीरिया की तटरेखा के निकट सबसे अधिक हमले हुए हैं। यह आंशिक रूप से **"पेट्रो-पाइरेसी"** (पेट्रोलियम के लिए डकैती) के कारण हुए हैं, जहां विशेषकर नाइजीरिया के समृद्ध तेल और गैस क्षेत्रों से आने वाले टैंकरों को लक्षित किया जाता रहा है।

वर्ष 2008 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के **जलदस्युता रोधी अभियानों हेतु संकल्प** द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में जलदस्युता के खतरे को मान्यता प्रदान की गई। उस समय, जलदस्युता को स्थानीय और वैश्विक शांति एवं सुरक्षा दोनों के लिए एक बड़ा खतरा माना गया था। हालांकि तब से, निम्नलिखित गतिविधियां हुई हैं:

- वर्ष 2011 के आसपास जलदस्युता संबंधी घटनाएं **अपने चरम** पर पहुंच गई थी। इस दौरान लगभग **160 बड़ी घटनाएं** दर्ज की गईं थी।
- **वर्ष 2013 के बाद से** हमलों और अपहरणों की संख्या में **काफी गिरावट** आई है। उदाहरण के लिए, वर्ष 2019 में इस क्षेत्र में जलदस्युता संबंधी केवल दो घटनाएँ दर्ज हुईं थीं।
- इन घटनाओं में कमी के परिणामस्वरूप, हिंद महासागर में जलदस्युता के लिए **"उच्च जोखिम क्षेत्र" (High Risk Area: HRA)** की भौगोलिक सीमा में कमी आई है।
  - HRA उस क्षेत्र को इंगित करता है, जहां जलदस्युता का खतरा विद्यमान होता है।
- इस क्षेत्र में **जलदस्युता से प्रभावित होने वाले नाविकों में से लगभग आधे फिलीपींस** से हैं, इसके बाद वे भारत, यूक्रेन और नाइजीरिया से संबंधित हैं।

वैश्विक परिस्थितियों के समक्ष जलदस्युता: "वन अर्थ फ्यूचर" रिपोर्ट:

वन अर्थ फ्यूचर वस्तुतः वैश्विक वार्षिक **समुद्री जलदस्युता की स्थिति** (State of Maritime Piracy) संबंधी एक रिपोर्ट तैयार करता है। वर्ष 2019 की रिपोर्ट में निर्दिष्ट किया गया है कि - "जहां विश्व के कुछ क्षेत्रों में जलदस्युता से संबंधित हमलों में काफी गिरावट आई है, वहीं पश्चिम अफ्रीका में ऐसी घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है और वर्तमान में यहाँ ये घटनाएँ अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक और निरंतर घटित हो रही हैं।"

- वर्ष 2018 में, पश्चिम अफ्रीकी समुद्री क्षेत्र में **112 जलदस्युता की घटनाएं** घटित हुईं थी।
- वर्ष 2015 में **एशिया में** मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच अवस्थित, **मलक्का जलडमरूमध्य** में भी ऐसे **हमलों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि** हुई थी। हालाँकि, क्षेत्रीय नौसैनिक बलों द्वारा की गई कार्रवाई के कारण वहां ऐसी घटनाओं की संख्या में कमी आई है, लेकिन जलदस्युता की घटनाएं अब भी विद्यमान हैं।
- **कैरिबियन क्षेत्र और लैटिन अमेरिकी के अपतटीय जल क्षेत्र में नौ-परिवहन के विरुद्ध** हमले बढ़ गए हैं। वेनेजुएला विशेष रूप से आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता के कारण जलदस्युता से प्रभावित एक हॉटस्पॉट (hotspot) क्षेत्र बन गया है।

इस क्षेत्र में जलदस्युता को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयास

तेल और उर्वरकों सहित भारतीय व्यापार का एक बड़ा प्रतिशत, अदन की खाड़ी से होकर गुजरता है। एक अनुमान के अनुसार, अदन की खाड़ी के माध्यम से होने वाले **भारतीय आयात और निर्यात** का मौद्रिक मूल्य क्रमशः **50 बिलियन अमेरिकी डॉलर** और **60 बिलियन अमेरिकी डॉलर** है। इस मार्ग का उपयोग करने वाले जहाजों के माध्यम से समुद्री व्यापार की सुरक्षा और निर्बाध निरंतरता, एक प्रमुख राष्ट्रीय चिंता का विषय है, क्योंकि यह हमारी अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। इस आलोक में, सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- **अनुरक्षण और सुरक्षा (Escort and protection):** वर्ष 2008 से भारतीय नौसेना द्वारा अदन की खाड़ी में **जलदस्युता-रोधी** गश्त जारी है।
  - **भारतीय नौसेना और तट रक्षक जहाजों** को भी भारतीय तट के निकट जलदस्युता प्रवण क्षेत्रों में तैनात किया गया है। अभी तक भारतीय बलों द्वारा विभिन्न राष्ट्रों के लगभग 1,000 से अधिक जहाजों को अनुरक्षण प्रदान किया गया है और 40 से अधिक जलदस्युता की घटनाओं को घटित होने से रोका गया है।
  - नौवहन महानिदेशक (Director General Shipping) ने एक **वेब-आधारित पंजीकरण सेवा** शुरू की है, जहां अदन की खाड़ी में भारतीय नौसेना के जहाजों द्वारा प्रदान की गई **अनुरक्षण (एस्कॉर्ट) सुविधा** का लाभ उठाने के लिए व्यापारिक जहाज नौवहन महानिदेशक के अंतर्गत पंजीकरण करवा सकते हैं।
- **वैश्विक समन्वय:** जलदस्युता से निपटने के लिए स्थापित किए गए विभिन्न बहुपक्षीय मंचो में भाग लेकर वैश्विक समन्वय को बनाए रखने का प्रयास किया गया है।
  - भारत **"शेयर्ड अवेयरनेस एंड डी-कॉन्फ्लिक्शन (SHADE)"** जैसे विभिन्न तंत्रों का एक सक्रिय भागीदार देश रहा है, जिसे सूचनाओं के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थापित किया गया है।
  - **भारत, जापान और चीन** (चूँकि तीनों राष्ट्र यहाँ स्वतंत्र रूप से गश्त में संलग्न हैं) ने **समन्वयपूर्ण गश्त** हेतु सहमति व्यक्त की है, ताकि विशेष रूप से अदन की खाड़ी में सभी प्रमुख जहाजों द्वारा उपयोग के लिए स्थापित अंतर्राष्ट्रीय रूप से अनुशंसित पारगमन गलियारे में (समुद्री जहाजों को अनुरक्षण प्रदान करने के लिए) संयुक्त समुद्री संपत्तियों का एक प्रभावी और इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा जलदस्युता के दमन हेतु किए गए प्रयास

- **सोमालिया अपतटीय क्षेत्र में जलदस्युता पर संपर्क समूह (CGPCS)[30]:** इसे वर्ष 2009 में सोमालिया के अपतटीय क्षेत्र में जलदस्युता के विरुद्ध लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के समन्वय के लिए एक स्वैच्छिक व तदर्थ अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में स्थापित किया गया था।
- **समुद्री सुरक्षा कार्यक्रम (MASE)[31]:** यह पूर्वी एवं दक्षिणी अफ्रीका और हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूरोपीय संघ द्वारा वित्त पोषित एक कार्यक्रम है। MASE के अंतर्गत, हिंद महासागर आयोग द्वारा मेडागास्कर और सेशेल्स में दो क्षेत्रीय केंद्रों के साथ पश्चिमी हिंद महासागर की निगरानी और नियंत्रण के लिए एक तंत्र स्थापित किया गया है।
- **समुद्री अपराध कार्यक्रम - हिंद महासागर[32]:** संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय के समुद्री अपराध कार्यक्रम[33] के तहत हिंद महासागर दल (Indian Ocean team) आपराधिक न्याय क्षमता निर्माण पर ध्यान देने के साथ-साथ समुद्री अपराधों का सामना करने की दिशा में प्रयासों को बढ़ाने और समन्वय स्थापित करने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में राष्ट्रों की सहायता करता है।
- **अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्रयास:**
  - **अफ्रीकी संघ का लोम चार्टर[34]: समुद्री सुरक्षा, संरक्षा एवं विकास पर अफ्रीकी चार्टर[35]**, जिसे **लोम चार्टर** के नाम से भी जाना जाता है, को **वर्ष 2016 में अफ्रीकी संघ के सदस्य राष्ट्रों और सरकारों के प्रमुखों** द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था।
  - **याउंडे आचार संहिता[36]:** यह दस्तावेज विशेषकर पश्चिमी और मध्य अफ्रीका के हस्ताक्षरकर्ता देशों को समुद्री अधिकार-क्षेत्र; समुद्री आतंकवाद; अवैध, गैर-सूचित एवं अविनियमित (IUU)[37] मत्स्यन तथा अन्य अवैध गतिविधियों जैसे पार-राष्ट्रीय संगठित अपराध के दमन में पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त/प्रदान करने के उद्देश्य से एक मंच प्रदान करता है।

मूल कारण को संबोधित करना: आगे की राह

हाल के दिनों में हिंद महासागर क्षेत्र में जलदस्युता-रोधी प्रयासों में उल्लेखनीय सफलताएँ प्राप्त हुई हैं। लेकिन जलदस्युता **के मूल कारण** अर्थात् **सोमालिया के तटीय समुदायों में निर्धनता, रोजगार के अवसरों की कमी** और साथ ही **विधिक, शासकीय और समुद्री बुनियादी ढांचे की कमी** को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया गया है।

---

[30] Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia

[31] Maritime Security Programme

[32] Maritime Crime Programme (MCP) - Indian Ocean

[33] United Nations Office on Drugs and Crime's (UNODC) Maritime Crime Programme

[34] African Union's Lomé Charter

[35] The African Charter on Maritime Security, Safety and Development in Africa

[36] Yaoundé Code of Conduct

[37] Illegal, Unreported and Unregulated

DELHI | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | JAIPUR | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI 8468022022

सोमालिया के पुंटलैंड (Puntland) राज्य से प्राप्त सीख

- वर्ष 2008 से **पुंटलैंड** जलदस्युता के विरुद्ध कार्यरत है।
- जलदस्युता संबंधी गतिविधियों का केंद्र होने के बावजूद, जलदस्यु समूहों को दूर रखने और तट को सुरक्षित करने के लिए इस संघीय राज्य ने **समुद्री पुलिस बल की स्थापना करने** जैसे सक्रिय और प्रभावी प्रतिक्रियात्मक उपाय किए हैं।

जलदस्युता-रोधी उपायों की दीर्घकालिक सफलता एक स्थिर और एकीकृत सोमालिया पर निर्भर करती है, जिसे निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है:

- एक अधिक सुसंगत क्षेत्रीय प्रयास के माध्यम से **तस्करी की गतिविधियों की रोकथाम** द्वारा इन समूहों को मिलने वाले **आर्थिक समर्थन को रोकने में मदद** मिलेगी।
- **सोमालिया की नौसेना के क्षमता निर्माण की आवश्यकता है**, ताकि विदेशी नौसेनाओं पर निर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की आवश्यकता उत्तरोत्तर कम होती रहे।
- जलदस्युओं के नेटवर्कों को उभरने में सक्षम बनाने वाले मूल कारणों को संबोधित करने के साथ-साथ व्यापक जलदस्युता-रोधी प्रयासों के जरिए **जलदस्यु समूहों पर दबाव बनाए रखना** चाहिए।

अन्य संबंधित तथ्य: हिंद महासागरीय क्षेत्र में वैश्विक शक्तियों के मध्य प्रतिस्पर्धा

हिंद महासागरीय क्षेत्र, सामरिक प्रतिस्पर्धा का एक प्रमुख क्षेत्र बन गया है। यहां अन्य क्षेत्रों की सेनाओं के सौ से अधिक युद्धपोत अलग-अलग मिशन के लिए तैनात किए गए हैं। वैश्विक शक्तियों ने हिंद-महासागरीय क्षेत्र स्थित देशों के अवसंरचनात्मक विकास में निवेश हेतु पुनः इच्छा दिखाई है, ताकि भौगोलिक राजनीतिक प्रभाव को बनाए रखा जा सके और उसे बढ़ाया जा सके। इसके पीछे उत्तरदायी प्रमुख कारणों में शामिल हैं:

- यहां प्रमुख मौजूद मार्गों/निगरानी केन्द्रों (choke points) जैसे कि होरमुज़ जलसंधि, मलक्का जलसंधि इत्यादि के कारण **हिंद महासागर क्षेत्र विश्व व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बन गया है।**
- **साथ ही प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि तेल, पॉलीमेटैलिक ग्रंथियां, मछली इत्यादि की प्रचुरता के कारण,**
- वैश्विक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, **क्योंकि हिंद महासागर क्षेत्र में दुनिया के आधे से अधिक ऐसे देश स्थित हैं जो सशस्त्र संघर्ष से प्रभावित रहे हैं।**
- **चीन के प्रसार को रोकने हेतु,**
- **समुद्री व्यवस्था को सुरक्षित बनाए रखने हेतु,**

भारत, कैसे हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित कर सकता है?

- द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय और बहु पक्षीय व्यवस्थाओं को सुदृढ़ता प्रदान करते हुए भारत **सामरिक स्वायत्ता बनाए रख सकता है।** जैसे कि 'JAI' (जापान, ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया), भारत-आसियान (दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ) और अन्य।
- सैन्य लॉजिस्टिक समझौतों, जैसे कि LEMOA के माध्यम से **क्षमता मज़बूत करना।**
- सार्क में सक्रिय भागीदारी हेतु देशों को पुनः प्रोत्साहित और बिम्सटेक एफ.टी.ए. (BIMSTEC FTA) को अंतिम रूप देकर **क्षेत्रीय संपर्क और व्यापार में सुधार करना।**
- **छोटे तटीय देशों के साथ सहयोग को सुनिश्चित कर सकता है**, ताकि चीन के प्रति उनके झुकाव को रोका जा सके।

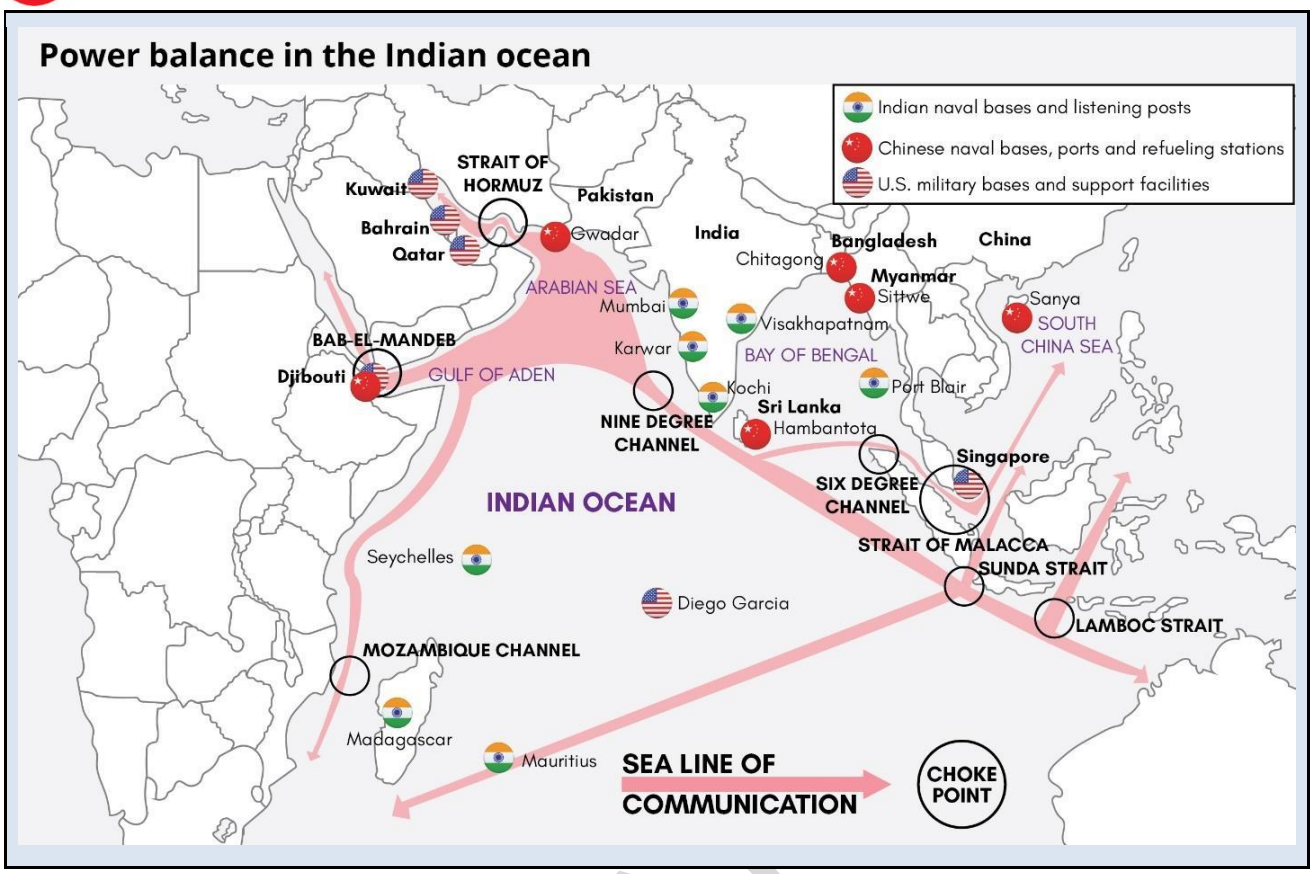
Power balance in the Indian ocean
Indian naval bases and listening posts
Chinese naval bases, ports and refueling stations
U.S. military bases and support facilities
STRAIT OF HORMUZ
Kuwait
Bahrain
Qatar
Pakistan
Gwadar
India
Bangladesh
Chitagong
China
Myanmar
Sittwe
Sanya
SOUTH CHINA SEA
ARABIAN SEA
Mumbai
Visakhapatnam
BAY OF BENGAL
Karwar
Kochi
Port Blair
BAB-EL-MANDEB
Djibouti
GULF OF ADEN
NINE DEGREE CHANNEL
Sri Lanka
Hambantota
Singapore
SIX DEGREE CHANNEL
INDIAN OCEAN
STRAIT OF MALACCA
SUNDA STRAIT
Seychelles
Diego Garcia
LAMBOC STRAIT
MOZAMBIQUE CHANNEL
Madagascar
Mauritius
SEA LINE OF COMMUNICATION
CHOKE POINT

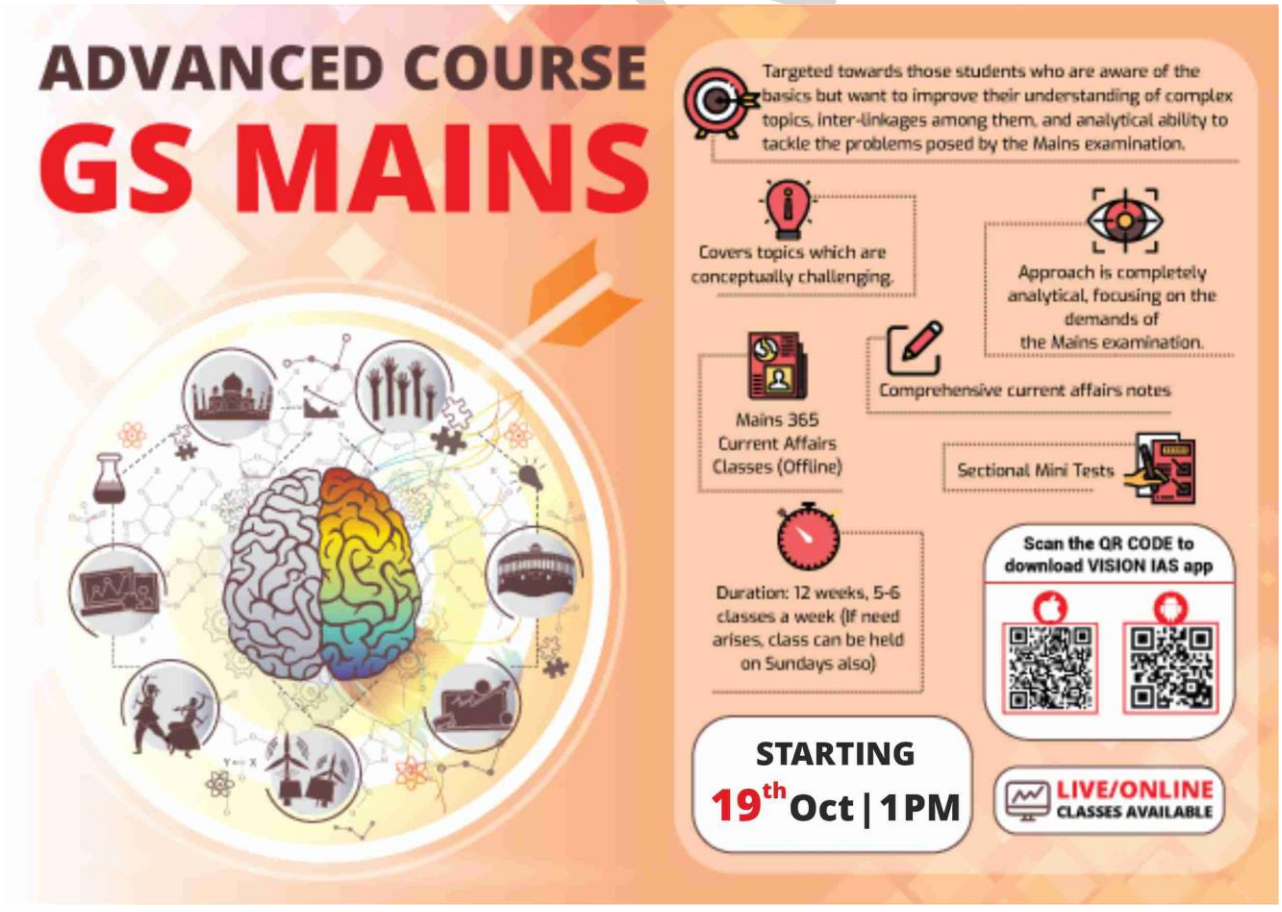
ADVANCED COURSE
GS MAINS
Targeted towards those students who are aware of the basics but want to improve their understanding of complex topics, inter-linkages among them, and analytical ability to tackle the problems posed by the Mains examination.
Covers topics which are conceptually challenging.
Approach is completely analytical, focusing on the demands of the Mains examination.
Comprehensive current affairs notes
Mains 365 Current Affairs Classes (Offline)
Sectional Mini Tests
Duration: 12 weeks, 5-6 classes a week (If need arises, class can be held on Sundays also)
Scan the QR CODE to download VISION IAS app
STARTING
19th Oct | 1PM
LIVE/ONLINE CLASSES AVAILABLE

3. आतंकवाद (Terrorism)

आतंकवाद – एक नज़र में

संक्षिप्त विवरण

- भारत शुरू से ही राज्य प्रायोजित सीमा–पार आतंकवाद का शिकार रहा है। साथ ही, यह आतंकवादी समूहों से उत्पन्न होने वाली अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे को उजागर करने में सबसे आगे रहा है।
- इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, 2020 में आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों (2019 में) की सूची में दुनिया में भारत का 8वां स्थान था।

राजनीतिक सहमति
राष्ट्रीय रणनीति तैयार करते समय केंद्र सरकार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ गहन बातचीत करनी चाहिए

सुशासन और सामाजिक–आर्थिक विकास
विकास कार्यों और धरातल पर उनके वास्तविक क्रियान्वयन को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है

विधि के शासन का सम्मान
सरकारी एजेंसियों को गंभीर परिस्थितियों से निपटने में भी कानून का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए

आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत की रणनीति

आतंकवादियों की विध्वंसक गतिविधियों का मुकाबला करना
आतंकवाद और उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए सैन्य उपायों के विपरीत **नागरिक उपायों पर जोर** दिया जाना चाहिए

उपयुक्त कानूनी ढांचा प्रदान करना
इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ विशेष कानून और प्रभावी प्रवर्तन तंत्र

क्षमता निर्माण
आसूचना एकत्रित करने वाली मशीनरी, सुरक्षा एजेंसियों, नागरिक प्रशासन और समाज को सशक्त बनाना

भारत के आतंकवाद–रोधी उपाय

- **राष्ट्रीय स्तर पर:** राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA); नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID); राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG); गैर–कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967; धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2005 आदि के माध्यम से आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकना
- **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर:** भारत ने निम्नलिखित के माध्यम से आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक अंतर–सरकारी ढांचे के अंगीकरण को प्राथमिकता दी है–
  - संयुक्त राष्ट्र के संकल्प जैसे–आतंकवादियों को सामूहिक विनाश के हथियार हासिल करने से रोकने के उपायों पर संकल्प, परमाणु हथियारों के उपयोग के निषेध पर कन्वेंशन
  - **अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक कन्वेंशन (CCIT) का प्रस्ताव**
  - **US–इंडिया होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग**
  - मुंबई अब **ग्लोबल नेटवर्क ऑफ़ सिटीज ऑन टेरर फाइट** का एक हिस्सा है
  - फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की वैश्विक प्रणाली का हिस्सा बनकर **आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करना**
  - **ब्रिक्स आतंकवाद–रोधी रणनीति**
  - **आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद का मुकाबला करने पर शंघाई कन्वेंशन**

3.1. विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम {Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

गृह मंत्रालय ने निर्दिष्ट किया है कि वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2019 में **विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम** अर्थात् **UAPA** से संबंधित मामलों की संख्या में 72% से अधिक की वृद्धि हुई है।

UAPA के बारे में

विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 को **व्यक्तियों और संगठनों के कतिपय** विधिविरुद्ध क्रिया-कलापों **का अधिक प्रभावी निवारण** तथा **आतंकवादी गतिविधियों और तत्संगत विषयों** से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया था।

- यह अधिनियम **व्यक्ति/व्यक्तियों या संगठन (व्यष्टि या संगम) द्वारा की गई ऐसी किसी भी कार्रवाई को, जो भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग पर आधिपत्य या नियंत्रण स्थापित करती हो, भारत की संप्रभुता को खंडित या भारत की अखंडता को बाधित करता हो,** उसे **विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप या गैरकानूनी गतिविधि (Unlawful activity)** के रूप में परिभाषित करता है।
- **सरकार के पास उपलब्ध शक्तियां:**
  - इस अधिनियम के तहत, केंद्र सरकार किसी व्यक्ति या संगठन को आतंकवादी/आतंकी संगठन के रूप में घोषित कर सकती है, यदि वह:
    - **आतंकवादी घटना को अंजाम देता है या उसमें भाग लेता है,**
    - **आतंकवाद के लिए स्वयं को तैयार करता है,**
    - **आतंकवाद को बढ़ावा देता है, या**
    - **अन्यथा आतंकवाद में संलिप्त है।**
  - यह अधिनियम केंद्र सरकार को **'गैरकानूनी'** घोषित किए गए संगठनों को **अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिबंधित करने की शक्ति प्रदान करता** है।
  - इस अधिनियम के तहत **भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों दोनों पर मुकदमा चलाया** जा सकता है। इसके अलावा, यदि भारत के बाहर **विदेशी भूमि पर अपराध** किया गया है, तो इस अधिनियम के तहत उसी रीति से अपराधियों पर क़ानूनी कार्यवाही की जाती है।
  - इस अधिनियम के तहत ऐसे मामलों की जांच **राज्य पुलिस और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (National Investigation Agency: NIA)** दोनों के द्वारा की जा सकती है।
- **अपील तंत्र:** यह अधिकरण को, प्रतिबंध के खिलाफ अपील की समीक्षा करने या सुनवाई करने का अधिकार प्रदान करता है।

वर्तमान समय में भारत के संदर्भ में UAPA कानून का महत्व

- **भारत से आतंकवाद को पूर्णतः समाप्त करना:** आतंकवादियों और विद्रोहियों को भारत में कई स्रोतों से सामग्री और धन संबंधी सहायता (आतंकवाद के मुख्य संचालक) प्राप्त होती रही है। उदाहरणस्वरूप, वर्ष 2001 के बाद से, 8,473 भारतीय, आतंकवादियों के द्वारा मारे गए हैं।
- **व्यक्ति पर भी केंद्रित:** एकल व्यक्ति या व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित न करना, उन्हें कानून के प्रावधानों में व्याप्त कमियों का फायदा उठाकर बच निकलने का अवसर प्रदान करता था तथा वे ऐसी स्थिति में भिन्न-भिन्न नाम के संगठनों के तहत एकत्रित होकर आतंकी गतिविधियों को संपादित करते रहते थे।
  - यह विशेषकर लोन वुल्फ अटैक (इसमें एकल व्यक्ति पूरी घटना को अंजाम देता है) के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जो किसी भी संगठन से संबंधित नहीं होता है।
- मामलों की जांच के लिए इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को सशक्त बनाकर **न्याय वितरण की प्रक्रिया को तीव्र करना** और जांच प्रक्रिया को 90 दिनों के भीतर पूरा करना अनिवार्य है।
- **संपत्ति जब्त करने संबंधी विलंब को कम कर सकता है:** इस अधिनियम में NIA के अधिकारी को मामले की जांच के दौरान पुलिस महानिदेशक की स्वीकृति के बिना आतंकवाद से जुड़ी संपत्ति को जब्त करने की शक्ति प्रदान की गई है।

UAPA में संशोधन

- **वर्ष 2004 में संशोधन:** किसी आतंकवादी गतिविधियों या किसी आतंकवादी संगठन की सदस्यता आदि के लिए निधि जुटाकर आतंकवादी संगठन का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करना।
- **वर्ष 2008 में संशोधन:** इसके तहत आतंकी अपराधों के वित्तपोषण की व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए "निधि" संबंधी प्रावधान के दायरे को बढ़ाया गया था।
- **वर्ष 2012 में संशोधन:** इसके तहत देश की आर्थिक सुरक्षा के समक्ष जोखिम उत्पन्न करने वाले अपराधों को शामिल करने के लिए

"**आतंकवादी कृत्य** (terrorist act)**"** की परिभाषा को विस्तारित कर दिया गया था।

- **वर्ष 2019 में संशोधन:**
  - इस संशोधन के तहत **एकल व्यक्ति या व्यक्तियों को भी आतंकवादी के रूप में नामित** करने की शक्ति सरकार को सौंप दी गई। इससे पहले, केवल संगठनों को आतंकवादी संगठनों के रूप में नामित किया जा सकता था।
  - इसके अतिरिक्त यदि जांच, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA)[38] के अधिकारी द्वारा की जाती है, **तो आतंकवाद से जुड़ी संपत्ति को जब्त करने के लिए** NIA **के महानिदेशक की स्वीकृति अनिवार्य होगी**। (इससे पहले, पुलिस महानिदेशक की स्वीकृति अनिवार्य होती थी)।
  - इसके तहत मामलों की जांच के लिए इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के रैंक के **NIA** के अधिकारी को अधिकृत किया गया है।
  - इस अधिनियम के तहत अनुसूची में परमाणु आतंकवाद संबंधी कृत्यों का दमन करने संबंधी अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय[39] के प्रावधानों को शामिल किया गया है।

UAPA अधिनियम, 2019 से जुड़ी चुनौतियां

- **अस्पष्ट और संदिग्ध परिभाषाएं:** यह अधिनियम आतंकवाद को परिभाषित नहीं करता है तथा साथ ही, इस अधिनियम में **"गैरकानूनी गतिविधि"** को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि यह लगभग प्रत्येक हिंसक कृत्य को समाहित करती है चाहे वह राजनीतिक हो या गैर-राजनीतिक प्रकृति के हों।
- **अत्यधिक विवेकाधीन शक्तियां:** किसी व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में वर्गीकृत करने के लिए कोई वस्तुनिष्ठ मापदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं और किसी को आतंकवादी के रूप में नामित करने के लिए सरकार को **"निर्बाध शक्तियां"** प्रदान की गई हैं।

- **अनुच्छेद 14, 19 (1) (a), 21 जैसे मूल अधिकारों को चुनौती:** यह अधिनियम आतंकवादी के रूप में संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तारी से पूर्व अपने पक्ष को सही ठहराने के लिए कोई अवसर प्रदान नहीं करता है। इस अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों को बिना चार्जशीट फाइल किए 180 दिन तक कैद में रखा जा सकता है।
- **'दोषी साबित होने तक निर्दोष' जैसे सिद्धांत के विपरीत:** यह अधिनियम मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा[40] और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार वाचा[41] के अधिदेश का उल्लंघन करता है, जो **इस सिद्धांत को एक सार्वभौमिक अधिकार के रूप में मान्यता** प्रदान करता है।
- **अल्प सजा दर:** वर्ष 2016-2019 के दौरान अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए 5,922 व्यक्तियों में से केवल 2.2% को ही न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है।
- **अपील प्रक्रिया से जुड़ी चुनौतियाँ:** इस अधिनियम के अंतर्गत अपील हेतु प्रावधान किया गया है, हालांकि अपील संबंधी तीन सदस्यीय पुनरावलोकन समिति का गठन स्वयं सरकार द्वारा किया जाएगा, जिनमें दो सेवारत नौकरशाह शामिल होंगे।

निष्कर्ष

- आतंकवाद का सामना करने के लिए कठोर कानूनों की आवश्यकता है ताकि अधिकारी आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही करते समय विधिक रूप से शक्तिहीन महसूस न करें। लेकिन इसके साथ-साथ **मानवाधिकारों और संवैधानिक मूल्यों को भी संतुलित करने की आवश्यकता** है।

[38] National Investigation Agency

[39] International Convention for Suppression of Acts of Nuclear Terrorism, 2005

[40] Universal Declaration of Human Rights

[41] Universal Declaration of Human Rights

- आतंकी मामलों में न्यायिक प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए यह अधिनियम महत्वपूर्ण है। हालांकि, कानून की उचित प्रक्रिया का प्रत्येक स्तर पर अधिनियम के तहत शामिल एजेंसियों द्वारा पालन किया जाएगा। साथ ही, ऐसे कानूनों के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए न्यायपालिका की भूमिका सर्वोपरि है।

3.2. वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (Financial Action Task Force: FATF)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पाकिस्तान द्वारा अपने देश में आतंकवाद के वित्त-पोषण में संलग्न अभिकर्ताओं के विरुद्ध मुकदमा चलाने और उनको दंडित करने की निर्धारित समय सीमा का अनुपालन करने में विफल रहने के कारण उसके **वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF)** की **ग्रे लिस्ट (grey list)** में बने रहने की संभावना प्रकट हुई है।

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) के बारे में

- FATF **वैश्विक धन शोधन[42] एवं आतंकवाद के वित्त-पोषण की निगरानी करने** वाला एक निकाय है।
- यह एक अंतर-सरकारी संगठन है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों को निर्धारित करता है। इसका उद्देश्य इन अवैध गतिविधियों और इनसे उत्पन्न होने वाली समाजिक क्षति को कम करना है।
- वर्तमान में इसमें **37 सदस्य देश (भारत सहित)** तथा 2 क्षेत्रीय संगठन, यथा- यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद शामिल हैं।
- इसे जुलाई 1989 में **G-7 द्वारा अपने पेरिस शिखर सम्मेलन** के दौरान स्थापित किया गया था। आरम्भ में इसका कार्य धन शोधन से निपटने के उपायों का परीक्षण करना और उनको विकसित करना था।
  - कालांतर में धन शोधन के अतिरिक्त, आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने और **व्यापक जनसंहार के हथियारों के प्रसार के वित्तपोषण** के रोकथाम संबंधी प्रयासों को शामिल करने हेतु इसके कार्यक्षेत्र में विस्तार किया गया था।
- FATF द्वारा **आतंकवाद से निपटने हेतु विशेष अनुशंसाओं** की एक श्रृंखला का प्रतिपादन किया गया था, जो आतंकवादियों एवं आतंकवादी संगठनों को, वित्तपोषण और वित्तीय प्रणाली तक पहुंच से वंचित करने के उपायों को रेखांकित करती है।
  - आतंकवादी वित्त-पोषण के स्रोत दान और धर्मार्थ दान से प्राप्त धन जैसे **वैध निधियन** स्रोतों से लेकर मादक द्रव्यों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, तस्करी और हथियारों के अवैध व्यापार जैसी गतिविधियों से प्राप्त **गैरकानूनी वित्तीयन** स्रोत तक हो सकते हैं।

आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने में FATF की भूमिका

- **आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने हेतु वैश्विक मानदंडों को निर्धारित करना:** यह सुनिश्चित करता है FATF की अनुशंसाओं के अनुसार सभी सदस्य देशों द्वारा आतंकवाद-संबंधी वित्तीय प्रवाह को प्रतिबंधित करने के उपायों का कार्यान्वयन किया गया है या नहीं। सभी सदस्य देशों के लिए आवश्यक है कि वे:
  - व्यक्तिगत आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के वित्तपोषण को अपराध घोषित करें।
  - बिना किसी विलंब के आतंकवादी परिसंपत्तियों को जब्त करें और विद्यमान निषेधों को कार्यान्वयित करें।
- **आतंकवाद के वित्तपोषण को प्रतिबंधित करने, पता लगाने, जांच करने और उसके विरुद्ध मुकदमा चलाने संबंधी क्षमता का मूल्यांकन करना:** FATF द्वारा दो सूचियां जारी की जाती हैं, यथा-
  - **ब्लैक लिस्ट (Black list)** (इसे आधिकारिक रूप से **कार्रवाई की आवश्यकता के अधीन उच्च जोखिमपूर्ण क्षेत्राधिकार** के रूप में जाना जाता है)
    - इसमें उन देशों को शामिल किया गया है, जिनमें **धन शोधन-रोधी और आतंकवाद के वित्तपोषण रोधी (AML/CFT) विनियामक क़ानूनों** का अभाव है।\
    - ब्लैक लिस्ट में शामिल देश, FATF के सदस्य देशों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा **आर्थिक प्रतिबंधों एवं अन्य निषेधात्मक उपायों के अधीन** होते हैं।
    - वर्तमान में FATF की ब्लैक लिस्ट में दो देश शामिल हैं, यथा- **उत्तर कोरिया और ईरान।**
  - **ग्रे लिस्ट (Grey list)** (इसे आधिकारिक रूप से **अत्यधिक निगरानी वाले क्षेत्राधिकार** के रूप में संदर्भित किया जाता है)
    - FATF की ग्रे सूची में शामिल देश धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण के अत्यधिक उच्च जोखिम का प्रतिनिधित्व करते हैं, किंतु कार्रवाई की योजनाओं (जो AML/CFT की कमियों को दूर करेंगे) को विकसित करने हेतु FATF के साथ कार्य करने के लिए औपचारिक रूप से प्रतिबद्ध हैं।

[42] Global Money Laundering

DELHI | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | JAIPUR | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI 8468022022

- इन देशों को FATF द्वारा **अत्यधिक निगरानी** के अधीन सूचीबद्ध किया गया है।
- यद्यपि ग्रे-लिस्ट का वर्गीकरण ब्लैक लिस्ट की तुलना में उतना नकारात्मक नहीं है, किंतु इस सूची में शामिल देशों को IMF और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं से आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे व्यापार प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है।

- **आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों से संबंधित वित्तीय प्रावधानों के कार्यान्वयन में देशों को सहायता प्रदान करना:** FATF ने आतंकवादी वित्तपोषण का पता लगाने, रोकने, दंडित करने और सीमित करने में सहायता करने हेतु कई उपायों एवं दिशा-निर्देशों को विकसित किया है।

3.3. जैव-आतंकवाद (Bio-Terrorism)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में एक संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट **'कोविड-19 महामारी का प्रकोप और उसका प्रबंधन'**[43] में जैव आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा कानून बनाने की आवश्यकता को रेखांकित किया है।

जैव आतंकवाद से संबंधित तथ्य

[43] The Outbreak of Pandemic COVID-19 and its Management

- जैव आतंकवाद किसी क्षेत्र की आबादी के विनाश के उद्देश्य से व्यापक पैमाने पर जीवन के लिए संकट उत्पन्न करने वाले रोगों को फैलाने हेतु बैक्टीरिया, वायरस या उनके विषाक्त पदार्थों जैसे सूक्ष्मजीवों के रोगजनक उपभेदों का एक **नियोजित एवं सुविचारित उपयोग** है।

- ये कारक **स्कड मिसाइल, स्प्रे करने वाले मोटर वाहन, हैंड पंप स्प्रेयर, पुस्तक या पत्र, बंदूकें, रिमोट कंट्रोल, रोबोट आदि द्वारा** प्रसारित किए जाते हैं।
- ऐसे रोगों/हमलों की उत्पत्ति की निगरानी करना प्रायः कठिन होता है।

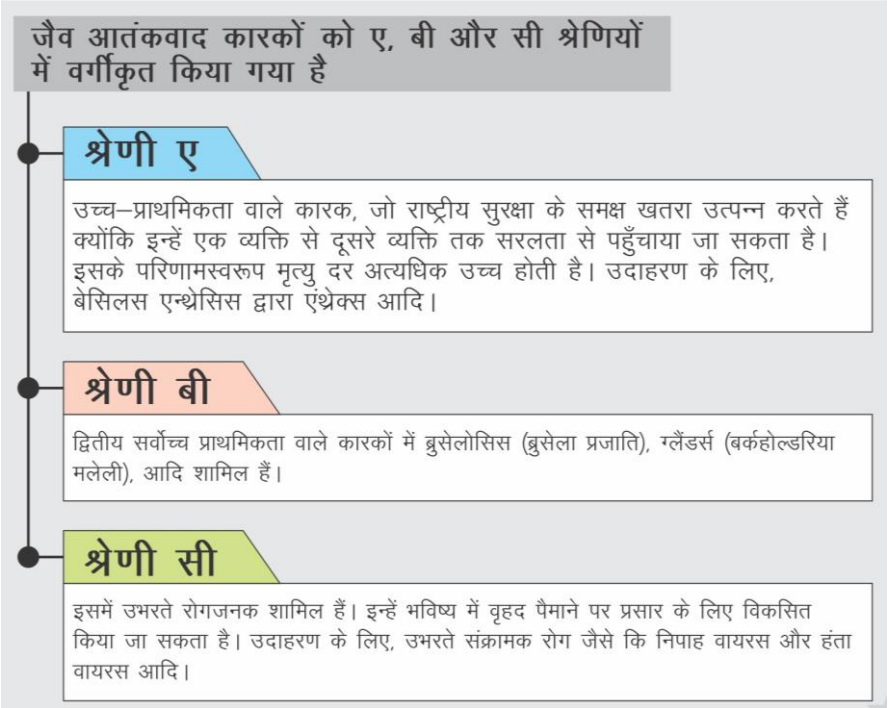

भारत में जैव आतंकवाद के विरुद्ध कानून की आवश्यकता

- **भारत की उच्च सुभेद्यता:** उच्च जनसंख्या घनत्व, अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं, उपोष्णकटिबंधीय जलवायुवीय परिस्थितियां, निम्नस्तरीय सफाई व्यवस्था और अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाएं भारत को ऐसे हमलों के प्रति अतिसंवेदनशील बनाती हैं।
- **समाज पर इसके प्रभाव को नियंत्रित करना:** जैव आतंकवाद लोगों के मध्य क्षति, भय और चिंता का कारण बनता है तथा किसी देश के समाज एवं सरकार को प्रभावित करता है। ये जैविक हथियार विशाल आबादी में व्यापक पैमाने पर मृत्यु दर और रुग्णता का कारण बन सकते हैं तथा न्यूनतम समय में अधिकतम नागरिक व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं।
- **प्रौद्योगिकी विकास के कारण हमलों में वृद्धि:** जैव प्रौद्योगिकी और नैनो प्रौद्योगिकी के इस युग ने पारंपरिक बैक्टीरिया, वायरस और विषाक्त पदार्थों के अतिरिक्त **अधिक परिष्कृत जैविक कारकों** के लिए एक सरल पहुंच का निर्माण किया है।

भारत में जैव आतंकवाद का मुकाबला करने के मौजूदा उपाय

- **महामारी अधिनियम 1897 (Epidemic Diseases Act of 1897):** यह अधिनियम अधिकारियों को खतरनाक महामारियों के प्रसार की बेहतर रोकथाम के लिए विशेष अधिकार प्रदान करता है।
- **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority: NDMA):** NDMA द्वारा एक मॉडल उपकरण को प्रस्तावित किया गया है। इसमें जैविक आपदा के खतरे का प्रबंधन करने के लिए सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की भागीदारी प्राथमिक आवश्यकता है। मौजूदा कार्यबल के आधे सदस्य विशेष रूप से **रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु (CBRN)**[44] खतरों से निपटने के लिए प्रशिक्षित हैं।
- **एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (Integrated Disease Surveillance Project: IDSP):** इसे विश्व बैंक के सहयोग से आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य रोग की प्रवृत्तियों की निगरानी करना है। साथ ही, प्रशिक्षित त्वरित प्रतिक्रिया दल के माध्यम से शुरुआती बढ़ते चरण में प्रकोपों की पहचान तथा अनुक्रिया करने के लिए विकेंद्रीकृत प्रयोगशाला-आधारित सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम रोग निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करना है।
- **अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (International Health Regulations):** भारत में संशोधित अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों को जून 2007 में लागू किया गया था। ये अंतर्राष्ट्रीय चिंता की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति उत्पन्न करने वाले रोग के अंतर्राष्ट्रीय प्रसार के प्रति एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहल

- **जैविक और विषाक्त हथियार संधि (Biological and Toxin Weapons Convention: BTWC):** यह प्रथम बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण संधि है। इसमें जीवाणिक (जैविक) और विषाक्त हथियारों के विकास, उत्पादन तथा संग्रहण पर प्रतिबंध लगाया गया है।

[44] Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear

- **इंटरपोल बायोटेरिज्म प्रिवेंशन यूनिट (INTERPOL Bioterrorism Prevention Unit):** इसका उद्देश्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को बैक्टीरिया, वायरस या जैविक विषाक्त पदार्थों (जो मनुष्यों, जानवरों या कृषि के लिए संकट उत्पन्न करते हैं या क्षति पहुंचाते हैं) के जानबूझकर उपयोग को रोकने के लिए तैयार रहने एवं प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाना है।
- **जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल (Cartagena Protocol on Biosafety):** यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न **जीवित संशोधित जीवों (LMOs)[45] के सुरक्षित** संचालन, परिवहन और उपयोग को सुनिश्चित करना है।

जैव आतंकवाद का मुकाबला करने का तंत्र

- **विधि द्वारा प्रतिरोध:** इसके लिए लोक स्वास्थ्य (महामारी, जैव-आतंकवाद और आपदाओं की रोकथाम, नियंत्रण एवं प्रबंधन) विधेयक, 2017 की तर्ज पर लोक स्वास्थ्य विधेयक प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। लोक स्वास्थ्य विधेयक, 2017 में महामारी (epidemic), अलगाव (isolation), संगरोध (quarantine) और सामाजिक दूरी (social distancing) को परिभाषित किया गया था, लेकिन यह विधेयक व्यपगत हो गया।
  - विधेयक द्वारा **महामारी अधिनियम,1897 को भी निरस्त करने की आवश्यकता** है। ज्ञातव्य है कि यह अधिनियम जैविक खतरे के संदर्भ में प्रावधानों और शर्तों को परिभाषित नहीं करता है।
- **रोकथाम:** आसूचना में वृद्धि, जांच, केस स्टडी, हमलों की रोकथाम, कानून प्रवर्तन कर्मियों की तैयारी एवं प्रशिक्षण तथा संबंधित कानूनी एवं राजनीतिक ढांचे के माध्यम से जैव आतंकवादी हमलों की रोकथाम की जानी चाहिए।
- **निगरानी एवं मूल्यांकन:** इन्हें गैर-विशिष्ट परिलक्षणों के प्रतिरूपों की पहचान और उनके आकलन के माध्यम से संपन्न किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि निगरानी एवं मूल्यांकन जैविक हमले की शुरुआती अभिव्यक्तियों को इंगित कर सकते हैं।
- **लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन:** ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता और प्रयोगशाला कर्मचारी अनुक्रिया करते हैं, इसलिए शुरुआती मामलों की पहचान करने में ये सर्वाधिक सहायक होंगे।
  - इसलिए संक्रमण नियंत्रण और प्रशासनिक कर्मियों के संयोजन से **जैविक जीव के निदान एवं परीक्षण के लिए प्रयोगशाला तथा संस्थानव्यापी प्रतिक्रिया योजना, दोनों** विकसित की जानी चाहिए।
- **चिकित्सा प्रबंधन:** इसमें **निवारक, प्रेरक और उपचारात्मक सेवाओं** को शामिल किया जाना चाहिए, जैसे- रोग के प्रसार को रोकने के लिए आबादी के उस वर्ग की पहचान करना जिसे कीमोप्रोफिलैक्सिस दी जानी है। साथ ही, इसमें स्वास्थ्य ढांचे के साथ प्रशासनिक तंत्र की रूपरेखा भी तैयार की जानी चाहिए।
- **सामान्य जनता को जागरुक करना:** इस संदर्भ में विधि प्रवर्तन एजेंसियों, अस्पतालों के चेतावनी नेटवर्क और सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसियों आदि द्वारा प्रशिक्षण एवं शिक्षा के माध्यम से जागरुकता का प्रसार किया जा सकता है

न्यूज़ टुडे

- 4 पृष्ठों में कवर किया जाने वाला दैनिक समसामयिकी समाचार बुलेटिन।
- सुर्खियों के प्राथमिक स्रोत: द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी (PIB)। अन्य स्रोतों में शामिल हैं. न्यूज ऑन एयर, द मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स आदि।
- इसका उद्देश्य प्रचलित विभिन्न घटनाओं के बारे में जानने के लिए प्राथमिक स्तर की जानकारी प्रदान करना है।
- इसमें दो प्रकार के दृष्टिकोणों को शामिल किया गया है यथा:
  - दिवसीय प्राथमिक सुर्खियों – 180 से कम शब्दों में दिन की मुख्य सुर्खियों को शामिल किया गया है।
  - अन्य सुर्खियाँ– ये मूल रूप से समाचारों में आने वाली एक पंक्ति की जानकारियाँ हैं। यहां शब्द सीमा 80 शब्द है।
- यह अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में उपलब्ध है। हिंदी ऑडियो, विजन आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है।

[45] Living Modified Organisms

3.4. नक्सल हिंसा (Naxal Violence)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, छत्तीसगढ़ के सुकमा में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए।

Areas affected by Naxal violence

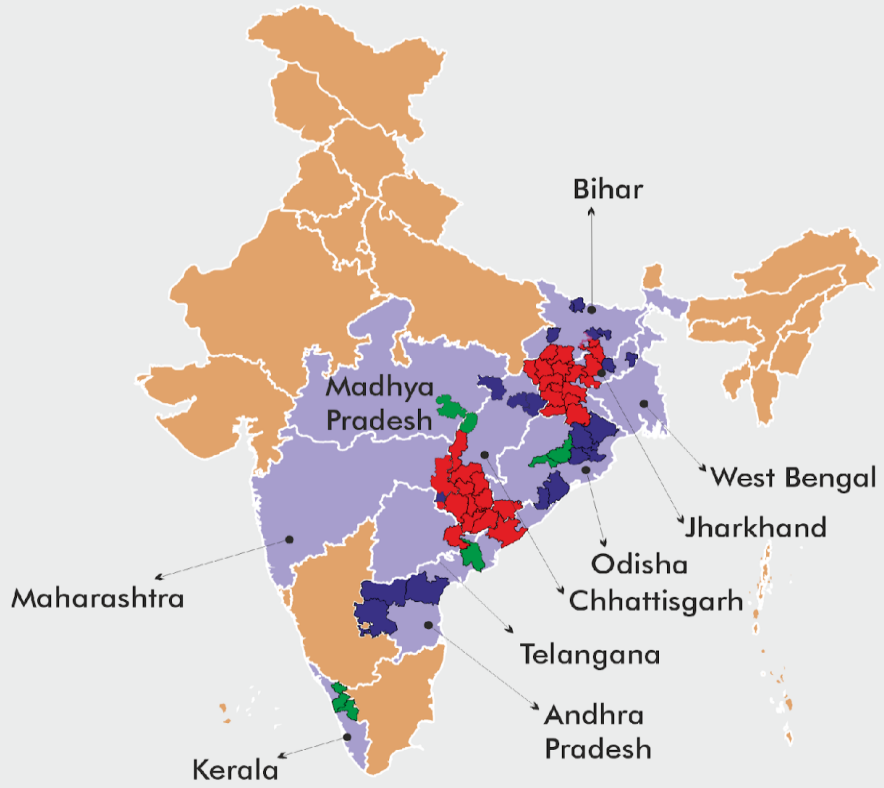

SHRINKING RED CORRIDOR

What a recent MHA survey has said about Left Wing Extremism-affected districts

DISTRICTS ADDED TO LWE-AFFECTED LIST

CHHATTISGARH: Kabirdham
KERALA: Wayanad,Malappuram, Palakkad
MADHYA PRADESH: Mandla
ODISHA: Boudh,Angul
ANDHRA PRADESH: West Godavari

SOME DISTRICTS REMOVED FROM LWE-AFFECTED LIST

ODISHA: Keonjhar, Mayurbhanj, Ganjam, Gajapati, Dhenkanal, Jaipur
BIHAR: Patna, Bhojpur, Sheohar, Sitamarhi, Begusarai, Khagaria
CHHATTISGARH: Sarguja, Korea, Jashpur
ANDHRA PRADESH: Prakasam, Kurnool, Anantapur
JHARKHAND: Deogarh, Pakur
MAHARASHTRA: Aheri

THIRTY MOST-AFFECTED LWE DISTRICTS

CHHATTISGARH: Sukma, Rajnandgaon, Narayanpur, Kondagaon, Kanker, Dantewada, Bijapur, Bastar
JHARKHAND: Bokaro, Chatra, Garhwa, Giridih, Gumla, Hazaribagh, Khunti, Latehar, Lohardaga, Palamu, Simdega West, Ranchi, Singhbhum
ODISHA : Koraput, Malkangiri
TELANGANA: Bhadradri
BIHAR : Lakhisarai, Jamui, Gaya, Aurangabad
ANDHRA PRADESH: Visakhapatnam
MAHARASHTRA: Gadchiroli

भारत में नक्सलवाद

- नक्सलवाद वस्तुतः वामपंथी/माओवादी विचारधाराओं से प्रेरित, राज्य के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह का एक रूप है। भारत में इसे **वामपंथी उग्रवाद (Left Wing Extremism: LWE)** या **माओवाद** के नाम में भी जाना जाता है।
- भारत में नक्सल हिंसा की शुरुआत पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग ज़िले के नक्सलबाड़ी गाँव से हुई थी। नक्सलबाड़ी के नाम पर इसे नक्सल आंदोलन या नक्सल हिंसा की संज्ञा दी गयी है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 1967 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) {Communist Party of India (Marxist)} ने पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से इस हिंसा की शुरुआत की थी।
  - नक्सल समर्थक उन लोगों के समूह हैं जो चीनी राजनीतिक नेता **माओ ज़ेडॉन्ग** की शिक्षाओं पर आधारित राजनीतिक सिद्धांतों में विश्वास करते हैं।
- हालांकि, नक्सली भारत में सर्वाधिक उत्पीड़ित लोगों के प्रतिनिधित्व का दावा करते हैं, जो प्राय: भारत की विकास गाथा से वंचित और चुनावी प्रक्रिया में शामिल हो पाने में असमर्थ रहे हैं।
- ऐसे संघर्ष/सशस्त्र विद्रोह के क्षेत्र मुख्यतः देश के पूर्वी हिस्से में केंद्रित हैं, विशेष रूप से छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में, जिन्हें **लाल गलियारे (Red Corridor)** के रूप में चिन्हित किया गया है।
- केंद्र और प्रभावित राज्यों द्वारा जवाबी कार्रवाई के रूप में चलाए गए अभियानों के परिणामस्वरूप माओवादी प्रायोजित हिंसा को कम करने में मदद मिली है। कोविड-19 महामारी और राष्ट्रीय लॉकडाउन भी माओवादियों के लिए बड़े आघात सिद्ध हुए हैं, क्योंकि इनके कारण कई महीनों तक महत्वपूर्ण आपूर्ति बाधित रही है।
- परिणामस्वरूप पिछले छह वर्षों की घटनाओं की तुलना (वर्ष 2009 से लेकर वर्ष 2014 तक) में वर्ष 2015 से लेकर वर्ष 2020 के बीच वामपंथी उग्रवाद से संबंधित घटनाओं में 47 प्रतिशत की कमी आई है।
- वर्तमान में देश के 11 राज्यों के 90 जिलों को वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित माना गया है।
- छत्तीसगढ़ और झारखंड देश भर में नक्सली हिंसा की 69.10% घटनाओं हेतु उत्तरदायी हैं।

वामपंथी उग्रवाद के प्रसार के कारण

भूमि से संबंधित कारक	• भूमि हदबंदी (Land Ceiling) से संबंधित कानूनों के कार्यान्वयन में शिथिलता। • विशिष्ट भू-धृति पद्धति (special land tenures) की मौजूदगी (हदबंदी कानूनों के तहत छूट का लाभ उठाने हेतु)। • समाज के शक्तिशाली वर्गों द्वारा सरकार और सामुदायिक भूमि (यहां तक कि जल निकायों) का अतिक्रमण व उन पर कब्जा। • भूमिहीन निर्धनों द्वारा कृषि की जाने वाली सार्वजनिक भूमि पर उनका स्वामित्व अधिकार न होना। • पांचवीं अनुसूची के तहत शामिल क्षेत्रों में जनजातीय भूमि के हस्तांतरण (गैर-जनजातीय व्यक्ति को) पर रोक लगाने वाले कानूनों का निम्न स्तरीय कार्यान्वयन। • पारंपरिक भूमि अधिकारों का गैर-विनियमन।
शासन संबंधी कारक	• प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा सहित आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं में भ्रष्टाचार व निम्न सेवा प्रदायगी / सेवा प्रदायगी का अभाव। • अक्षम, कम प्रशिक्षित और अल्प-प्रेरित लोक कर्मचारी। • पुलिस द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग और कानून के मानदंडों का उल्लंघन। • चुनावी राजनीति का विकृत स्वरूप और स्थानीय सरकारी संस्थाओं का असंतोषजनक कार्य। • वर्ष 2006 में वन अधिकार अधिनियम को अधिनियमित किया गया था, परंतु वन नौकरशाही इसके प्रति असंवेदनशील बनी रही।
विस्थापन और बलात बेदखली	• जनजातियों द्वारा परंपरागत रूप से उपयोग की जाने वाली भूमि से उन्हें बेदखल करना। • खनन, सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के कारण तथा पुनर्वास की पर्याप्त व्यवस्था के बिना विस्थापन करना। • उचित क्षतिपूर्ति या पुनर्वास के बिना 'सार्वजनिक उद्देश्यों' के लिए बड़े पैमाने पर भूमि का अधिग्रहण।
आजीविका से संबंधित कारक	• खाद्य सुरक्षा का अभाव। • पारंपरिक व्यवसायों का बाधित होना और वैकल्पिक रोजगार के अवसरों में गिरावट। • जन संपत्ति संसाधनों पर उनके पारंपरिक अधिकारों से वंचित रखना।

वामपंथी उग्रवाद (LWE) से प्रभावित राज्यों के लिए महत्वपूर्ण पहल

'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य सूची का विषय होने के कारण, वामपंथी उग्रवाद की चुनौती से निपटने का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। हालांकि, गृह मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालय द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों के सुरक्षा प्रयासों हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान किए जाते हैं, जैसे-

- **राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना (National Policy and Action Plan):** इसे वर्ष 2015 से गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। यह वामपंथी उग्रवाद का सामना करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति है। इस योजना के तहत स्थानीय समुदायों की सुरक्षा, स्थानीय विकास, स्थानीय समुदायों के अधिकारों को सुनिश्चित करना आदि जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाता है।
- **वर्ष 2017-21 की अवधि हेतु पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के तहत प्रमुख उप-योजनाएं:**
  - **सुरक्षा संबंधी व्यय (SRE)[46] योजना (वर्ष 2017 में स्वीकृत):** इसका उद्देश्य वामपंथी उग्रवाद की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों की क्षमता को सुदृढ़ करना है।
  - सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और सेवाओं में व्याप्त अंतराल के समापन हेतु वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित 30 जिलों के लिए **विशेष केंद्रीय सहायता (SCA)[47]** का प्रावधान किया गया है।
  - वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में 250 सुदृढ़ पुलिस थानों के निर्माण सहित **विशेष अवसंरचना योजना (SIS)[48]** का प्रावधान किया गया है।
  - **वामपंथी उग्रवाद प्रबंधन योजना के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता** प्रदान की जा रही है।
  - व्यक्तिगत वार्ता के माध्यम से सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों के मध्य विश्वसनीय संपर्क स्थापित करने हेतु **सिविक एक्शन प्रोग्राम (CAP) संचालित किया गया है।**
  - माओवादी अधिप्रचार का मुकाबला करने के लिए **मीडिया प्लान योजना** परिचलनरत है।
- **बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित पहलें:**
  - नक्सल प्रभावित जिलों में सड़क कनेक्टिविटी में सुधार के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा **सड़क आवश्यकता योजना- I और II[49]** को लागू किया जा रहा है।
  - मोबाइल कनेक्टिविटी में सुधार के लिए **LWE मोबाइल टावर परियोजना** और **सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (USOF)[50]** के तहत परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान कर दी गई है।
  - मानव रहित वाहन के माध्यम से **राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन** नक्सल विरोधी अभियानों में सुरक्षा बलों को सहायता प्रदान करता रहा है।
- **कौशल विकास संबंधी योजनाएं:**
  - **रोशनी (ROSHNI)** वस्तुतः **पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना** के तहत संचालित एक विशेष पहल है। इसके अंतर्गत प्रभावित जिलों के ग्रामीण निर्धन युवाओं के प्रशिक्षण और नियुक्ति की परिकल्पना की गई है।
  - वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में **आई.टी.आई. और कौशल विकास केंद्र** स्थापित किए गए हैं।
- **संस्थागत उपाय:**
  - **ब्लैक पैंथर कॉम्बैट फोर्स:** यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के ग्रेहाउंड यूनिट की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार का एक विशेष नक्सल विरोधी लड़ाकू बल है।
  - **बस्तरिया बटालियन:** यह छत्तीसगढ़ के चार अत्यधिक नक्सल प्रभावित जिलों के आदिवासी युवाओं तथा पर्याप्त महिला प्रतिनिधित्व के साथ केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF) की एक नवगठित बटालियन है।
    - मामलों की जांच के लिए **राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA)[51] में एक पृथक स्कंध** की स्थापना की गई है।
    - **नक्सलियों के वित्तपोषण की जांच के लिए बहु-अनुशासनात्मक समूह:** गृह मंत्रालय ने माओवादियों के वित्तीय प्रवाह को रोकने के लिए आसूचना ब्यूरो (IB), NIA, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI), प्रवर्तन निदेशालय (ED) और राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI) तथा राज्य पुलिस सहित केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बहु-अनुशासनात्मक समूह निर्मित किए हैं।
- **शिक्षा के माध्यम से युवाओं को रचनात्मक रूप से जोड़ना:** दंतेवाड़ा जिले में शैक्षिक केंद्र और आजीविका केंद्र की सफलता को देखते हुए, सरकार ने अब सभी जिलों में आजीविका केंद्र खोल दिए हैं। इन्हें आजीविका कॉलेज के रूप में जाना जाता है।

[46] Security Related Expenditure

[47] Special Central Assistance

[48] Special Infrastructure Scheme

[49] Road Requirement Plan (RRP) I & II

[50] Universal Service Obligation Fund

[51] National Investigation Agency

VISION IAS

- **अन्य उपाय:**
  - वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए **अधिक बैंक शाखाएं** खोली गई हैं।
  - **ऑल इंडिया रेडियो स्टेशनों** ने बस्तर में मनोरंजन के विकल्प बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय कार्यक्रमों के प्रसारण को आरंभ किया है।

समाधान (SAMADHAN)

यह वामपंथी उग्रवाद (LWE) से निपटने के लिए गृह मंत्रालय की अल्पकालिक व दीर्घकालिक नीतियों के निर्माण हेतु एक रणनीति है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

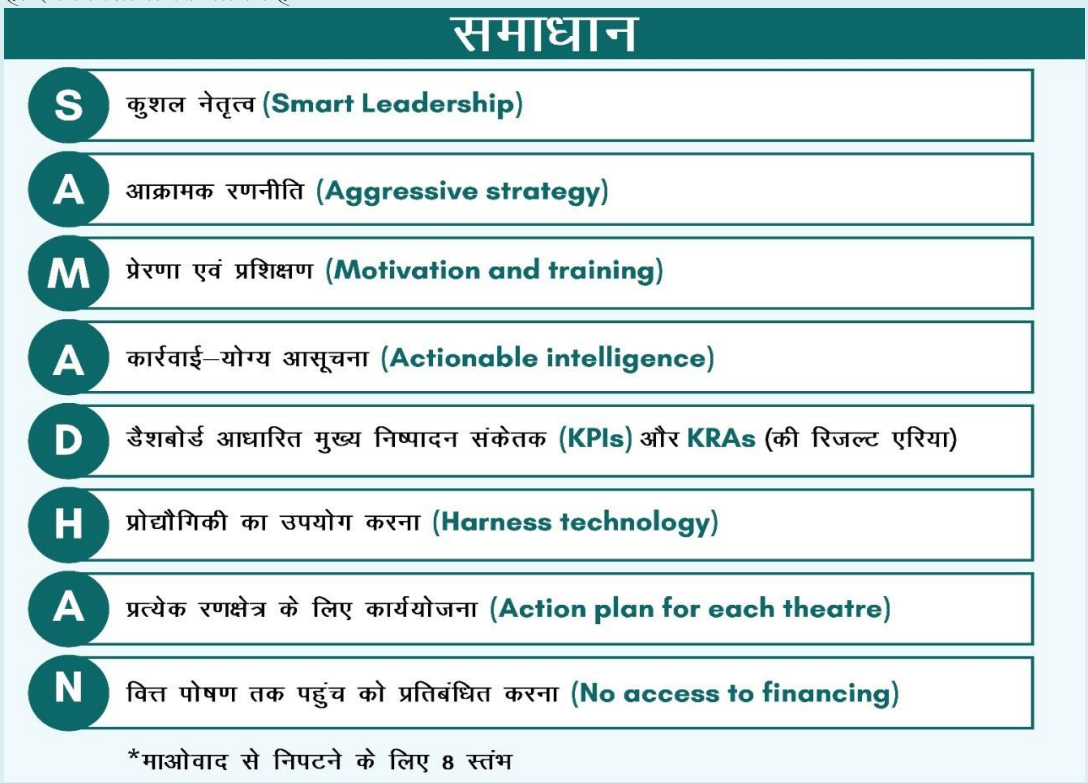

*माओवाद से निपटने के लिए 8 स्तंभ

आगे की राह

सक्रिय पुलिसिंग और समग्र विकास की दोतरफा नीति के सकारात्मक परिणाम दृष्टिगोचर हो रहे हैं तथा भविष्य में महत्वपूर्ण परिणामों के लिए इसे जारी रखा जाना चाहिए। साथ ही, इन निम्नलिखित तथ्यों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए:

- **सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखना:** आंध्र प्रदेश में ग्रे-हाउंड, माओवादी गतिविधियों को काफी हद तक कम करने में सफल रहे हैं। इसी प्रकार, छत्तीसगढ़ पुलिस भी बस्तर में माओवादियों से निपटने में सदैव सफल रही है, इसलिए वे अब सीमावर्ती राज्यों के साथ खुफिया और जमीनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए समन्वय कर रहे हैं।
- इस क्षेत्र में आदिवासियों को **अलगाव की ओर ले जा रही समस्या के मूल कारण को समाप्त** करना आवश्यक है। हालांकि निम्नलिखित घटकों पर अब ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए:
  - **वित्तीय सशक्तीकरण:** ऋण और

विपणन तक पहुंच में सुधार करने और वंचितों को सशक्त बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के गठन को प्रोत्साहित करने के उपायों पर बल दिया जाना चाहिए।

- **बुनियादी ढांचा विकास:** व्यापक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को कार्यान्वित करना चाहिए, विशेष रूप से सड़क नेटवर्क का विकास करना चाहिए, जिनका चरमपंथियों द्वारा पुरजोर विरोध किया जाता है। ऐसी बुनियादी परियोजनाओं का विकास स्थानीय ठेकेदारों के स्थान पर सीमा सड़क संगठन (BRO) जैसी विशेष सरकारी एजेंसियों की मदद से किया जा सकता है।
- **वन अधिकार:** अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006[52] के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

- **सहकारी संघवाद:** केंद्र और राज्यों को अपने समन्वित प्रयासों को जारी रखना चाहिए। यहां केंद्र को राज्य पुलिस बलों द्वारा संचालित अभियानों में सहायक के तौर पर भूमिका निभानी चाहिए।
- **प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना:** सुरक्षा कर्मियों के जीवन की हानि को कम करने के लिए तकनीकी लाभ अवश्य उठाए जाने चाहिए। उदाहरणार्थ- माइक्रो या मिनी-यू.ए.वी. या छोटे ड्रोन, उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले पी.टी.जेड. कैमरे, जी.पी.एस. ट्रैकिंग, हैंड-हेल्ड थर्मल इमेजिंग, रडार और सैटेलाइट इमेजिंग आदि तकनीकों को अपनाया जाना चाहिए। साथ ही, हथियारों में ट्रैकर और स्मार्ट गन में बायोमेट्रिक्स जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि उग्रवादियों द्वारा लूटे गए हथियारों के प्रयोग को रोका जा सके।
- **वित्तीयन को अवरुद्ध करना:** अवैध खनन/वन ठेकेदारों और ट्रांसपोर्टरों एवं चरमपंथियों के बीच गठजोड़, जो चरमपंथी आंदोलन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य करता है, को राज्य पुलिस द्वारा विशेष जबरन-वसूली रोधी और धन-शोधन रोधी प्रकोष्ठ की स्थापना के माध्यम से समाप्त करने की आवश्यकता है।
- **विश्वास और जागरूकता उत्पन्न करने में मीडिया की भूमिका:** माओवादियों के प्रति लोगों के सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार को परिवर्तित करने तथा लोगों के मन में नक्सलियों द्वारा उत्पन्न किए गए भय को समाप्त करने के लिए मीडिया का सहयोग लिया जाना चाहिए। साथ ही, लोगों के मन में यह विश्वास उत्पन्न करने पर बल दिया जाना चाहिए कि राज्य उनके साथ है।

सफलता की कहानी: आंध्र प्रदेश में संचालित ग्रे हाउंड्स

- वर्ष 1989 में, आंध्र प्रदेश द्वारा ग्रे हाउंड्स नामक एक विशिष्ट बल का गठन किया गया था। यह वन क्षेत्रों में युद्ध करने में समर्थ और माओवादी विरोधी रणनीति में प्रशिक्षित एक सैन्य बल है। इसने बड़ी सफलता के साथ दक्षतापूर्ण ऑपरेशन किए हैं।
- इसे आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति तथा दूरस्थ एवं आंतरिक क्षेत्र विकास विभाग की स्थापना के साथ प्रारम्भ किया गया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कल्याणकारी योजनाएं और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं माओवादी क्षेत्रों के लिए तैयार की गई हैं।
- वर्ष 1999 तक, ग्रे हाउंड के गठन के लगभग 10 वर्ष पश्चात् राज्य पुलिस ने सफलतापूर्वक कार्रवाई करना प्रारंभ कर दिया था। यदाकदा की असफलता के साथ, वर्ष 2011 तक, आंध्र प्रदेश अंततः माओवादियों को समाप्त करने में सफल रहा।

3.5. ओवर-ग्राउंड वर्कर (Overground Workers: OGWs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, जम्मू और कश्मीर (J&K) पुलिस ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के एक शिविर पर किए गए ग्रेनेड हमले के आरोप में तीन ओवरग्राउंड वर्करों को गिरफ्तार किया है।

[52] Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act, 2006

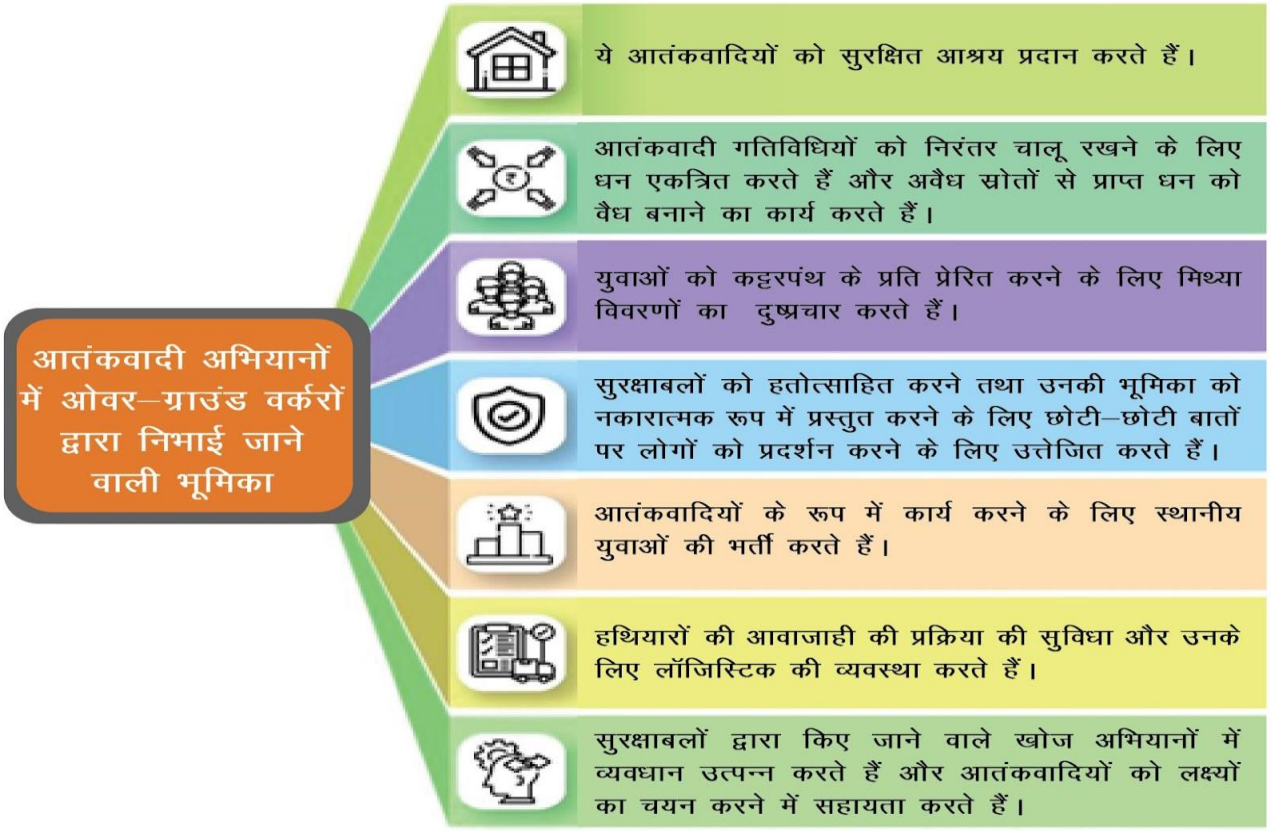

ओवर-ग्राउंड वर्कर्स (OGWs) कौन होते हैं?

- जम्मू और कश्मीर पुलिस **"आतंकवादियों को समर्थन प्रदान करने वाले व्यक्ति" को ओवर-ग्राउंड वर्कर के रूप में संदर्भित करती है।**
  - संदिग्ध उग्रवादियों या आतंकवादियों को सुरक्षित आश्रय, बच निकलने की सुविधा या सूचना प्रदान करने या उनके लिए एक संदेशवाहक के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को ओवर-ग्राउंड वर्कर कहा जाता है।
- **ओवर-ग्राउंड वर्कर** को प्रायः **'बिना हथियारों के आतंकवादी'** के रूप में भी संदर्भित किया जाता है।
- इन्हें आम तौर पर **सुनियोजित रूप से फंसाने** की रणनीति बनाकर भर्ती किया जाता है। इसके तहत युवाओं का पहले कट्टरपंथीकरण किया जाता है। तत्पश्चात उन्हें अधिक गंभीर अपराधों में शामिल किया जाता है और अंततः वें **ओवर-ग्राउंड वर्कर के रूप में** कार्य करने लगते हैं।
- **ओवर-ग्राउंड वर्करों** की भावी आतंकवादी बनने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है।
  - हिज़्ब-उल-मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी समूहों द्वारा कश्मीर में आतंकवाद को बनाए रखने हेतु सुस्थापित **ओवर-ग्राउंड वर्करों** के एक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है।

ओवर-ग्राउंड वर्करों से निपटने में आने वाली समस्याएं

- **इस हेतु अपनाए जाने वाले कठोर उपायों से उग्रवाद/चरमपंथ को बढ़ावा मिल सकता है:** OGW से संबंधित गतिविधियों के लिए युवाओं की आकस्मिक गिरफ़्तारी से उनके, समाज में वापस मुख्यधारा में शामिल होने की संभावनाएं पूरी तरह से समाप्त हो सकती हैं। इस प्रकार यह स्थिति आतंकवादियों को ऐसे युवाओं को देशद्रोह के लिए उकसाने में सहयोग कर सकती है।
- **सरकार की नकारात्मक धारणा:** OGWs के प्रति सरकार की कार्रवाई सामान्य जनता के बीच एक मजबूत **"हम बनाम उन"** की अवधारणा को बढ़ावा दे सकती है और उन्हें भारतीय राजनीति से अलग कर सकती है।
- **पता लगान कठिन:** OGWs छोटे पैमाने पर हमले करने में भी समर्थ होते हैं, और घटना को अंजाम देने के बाद आबादी के साथ अतिशीघ्र घुल-मिल जाते हैं।

ओवरग्राउंड वर्करों से निपटने हेतु उपाय

- **ओवरग्राउंड वर्करों, आतंकवादियों और राष्ट्र विरोधी तत्वों का पता लगाने हेतु विभिन्न एजेंसियों को मिलकर संयुक्त रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है** ताकि इस प्रकार से उपलब्ध खुफिया जानकारी और जमीनी वास्तविकताओं के मध्य सामंजस्य स्थापित किया जा सके।

- युवाओं के बीच अलगाव की भावना और विश्वास की कमी को दूर करने के क्रम में **युवाओं को देश की मुख्यधारा से जोड़ने वाले कार्यक्रमों को व्यापक स्तर पर लागू किया जाना** चाहिए।
    - उदाहरण के लिए, युवा फोरमों को एक ऐसे मंच के रूप में संचालित किया जा सकता है जहां राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से चर्चा की जा सके।
- **कश्मीर के लिए एक दीर्घकालिक कट्टरता उन्मूलन और कट्टरता रोधी नीति विकसित करना:** इसके लिए इस विषय से संबंधित विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत जांच की आवश्यकता होगी। इसके तहत विभिन्न पहलुओं को शामिल करने वाले दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए। इन विशेषज्ञों में धार्मिक विद्वान, धर्म और राजनीति दर्शन के विशेषज्ञ, साइबर-जिहाद के विशेषज्ञ, मनोवैज्ञानिक, शिक्षाविद, नागरिक समाज के सदस्य आदि शामिल हो सकते हैं।
- **मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पुनर्वास के साथ-साथ रणनीतिक संपर्क व्यवस्था** से उनकी मानसिकता को परिवर्तित किया जा सकता है और उन्हें मुख्यधारा में वापस लाया जा सकता है।
- OGWs की कानून विरोधी गतिविधियों के साक्ष्य एकत्रित करने और उन्हें उजागर करने के लिए समय-समय पर **खुफिया-सूचना आधारित स्टिंग ऑपरेशन को लॉन्च** किया जाना चाहिए।
- सोशल मीडिया पर चरमपंथ को बढ़ावा देने वाली विषय-वस्तुओं को हतोत्साहित करने के लिए **कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अन्य तकनीकों में निवेश को बढ़ावा** दिया जाना चाहिए।

OGWs से निपटने के लिए भारत में उठाए गए कदम

- वर्ष 2017 में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा उग्रवादी नेटवर्क एवं उनके **ओवर-ग्राउंड वर्करों** और शीर्ष आतंकवादी कमांडरों को समाप्त करने के लिए **ऑपरेशन ऑल आउट** शुरू किया गया था।
- शांति और सुरक्षा को बाधित करने वाले राष्ट्र विरोधी तत्वों और **ओवर-ग्राउंड वर्करों** को गिरफ़्तार करने हेतु **जम्मू और कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, 1978** का उपयोग किया जाता है।
- **ऑपरेशन सद्भावना**, जम्मू और कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा आरंभ की गई एक अनूठी मानवीय पहल है। इसका उद्देश्य आतंकवाद से प्रभावित लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना है। इसके तहत शिक्षा, महिला और युवा सशक्तीकरण तथा स्वास्थ्य देखभाल जैसे सामाजिक संकेतकों में सुधार करने पर बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सामुदायिक/अवसंरचना विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से क्षमता निर्माण हेतु भी कार्य किया जाता है।
- **वर्ष 2021 में आरंभ किया गया "मिशन पहल":** इसके तहत, अधिकारियों द्वारा कश्मीरी युवाओं के साथ प्रत्यक्ष वार्ताएं की जाती हैं। इसका उद्देश्य युवाओं को अपनी शिकायतों और भारत सरकार तथा सेना के अधिकारी के प्रति उनमें व्याप्त अविश्वास के कारणों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- **उस्ताद, उड़ान और नई मंजिल** जैसी शिक्षा छात्रवृत्ति और आजीविका योजनाएं।
- **हिमायत** और **प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)** जैसी कई योजनाओं के तहत **जम्मू-कश्मीर के युवाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर** भी प्रदान किए जाते रहे हैं।
- **सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग:** स्थानीय पुलिस के साथ-साथ सशस्त्र बलों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है। इसके तहत चरमपंथी कंटेंट तथा भड़काऊ लेखों की निगरानी की जाती है और इसके बारे में तकनीकी प्लेटफार्मों को सूचना दी जाती है। साथ ही, इस प्रकार की विषयवस्तु का खंडन करने के लिए वास्तविक जानकारी भी उपलब्ध कराई जाती है।
- **कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा किये गए अन्य प्रयासों में शामिल हैं:**
    - पुलिस और जनता के बीच विभिन्न स्तरों पर बेहतर संपर्क स्थापित करना।
    - जम्मू और कश्मीर में कार्य करने वाले सभी सुरक्षा बलों के बीच रियल टाइम आधारित खुफिया जानकारी साझा करना।
    - सुरक्षा बलों द्वारा अतिरिक्त नाके लगाकर और गश्त आदि उपायों के द्वारा उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए कदम उठाना।
    - राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) द्वारा आतंकवादी संगठनों को मिलने वाले धन के प्रवाह पर नजर रखना इत्यादि।

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़

देश के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम के इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम का लाभ उठाएं

प्रारंभिक

✓ सामान्य अध्ययन ✓ सीसैट

for PRELIMS 2021: 28 Nov | प्रारंभिक 2022 के लिए 28 नवंबर

PRELIMS 2022 starting from 28 Nov

मुख्य

✓ सामान्य अध्ययन ✓ निबंध ✓ दर्शनशास्त्र

for MAINS 2021: 27 Nov | मुख्य 2022 के लिए 28 नवंबर

for MAINS 2022 starting from 28 Nov

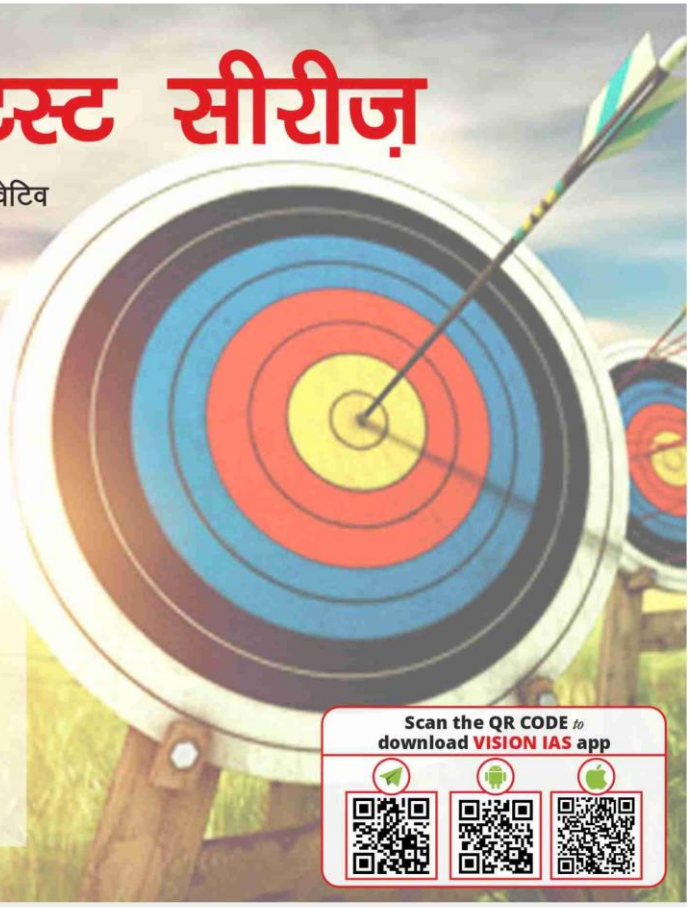

Scan the QR CODE to download VISION IAS app

लाइव ऑनलाइन कक्षाएं भी उपलब्ध

अलटरनेटिव क्लासरूम प्रोग्राम

सामान्य अध्ययन

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2023 और 2024

DELHI: 15 दिसंबर 9 AM

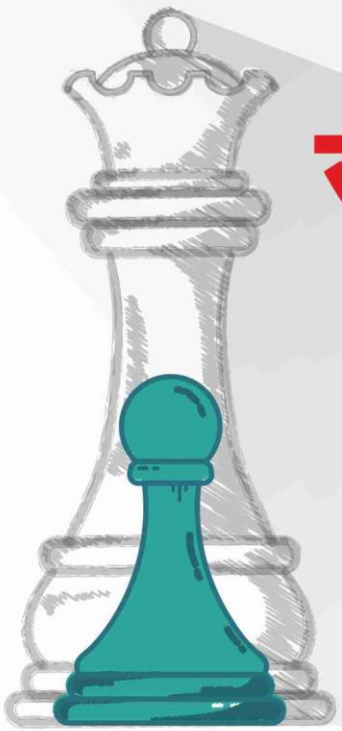

- इसमें सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन के सभी चार प्रश्न पत्रों के सभी टॉपिक, प्रारंभिक परीक्षा (सामान्य अध्ययन) एवं निबंध के प्रश्न पत्र का व्यापक कवरेज शामिल है।
- हमारा दृष्टिकोण प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के प्रश्नों के उत्तर देने हेतु छात्रों की मौलिक अवधारणाओं एवं विश्लेषणात्मक क्षमता का निर्माण करना है।
- सिविल सेवा परीक्षा, 2022, 2023, 2024 के लिए हमारी PT 365 और Mains 365 की कॉम्प्रिहेंसिव करेंट अफेयर्स की कक्षाएं भी उपलब्ध कराई जाएँगी (केवल ऑनलाइन कक्षाएं)।
- इसमें सिविल सेवा परीक्षा, 2022, 2023, 2024 के लिए ऑल इंडिया जी.एस. मेंस, प्रीलिम्स, सीसैट और निबंध टेस्ट सीरीज शामिल है।
- छात्रों के व्यक्तिगत ऑनलाइन पोर्टल पर लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाओं की सुविधा।

Scan the QR CODE to download VISION IAS app

4. पुलिस सुधार (Police Reforms)

अवलोकन

मौजूदा पुलिस संगठन मूलतः वर्ष 1861 के पुलिस अधिनियम पर आधारित है। तब से लेकर अब तक, पुलिस संगठन द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं भी अपराधों की बदलती प्रकृति के साथ जटिल हो गई हैं। अतः पुलिस बल की क्षमता में सुधार करने और इसमें अधिक लोकतंत्रीकरण को अपनाने की मांग की जा रही है। इस स्थिति ने एक संस्थान के रूप में, पुलिस बल में प्रगतिशील आधुनिकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया है।

पुलिस सुधार – एक नज़र में

पुलिस बलों के कामकाज या कार्य पद्धति से जुड़े मुद्दे

- **पुलिस पर काम का भारी बोझ:** प्रति 1 लाख लोगों पर केवल 137 पुलिसकर्मी हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने 222 की सिफारिश की थी।
- **जांच की खराब गुणवत्ता:** विशेषज्ञता की कमी और अपर्याप्त फॉरेंसिक और साइबर बुनियादी ढांचे के कारण अपराधों के लिए **दोषसिद्धि दर केवल 47 प्रतिशत** है (विधि आयोग, 2012)।
- **जवाबदेही की कमी**
- **पुलिस–सामान्य जन के बीच खराब संबंध:** अधिकांश लोग पुलिस को समस्या दूर करने वाले बल की बजाय समस्या पैदा करने वाला मानते हैं।
- **महिलाओं के प्रतिनिधित्व की कमी** (कुल पुलिस बल का सिर्फ 10 प्रतिशत) महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करती है।
- **हथियारों की कमी:** उदाहरण के लिए, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में क्रमशः 75 प्रतिशत और 71 प्रतिशत की कमी थी।

पुलिस आधुनिकीकरण की दिशा में सरकार द्वारा किए गए प्रयास

- **समितियां और आयोग:** राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1977–81, रिबेरो समिति 1988, पद्मनाभैय्या समिति 2000, मलिमथ समिति 2002–03, प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ वाद में सर्वोच्च न्यायालय का आदेश (2006), और पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग समिति–II (2015)
- **योजनाएं: पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना,** पुलिस के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर केंद्रित है।
- **प्रशासनिक परिवर्तन:** इसमें कानून–व्यवस्था से जाँच (इन्वेस्टीगेशन) को अलग करना एवं सामाजिक एवं साइबर अपराधों के लिए विशेष विंग की स्थापना शामिल हैं।
- **तकनीकी सुधार:** इसमें कंट्रोल रूम का आधुनिकीकरण, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (सी.सी.टी.एन.एस.), नेटग्रिड आदि शामिल हैं।
- **जहां उपयुक्त हो वहां "पुलिस कमिश्नर प्रणाली" की ओर बढ़ना:** हाल ही में, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने दो शहरों, लखनऊ और नोएडा के लिए पुलिस कमिश्नर प्रणाली के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है, जो उनके शीर्ष पुलिस अधिकारियों को मजिस्ट्रियल अधिकार देगा।

सुधारों के लिए सुझाव

- **प्रकाश सिंह वाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा–निर्देश:**
  - पुलिस संगठन के लिए राज्य सुरक्षा आयोग (SSC), पुलिस स्थापना बोर्ड (PEB), पुलिस शिकायत प्राधिकरण (PCA), राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग (NSC) जैसे कुछ संस्थानों की स्थापना।
  - पुलिस महानिदेशक (DGP) के लिए 2 वर्ष का निश्चित कार्यकाल और SP तथा SHO जैसे अधिकारियों के लिए दो वर्ष का कार्यकाल।
  - जांच की गुणवत्ता में सुधार के लिए कानून–व्यवस्था से जाँच (इन्वेस्टीगेशन) प्रणाली को अलग करना।
- **नीति आयोग की सिफारिशें:**
  - 2015 का आदर्श पुलिस अधिनियम लागू करना।
  - नई भर्तियों में महिलाओं की 30 प्रतिशत हिस्सेदारी का लक्ष्य हासिल करने के लिए महिलाओं की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
  - जवाबदेही बढ़ाने के लिए लोकपाल और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियमों को पुलिस सुधारों में एकीकृत करना।
  - पुलिस प्रशिक्षण मॉड्यूल को नया और आधुनिक रूप देना।
  - डिजिटलीकरण की ओर बढ़ना तथा छोटे अपराधों के लिए ई–एफ.आई.आर. दर्ज करना।
  - साइबर अपराधों से निपटने में राज्य सरकारों की पहल का समर्थन और समन्वय करने के लिए अलग राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा प्रभाग बनाया जाना चाहिए।
- **मेनन और मलिमथ समितियों** की सिफारिशों (जैसे– पीड़ित मुआवजा कोष की स्थापना) को लागू करके **आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार करना।**

5. साइबर सुरक्षा (Cyber Security)

संक्षिप्त विवरण

- साइबर सुरक्षा वस्तुतः **सूचना, उपकरण, कंप्यूटर संसाधन एवं संचार उपकरणों की सुरक्षा** संबंधी तथा उनमें संग्रहित सूचना तक अनधिकृत पहुंच, उसके अवैध उपयोग, प्रकटीकरण तथा हेरफेर एवं उनके विकृत या विनष्ट होने से रोकने हेतु किए गए प्रयासों को संदर्भित करती है।
  - साइबर स्पेस मुख्यतः सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों तथा विश्वव्यापी नेटवर्क के वितरण द्वारा समर्थित सॉफ्टवेयर एवं सेवाओं के मध्य अंतःक्रिया को प्रतिबिंबित करता है।
- **वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक (GCI) 2020 में भारत का स्थान 10वां (194 देशों में से)** रहा है। हालांकि, चीन और पाकिस्तान की तुलना में भारत का स्थान आगे है।

साइबर सुरक्षा – एक नज़र में

साइबर सुरक्षा की आवश्यकता

- **राष्ट्रीय सुरक्षा के रूप में** कई देश साइबर आक्रमण से निपटने के लिए क्षमताओं को विकसित कर रहे हैं, जो साइबर युद्ध की स्थिति में परिणामों को बदल सकते हैं।
- संवेदनशील और महत्वपूर्ण डेटा को संसाधित (प्रोसेस) और संग्रहित (स्टोर) करने के लिए **सार्वजनिक नीतियों में साइबरस्पेस का तेजी से उपयोग किया जा रहा है।**
- निजी क्षेत्रक के लिए **साइबर लचीलापन की आवश्यकता** है, जो दूरसंचार जैसे महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के परिचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- रेलवे, रक्षा प्रणाली, बैंकिंग आदि जैसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली **सेवाओं का संरक्षण करना।**
- **डिजिटलीकरण में वृद्धि** ने व्यक्तियों को साइबर अपराधों के प्रति संवेदनशील बना दिया है, जैसे– ऑनलाइन बैंक धोखाधड़ी, निगरानी, प्रोफाइलिंग, निजता का उल्लंघन आदि।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग (ML), डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) जैसी **उन्नत तकनीक की बढ़ती भूमिका।**

साइबर सुरक्षा के लिए मौजूदा तंत्र

कानूनी ढांचा

- **राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013**
  - इसके प्रमुख प्रावधानों में 24X7 कार्य करने वाले **राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र** की स्थापना करना, अगले पांच वर्षों में 5,00,000 साइबर सुरक्षा पेशेवरों के कार्यबल का निर्माण करना आदि शामिल हैं।
- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (वर्ष 2008 में संशोधित)**
  - यह कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क तथा उनके डेटा के उपयोग को विनियमित करता है।
- **राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018** डिजिटल संचार की संप्रभुता, बचाव एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रावधान करती है।

संस्थागत ढांचा

- **राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र (NCCC)**
  - यह भारत की साइबरस्पेस से संबंधित खुफिया एजेंसी है जो सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी का कार्य करती है।
- **भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In)**
  - IT संशोधन अधिनियम, 2008 के तहत इसे साइबर सुरक्षा के प्रभार के साथ राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करने का दायित्व सौंपा गया है।
- **राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC)**
  - यह महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा के मामले में **राष्ट्रीय नोडल एजेंसी** के रूप में नामित है।
- इंटरनेट अपराधों से निपटने के लिए **भारतीय साइबर–अपराध समन्वय केंद्र** और **साइबर वारियर पुलिस फोर्स।**
- साइबर स्वच्छता केंद्र **(CSK)-** नागरिकों में जागरूकता बढ़ाने हेतु।

अन्य उपाय

- **डिजिटल सेना कार्यक्रमः** इसे डिजिटल इंडिया के भाग के रूप में शुरू किया गया है तथा यह एक समर्पित क्लाउड है। इसे भारतीय सेना के लिए प्रक्रियाओं और सेवाओं को डिजिटाइज़ एवं स्वचालित करने का दायित्व सौंपा गया है।
- **सरकारी वेबसाइटों और एप्लिकेशन का ऑडिट।**
- **राज्य सरकारों द्वारा की गई विभिन्न पहलें:** तेलंगाना (साइबर सुरक्षा हेतु उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना), केरल (साइबरडोम), महाराष्ट्र ("साइबर सुरक्षित महिला") आदि।

भारत में साइबर सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां:

संरचनात्मक

- भौगोलिक सीमा (या साइबर अपराधियों) का पता लगा पाना एक कठिन कार्य है।
- इंटरनेट तक पहुंच के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों में एकरूपता की कमी।

प्रशासनिक

- साइबर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर की संरचना का अभाव।
- सुरक्षा संबंधी ऑडिट को समय-समय पर नहीं करना, न ही इसमें अंतर्राष्ट्रिय मानकों का पालन किया जाता है।
- वर्ष 2014 में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक की नियुक्ति के साथ ही राज्यों में संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की गई।

प्रक्रियात्मक

- सथानीय पुलिस को साइबर अपराधों से संबंधित IT अधिनियम, 2000 और IPC के विभिन्न प्रावधानों के बारे में जानकारी का अभाव है।
- डेटा सुरक्षा व्यवस्था की कमी।

मानव संसाधन संबंधी

- उपकरणों की सुरक्षा और ऑनलाइन लेनदेन के बारे में **लोगों में अपर्याप्त जागरूकता।**

आगे की राह

- डी.आर.डी.ओ., एन.टी.आर.ओ., सर्ट-इन (CERT-In), रॉ, आई.बी. आदि एजेंसियों के बीच **सूचना साझाकरण और समन्वय सुनिश्चित करना।**
- निजी क्षेत्रक की महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु **साइबर सुरक्षा के लिए PPP मॉडल।**
- **क्षमता निर्माण और कौशल विकास करना।**
- डिजिटल सुरक्षा के क्षेत्र में **स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देना।**
- अमेरिका के **तेलिन मैनुअल** जैसे **सर्वोत्तम अभ्यासों से सीखना।**

साइबर स्पेस के समक्ष विभिन्न खतरे

साइबर अपराध / साइबर हमले: किसी व्यक्ति या संपूर्ण संगठन द्वारा नियोजित किसी भी प्रकार का हमला करने का कौशल जो लक्षित कंप्यूटर नेटवर्क या प्रणाली को क्षति पहुंचाने या नष्ट करने के प्रयोजन से कंप्यूटर सूचना प्रणाली, संबंधित अवसंरचना और कंप्यूटर नेटवर्क को लक्षित करता है।	**साइबर आतंकवाद:** साइबर स्पेस से संबंधित आतंकवादी गतिविधियों या साइबर प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके निष्पादित की गई आतंकवादी गतिविधियों को सामान्य रूप से 'साइबर आतंकवाद' के रूप में जाना जाता है। यह आतंकवाद और साइबर स्पेस का अभिसरण की स्थिति है।	**साइबर युद्ध:** इसके तहत किसी राज्य या संगठन के, विशेष रूप से रणनीतिक या सैन्य उद्देश्यों वाली सूचना प्रणाली पर सुविचारित रूप से हमला कर गतिविधियों को बाधित करने के लिए कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है।	**साइबर जासूसी:** इसके तहत सरकार या अन्य संगठनों द्वारा धारित गोपनीय सूचनाओं तक अवैध पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग किया जाता है।

5.1. महत्वपूर्ण अवसंरचना (Critical Infrastructure)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, चीन के हैकरों द्वारा मुंबई पावर ग्रिड पर एक संदिग्ध साइबर हमले के बाद, सरकार ने **ऊर्जा क्षेत्र में साइबर सुरक्षा** के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

इन दिशा-निर्देशों से संबंधित तथ्य

- दिशा-निर्देशों को **केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया है।** इसे, 'केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड से कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानक) (संशोधन) विनियम, 2019'[53] में उल्लिखित साइबर सुरक्षा से संबंधित **धारा 3(10) के** प्रावधान के तहत तैयार किया गया है।
- ये दिशा-निर्देश, **भारतीय बिजली आपूर्ति प्रणाली में शामिल** सभी बिजली उत्पादन संस्थाओं, वितरण संस्थाओं इत्यादि समेत **सभी ज़िम्मेदार संस्थाओं पर लागू होते हैं।**
- **उद्देश्य:** विद्युत क्षेत्रक से संबंधित सभी संस्थानों में साइबर सुरक्षा से जुड़ी तैयारियों को बढ़ाना, ताकि विद्युत क्षेत्रक में साइबर सुरक्षा के स्तर को मजबूत किया जा सके।
- **प्रमुख दिशानिर्देशों में शामिल हैं:**
  - **विश्वसनीय स्रोत से खरीद:** यह निर्धारित किए गए 'विश्वसनीय स्रोतों' और 'विश्वसनीय उत्पादों' से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) आधारित खरीद पर बल देता है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो विद्युत आपूर्ति प्रणाली नेटवर्क में उपयोग के लिए इन्हें तैनात किए जाने से पहले, मैलवेयर/हार्डवेयर ट्रोजन (वायरस) के संबंध में जांच की जाएगी।
  - **मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति (CISO):** प्रत्येक संबंधित संस्था में एक मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (CISO) को नियुक्त करना होगा। साथ ही, CISO की अध्यक्षता में एक सूचना सुरक्षा प्रभाग को स्थापित करना होगा।
  - **खतरों की पहचान और रिपोर्ट करना:** संस्थाओं को किसी भी गड़बड़ी की पहचान और रिपोर्ट करने के लिये एक प्रक्रिया को अपनाना होगा या अव्यवस्था के कारण की पुष्टि करने की आवश्यकता होगी और 24 घंटे के भीतर क्षेत्रीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT) तथा भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In) के पास रिपोर्ट जमा करनी होगी। संस्थाओं को किसी साइबर हमले के कारण होने वाली किसी भी गड़बड़ी की पहचान करने और उसकी रिपोर्ट करने के लिए एक प्रक्रिया को अपना अनिवार्य होगा। साथ ही, 24 घंटे के भीतर क्षेत्रीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT) तथा भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In)[54] के पास यह रिपोर्ट जमा करनी होगी।

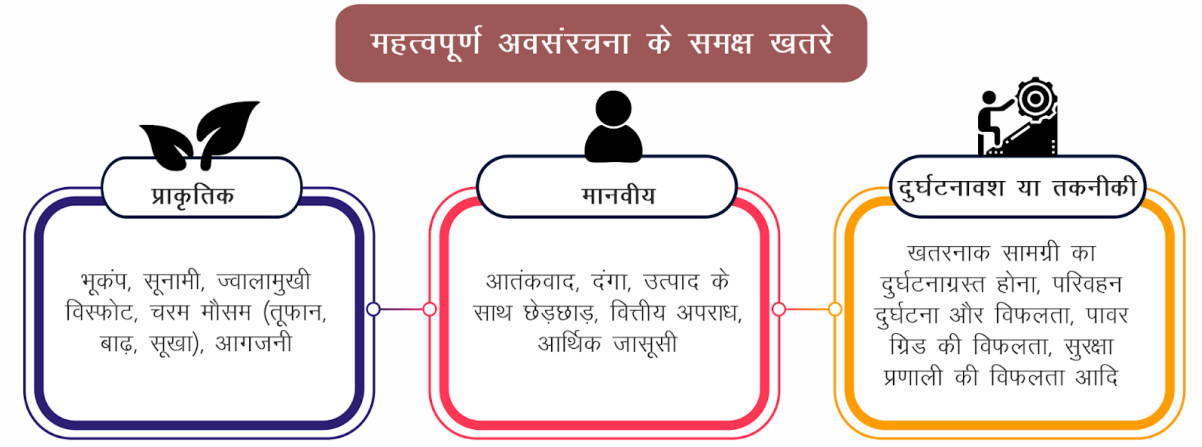

महत्वपूर्ण अवसंरचना (Critical Infrastructure: CI) के बारे में

- महत्वपूर्ण अवसंरचना (CI) उन सभी भौतिक और साइबर प्रणालियों तथा परिसंपत्तियों को संदर्भित करती है जो किसी देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं तथा उनके गैर परिचालन अथवा कार्यात्मक अवरोध की स्थिति राष्ट्रीय सुरक्षा और राज्य के आर्थिक और सामाजिक कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करती है।
  - **केमिकल्स (रासायनिक पदार्थ), बांध, आपातकालीन सेवाएं, विद्युत और ऊर्जा, बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं, सरकारी सुविधाएं, स्वास्थ्य देखभाल, सूचना प्रौद्योगिकी, परिवहन, परमाणु रिएक्टर आदि** को देश की महत्वपूर्ण अवसंरचना का एक भाग माना जाता है।

[53] Central Electricity Authority (Technical Standards for Connectivity to the Grid) (Amendment) Regulations, 2019

[54] Computer Emergency Response Team -India

महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा का महत्व

- **आर्थिक समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण:** लचीली और सुरक्षित अवसंरचना महत्वपूर्ण होती है। यह न केवल व्यवसायों और सेवाओं के प्रभावी संचालन में सहायता प्रदान करती है, बल्कि संबंधित क्षेत्र में दीर्घकालीन विश्वास तथा नियोजन को भी मजबूत करती है। साथ ही, ये वर्तमान निवेश स्तर को नया आधार भी प्रदान करती हैं।
- **व्यापक प्रभाव:** अल्प अवधि के लिए भी महत्वपूर्ण अवसंरचना की हानि, क्षति, अनुपलब्धता से संबंधित महत्वपूर्ण परिणामों और उनके व्यापक प्रभावों को लक्षित क्षेत्रक तथा घटनास्थल के दायरे से भी परे भी देखा जा सकता है।
- CI के बाधित/प्रभावित होने से **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो सकती है।**

महत्वपूर्ण अवसंरचना सुरक्षा से संबंधित चुनौतियां

- **आंतरिक संसाधन:** महत्वपूर्ण अवसंरचना के रखरखाव में लगे संगठनों सहित बहुत से संगठनों के पास CI की सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित सुरक्षा पेशेवरों का अभाव है।
- **सूचना साझा करने के प्रति अनिच्छुक:** निजी और सार्वजनिक क्षेत्र अपने सिस्टम में व्याप्त कमजोरी के बारे में जानकारी साझा करने में संकोच करते हैं, क्योंकि वे प्रतिद्वंद्वियों पर अपनी प्रतिस्पर्धी बढ़त खोने से डरते हैं।
- **एजेंसियों के बीच तालमेल का अभाव:** कुछ एजेंसिया गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती हैं, जबकि अन्य प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आदि मंत्रालय को रिपोर्ट करती हैं।
- **क्षमता की कमी:** भारत में हार्डवेयर के साथ-साथ सॉफ्टवेयर साइबर सुरक्षा उपकरणों में स्वदेशीकरण का अभाव है। यह स्थिति भारत के साइबर स्पेस को राज्य और गैर-राज्य अभिकर्ताओं द्वारा किए जाने वाले साइबर हमलों के प्रति संवेदनशील बनाती है।

आगे की राह

- सुरक्षा से संबंधित भौतिक, कानूनी, साइबर और मानवीय आयामों पर ध्यान देने के लिए एक व्यापक सुरक्षा नीति विकसित करने की अत्यंत आवश्यकता है।
- संबंधित अवसंरचना के बीच परस्पर-निर्भरता सहित उनकी कमजोरियों के संबंध में बेहतर समझ विकसित करने की आवश्यकता है।
- राज्य और कॉर्पोरेट क्षेत्र के बीच एक कार्यशील साझेदारी आवश्यक है।
- व्यापार योजनाओं, अनुबंधों और परिचालन में एक एकीकृत और संधारणीय आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा से संबंधित लक्ष्य को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए।

5.1.1. दूरसंचार क्षेत्रक पर राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश (National Security Directive on the Telecom Sector)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा पर मंत्रिमंडल समिति ने **दूरसंचार क्षेत्र पर राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश (NSDTS)[55] को** स्वीकृति प्रदान की है।

भारत में दूरसंचार उद्योग के बारे में

- वर्तमान में, भारत **विश्व का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार** है, जिसका ग्राहक आधार 1.16 बिलियन है और वित्त वर्ष 2020 में टेली-घनत्व 87.37 प्रतिशत था।
- भारत वित्त वर्ष 2020 से 743.19 मिलियन ग्राहकों के साथ कुल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के मामले में **विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार** है।
- यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि आगामी पांच वर्षों में, भारत में **मोबाइल-फोन की पहुंच में वृद्धि और डेटा लागत में गिरावट के साथ 500 मिलियन नए इंटरनेट उपयोगकर्ता** जुड़ेंगे, फलस्वरूप नए व्यवसायों के अवसर का सृजन होगा।

पृष्ठभूमि

- ये निर्देश ऐसे समय पर जारी किए गए है, जब **चीन की उपकरण विनिर्माता कंपनी हुवावे (Huawei)** के विरुद्ध वैश्विक सुरक्षा चिंताओं में वृद्धि हुई है।

[55] National Security Directive on Telecom Sector

DELHI | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | JAIPUR | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI 8468022022

- भारत ने 5G नेटवर्क के प्रवर्तन के लिए **हुवावे (Huawei) से निवेश को प्रतिबंधित कर** दिया है। इसके अतिरिक्त, ब्रिटेन और अमेरिकी सरकार द्वारा भी राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर इसे प्रतिबंधित किया गया था।
- भारत ने **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A** के तहत **चीन** के 200 से अधिक मोबाइल ऐप्स पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।

दूरसंचार क्षेत्र पर राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश (NSDTS) के बारे में

NSDTS साइबर हमलों, डेटा की चोरी और खतरा उत्पन्न करने वाली अन्य आभासी कमजोरियों के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए **भारत का प्रथम और सबसे व्यापक ढाँचा** है।

- **राष्ट्रीय दूरसंचार सुरक्षा समिति (National Security Committee on Telecom: NSCT) की अध्यक्षता उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा की जाएगी।** यह समिति उन दूरसंचार उपकरणों के विश्वसनीय स्रोतों की पहचान करेगी, जिनका उपयोग भारत के सेलुलर प्रचालकों (ऑपरेटरों) द्वारा अपने नेटवर्क पर किया जा सकता है।
  - इसके अतिरिक्त, यह समिति **उन फर्मों के नाम भी जारी करेगी,** जिनके उपकरणों का उपयोग नहीं किया जा सकता है।
- इन निर्देशों में यह प्रावधान किया गया है कि घरेलू प्रतिभागियों को विश्वसनीय श्रेणी में योग्यता/पात्रता प्राप्त करने के लिए उन्हें दूरसंचार विभाग की **अधिमान्य बाजार पहुंच (PMA)[56] योजना** के मानदंडों को पूर्ण करना होगा।
  - **PMA योजना** के अंतर्गत घरेलू स्तर पर विनिर्मित उन इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की खरीद को वरीयता प्रदान की जाएगी, जो सुरक्षा निहितार्थ की दृष्टि से देश के लिए आवश्यक हैं।
- **विश्वसनीय स्रोतों से ही नए उपकरणों की खरीद की जाएगी।**
- **दूरसंचार विभाग (DOT) द्वारा इस निर्देश के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए लाइसेंस शर्तों में उपयुक्त संशोधन किया जाएगा।**

दूरसंचार क्षेत्र की सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है?

वैश्वीकरण और डिजिटलीकरण के साथ भारत में संवर्धित दूरसंचार उद्योग ने दूरसंचार उद्योग के क्षेत्र में कई सुरक्षा चिंताओं को उत्पन्न किया है। ये चिंताएं निम्नलिखित हैं:

- **साइबर सुरक्षा:** इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (IoT) और बिग डेटा के विकास के साथ दूरसंचार उद्योग, बैंकिंग तथा वित्तीय लेनदेन में सुरक्षा चुनौतियां जैसे डेटा सुरक्षा, संरचना, ईमेल सुरक्षा, वेब सुरक्षा, सूचना सुरक्षा, क्लाउड सुरक्षा आदि कई गुना बढ़ गई हैं।
  - उद्योग रिपोर्ट के अनुसार, **केवल 50% भारतीय कंपनियों के पास क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए अपनी सुरक्षा रणनीति उपस्थित है।**
- **राष्ट्रीय सुरक्षा:** राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में रक्षा क्षेत्र और अन्य सामरिक क्षेत्रों की डेटा संप्रभुता बहुत महत्वपूर्ण है।
  - आभासी विश्व को तीव्र गति से **राज्य-समर्थित छद्म हमलों (covert state-sponsored attacks)** और **गैर-राज्य अभिकर्ताओं (non-state actors)** द्वारा लक्षित किया जा रहा है। इसके कारण भारत की संप्रभुता और अखंडता के समक्ष खतरा उत्पन्न होता है।
- **संदिग्ध आपूर्तिकर्ता:** दूरसंचार उपकरणों के संदिग्ध आपूर्तिकर्ता भी हैं, जिनके उत्पादों के दुरुपयोग की आशंका रहती है।
  - इसलिए, सरकार द्वारा विश्वसनीय स्रोत और विक्रेताओं की नकारात्मक सूची की पहचान करने से खरीद प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी। इसके अतिरिक्त, संदिग्ध विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को बाहर किया जा सकेगा।
- **आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर भारत मिशन) को साकार करना:** वर्तमान में, भारत दूरसंचार उपकरणों के आयात पर बहुत अधिक निर्भर है, जिसका आयात मूल्य 1.30 ट्रिलियन रुपये है। दूरसंचार उपकरणों के क्षेत्र में भारत के लिए सबसे बड़ा निर्यातक **चीन** है।
  - इसलिए, दिए गए निर्देशों के साथ दूरसंचार सुरक्षा की दिशा में उठाए गए कदमों से **अधिक घरेलू विश्वसनीय स्रोतों को शामिल करने में सहायता प्राप्त होगी।** इससे अंततः भारत की घरेलू क्षमताओं को बढ़ाने और विदेशी उपकरणों पर निर्भरता को कम करने में सहायता मिलेगी।

दूरसंचार सुरक्षा में चुनौतियों का समाधान करने के उपाए

ऐसा माना जाता है कि प्रतिबंधित स्रोतों और सीमित विश्वसनीय स्रोतों की सूची के कारण दूरसंचार उपकरणों की **कीमत अधिक या असुविधाजनक हो जाती है।** उदाहरणार्थ- एरिक्सन, नोकिया और सैमसंग द्वारा विक्रय किए जाने वाले उपकरण इनपुट लागत बढ़ने के कारण अपेक्षाकृत महंगे होते हैं। इसलिए, दूरसंचार उद्योग में सुरक्षा के साथ-साथ अन्य उपायों से भी सुधार किया जा सकता है।

[56] Preferential Market Access

- **तकनीकी प्रगति:** इसके लिए सरकार के सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ टेलीमैटिक्स (सी-डॉट/C-DOT), (दूरसंचार अनुसंधान और विकास को समर्पित संस्था) को प्रौद्योगिकी एवं उत्पादों के विकास के लिए कार्य करना चाहिए।
- **रणनीति और दृष्टिकोण:** साइबर सुरक्षा के लिए एक समग्र और रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाने से दूरसंचार प्रदाता सुरक्षा कमजोरियों से उत्पन्न खतरों को कम करने में अधिक सक्षम होंगे, जो निम्नलिखित हैं:
  - **खतरे की पहचान करना:** यह नेटवर्क को प्रभावित करने वाली किसी भी दुर्भावनापूर्ण गतिविधि की पहचान करने और किसी भी उपस्थित कमजोरी का लाभ उठाने से पहले ही खतरे को समाप्त करने के लिए एक सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र की संपूर्णता का विश्लेषण करने की कार्यपद्धति है।
  - **रोकथाम के उपाय:** इसके अंतर्गत सुरक्षा चिंताओं के निवारणार्थ कानूनी ढांचे को लागू करने के साथ-साथ विनियामकों और संबद्ध क्षेत्रों द्वारा कानूनी रक्षोपाय भी किए जाते हैं।
  - **घटना प्रतिक्रिया विधियाँ:** यह भलीभांति परिभाषित घटना प्रतिक्रिया योजना (incident response plan) के साथ सुरक्षा घटनाओं, उल्लंघनों और साइबर खतरों से निपटने के लिए संरचित पद्धति है।

5.1.2. साइबर-परमाणु सुरक्षा ढांचा (Cyber-Nuclear Security Architecture)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, परमाणु रिएक्टरों सहित महत्वपूर्ण अवसंरचना पर साइबर हमला की घटनाएं घटित हुई हैं। इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए भारत के नागरिक और सैन्य परमाणु प्रणालियों में साइबर सुरक्षा की वर्तमान स्थिति के मूल्यांकन को लेकर विशेषज्ञों में चिंता बढ़ रही है।

अन्य संबंधित तथ्य

- पिछले कुछ वर्षों में, भारत की परमाणु अवसंरचना साइबर प्रौद्योगिकियों के माध्यम से तेजी से एकीकृत होती जा रही है। इससे साइबर या मिश्रित हमले की संभावना में वृद्धि हुई है।
- वर्ष 2019 के अंत में, तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के सुरक्षा तंत्र में सेंध लगाकर प्रशासनिक नेटवर्क से बड़ी मात्रा में डेटा चुरा लिया गया। इससे संयंत्र के और अधिक महत्वपूर्ण प्रणालियों पर भावी हमलों की आशंका बढ़ गयी है।

परमाणु सुविधाओं पर साइबर हमलों के परिणाम

- परमाणु सुविधाओं, रिएक्टर के डिजाइन आदि से संबंधित **संवेदनशील और गोपनीय जानकारी की चोरी** की जा सकती है।
- **हैकिंग, व्यवधान और विनाश की संभावना:** परमाणु हथियार प्रणाली की कमान और नियंत्रण संबंधी अवसंरचना तक अनधिकृत पहुंच से हथियारों की सुरक्षा संकट में पड़ सकती है। साथ ही, परमाणु हथियारों या मिसाइलों को अनधिकृत रूप से प्रक्षेपित या उपयोग किया जा सकता है।
  - उदाहरण के लिए, वर्ष 2021 में **नटांज परमाणु सुविधा (ईरान) पर किए गए साइबर हमले** के तहत औद्योगिक नियंत्रण प्रणालियों को लक्षित किया गया और संवर्धित यूरेनियम बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सेंट्रीफ्यूज की विद्युत आपूर्ति को नष्ट कर दिया गया था।
- विरोधियों की द्वेषपूर्ण मंशा के कारण **परमाणु/रेडियोधर्मी सामग्री की चोरी** और **पर्यावरण में** विकिरण की निर्मुक्ति।
- **अविश्वास का निर्माण:** किसी विशिष्ट भाग पर हुआ साइबर हमला, संपूर्ण प्रणाली में व्याप्त कमजोरियों को उजागर करता है। यह हमारे सहयोगियों और विरोधियों के साथ संबंधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है और हमारी परमाणु विश्वसनीयता पर संदेह पैदा कर सकता है।

परमाणु क्षेत्र में साइबर खतरों से निपटने के समक्ष मौजूदा चुनौतियां

- **राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013** में साइबर और परमाणु सुरक्षा के बीच संबंध का **कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।**
- **ऐसा कोई तंत्र नहीं है जिससे** देश के साइबर और परमाणु अवसंरचना में हुई **किसी भी सेंधमारी के बारे में जनता को सूचित किया जा सके**। इस कारण, साइबर खतरों की पहचान नहीं हो पाती है और वे अनसुलझे बने रहते हैं।
- **साइबर हमलों का सामना करने के उपाय करने हेतु विभिन्न एजेसियों के बीच समन्वय की कमी है। साथ ही, परस्पर आधार पर** सूचना को साझा करने की प्रक्रिया में भी अंतराल विद्यमान है।

आगे की राह

परमाणु सामग्री और अवसंरचना की संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए, ऐसी नीतियां बनाना महत्वपूर्ण है जो बदलती सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अल्पकालिक और दीर्घकालिक समाधान प्रदान करती हों। इनमें शामिल हैं:

- **खतरों की पहचान करना:** ऐसी कमजोरियों/सुभेद्यताओं का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है जिनके प्रति देश की परमाणु सुविधाओं की रक्षा करने वाली प्रणालियां अतिसंवेदनशील हो सकती हैं।

DELHI | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | JAIPUR | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI 8468022022

- परमाणु प्रणालियों में साइबर सेंधमारी से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं को देखते हुए और उनसे प्राप्त अनुभव, समान साइबर संबंधी खतरों से बचने के लिए भारत को उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे।

- **नीति को अपडेट करना:** एक नई साइबर सुरक्षा नीति जारी होने की संभावना है। इससे परमाणु क्षेत्र में साइबर सुरक्षा के लिए उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए वर्तमान नीतियों में व्याप्त कमियों की पूर्ति की जा सकेगी।
- साइबर और परमाणु सुरक्षा के लिए उपयुक्त अंतर्राष्ट्रीय विनियामक ढांचे, मानदंडों और संस्थानों को विकसित करने में सहायता हेतु **बहुपक्षीय संवादों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए**।
  - द्विपक्षीय संदर्भ में, भारत आपसी सहयोग को सुगम बनाने और इस क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने को बढ़ावा देने हेतु जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे भागीदारों और सहयोगियों के साथ काम कर सकता है।
- **लचीली आपूर्ति श्रृंखला:** सोर्सिंग, विक्रेता प्रबंधन, आपूर्ति श्रृंखला की निरंतरता और गुणवत्ता के संदर्भ में मजबूत नीतियां को अपनाया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

वर्तमान समय में तेजी से हो रही तकनीकी प्रगति को देखते हुए, परमाणु प्रणालियों और सुविधाओं का आधुनिकीकरण करते समय साइबर सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए।

5.2. साइबर निगरानी (Cyber Surveillance)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पेगासस स्पाइवेयर के संदर्भ में हालिया विवाद ने भारत में साइबर निगरानी से संबंधित वाद-विवाद को और बढ़ा दिया है।

डिकोडिंग पेगासस

पेगासस एक इज़रायली कंपनी, NSO ग्रुप द्वारा विकसित और लाइसेंस प्राप्त एक स्पाइवेयर (एक प्रकार का वायरस) है। इसका उपयोग iOS और एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों पर चालित स्मार्टफोन में घुसपैठ करने और उन्हें निगरानी उपकरण में परिवर्तित करने के लिए किया जा सकता है। **पेगासस के बारे में अन्य तथ्य:**

- पेगासस द्वारा हमले की प्रणाली को जीरो–क्लिक हमला कहा जाता है, जिसके लिए उपयोगकर्ता द्वारा किसी भी कार्रवाई को करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह स्पाइवेयर केवल एक मिस्ड व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से ही उपकरण को हैक कर सकता है।
- यह कॉल लॉग को परिवर्तित कर देता है ताकि उपयोगकर्ता को संदिग्ध गतिविधि के बारे में पता न चल सके।
- इसे उपकरण / डिवाइस में मैन्युअल रूप से या या वायरलेस ट्रांसीवर के माध्यम से भी इंस्टॉल किया जा सकता है।
- यदि यह 60 दिनों से अधिक समय तक अपने कमांड–एंड–कंट्रोल सर्वर से संपर्क करने में विफल रहता है, तो यह स्वयं को नष्ट कर देता है और अपने से संबंधित सभी चिन्हों / साक्ष्यों को हटा देता है।
- यदि इस सॉफ्टवेयर को इस तथ्य का पता चल जाए कि यह किसी गलत उपकरण या सिम कार्ड में इंस्टॉल हो गया है, तो यह स्वयं नष्ट हो जाएगा।
- एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यह टिप्पणी की है कि सुरक्षा संबंधी अपडेट जारी करने के बावजूद, एंड्रॉइड और iOS उपकरणों में सेंधमारी होती रही है।

इस प्रकार के खतरों से सुरक्षित रहने के लिए उपयोगकर्ताओं को उपकरणों में सॉफ़्टवेयर अपडेट को सुनिश्चित करना चाहिए और सभी ऐप को प्रत्यक्ष रूप से आधिकारिक स्टोर के माध्यम से इंस्टॉल किया जाना चाहिए। किसी भी संदिग्ध ईमेल या टेक्स्ट पर क्लिक नहीं किया जाना चाहिए।

एक बार जब यह स्पाइवेयर उपकरण में प्रवेश कर जाता है, तो यह कॉल लॉग्स को ट्रैक करने, संदेश, ईमेल, कैलेंडर, इंटरनेट हिस्ट्री को पढ़ने और हमलावर को जानकारी भेजने के लिए अवस्थिति (Location) डेटा एकत्र करने के लिए एक मॉड्यूल इंस्टॉल (संस्थापित) करता है।

भारत में साइबर निगरानी और इससे संबंधित कानून?

- निगरानी (Surveillance) का आशय **किसी व्यक्ति या समूह पर विशेष नज़र रखने या गहन निरीक्षण (close observation)** से है, विशेष रूप से **ऐसे व्यक्ति/समूह जिनकी स्थिति या गतिविधियां संदेहास्पद हैं** या जिनकी गतिविधियों या स्थितियों का पर्यवेक्षण करना आवश्यक है।

- जब किसी व्यक्ति द्वारा लोगों या स्थानों की निगरानी करने के लिए डेटा नेटवर्क के माध्यम से संचार करने वाले "स्मार्ट" या "कनेक्टेड" उपकरणों/साधनों का उपयोग किया जाता है तो उसे साइबर-निगरानी के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। इस प्रकार की संयोजित तकनीक को **इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT)** के रूप भी में संदर्भित किया जाता है। साइबर-निगरानी के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण/यंत्र/साधन आम तौर पर परस्पर संबद्ध और उन्हें नियंत्रित करने वाले उपकरण या ऐप के माध्यम से कनेक्टेड/जुड़े होते हैं।
- **भारत में संचार निगरानी मुख्य रूप से दो कानूनों के तहत की जाती है:**
  - **भारतीय तार अधिनियम, 1885 (Indian Telegraph Act, 1885):** इस अधिनियम की **धारा 5,** केंद्र या राज्य सरकार को किसी भी **संदेश/कॉल को निम्नलिखित दो परिस्थितियों में अंतर्रुद्ध (intercept)** करने की शक्ति प्रदान करती है, **यदि वह-**
    - **लोक सुरक्षा या लोक आपात** के विरुद्ध हो; या
    - **भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या लोक व्यवस्था हितों में** अथवा किसी अपराध के किए जाने के उकसावे के निवारण के लिए आवश्यक हो।
    - ज्ञातव्य है कि संविधान के **अनुच्छेद 19(2)** के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी समान प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं।

- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 {Information Technology (IT) Act, 2000}:** इसे इलेक्ट्रॉनिक संचार, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य आदि के लिए कानूनी मान्यता प्रदान करने और साइबर अपराधों का निवारण करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
  - **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम** की **धारा 69** और **सूचना प्रौद्योगिकी (सूचना के अवरोधन, निगरानी एवं डिक्रिप्शन के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा) नियम, 2009** {IT (Procedure for Safeguards for Interception, Monitoring and Decryption of Information) Rules, 2009} को सभी इलेक्ट्रॉनिक संचार की निगरानी के लिए विधिक ढांचा प्रदान करने हेतु प्रवर्तित किया गया था।
  - सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम **डेटा चोरी और हैकिंग** के **दीवानी एवं फौजदारी अपराधों** को शामिल करता है।

साइबर-निगरानी से संबंधित चिंताएं

- **प्रेस की स्वतंत्रता को खतरा:** ऐसे में पत्रकारों और उनके स्रोतों की निजी सुरक्षा ख़तरे में पड़ सकती है, विशेषकर जिनका कार्य सरकार की आलोचना करना होता है। इसलिए, निजता का अभाव इन पत्रकारों में अविश्वास की भावना का सृजन करता है और प्रभावी रूप से उनकी विश्वसनीयता को क्षति पहुंचाता है।
  - 'रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स' द्वारा प्रकाशित **विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक** के वर्ष 2021 के संस्करण में **180 देशों में से भारत को 142वां स्थान** प्रदान किया गया है।

राज्य समर्थित निगरानी बनाम निजता का अधिकार (State backed surveillance vs. Right to privacy)

- भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा **पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) बनाम भारत संघ वाद (वर्ष 1997)** में दिए गए निर्णय ने, टेलीफोनिक निगरानी (अर्थात् वायरटैपिंग) और संवैधानिक स्वतंत्रता के संदर्भ में निजता के अधिकार को एक आधार प्रदान किया है।
- **के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ वाद (वर्ष 2017)** में एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए उच्चतम न्यायालय ने सर्वसम्मति से **निजता के अधिकार** को संविधान के **अनुच्छेद 14, 19 और 21** के तहत, एक **मूल अधिकार** के रूप में बरकरार रखा है।
  - राज्य द्वारा की जाने वाली टेलीफोन टैपिंग और इंटरनेट हैकिंग को व्यक्तिगत डेटा की निजता के दायरे में रखा गया है।
- **निजता पर दिए गए निर्णय ने चार सूत्री परीक्षण भी निर्धारित किए हैं, जिसे राज्य द्वारा निजता में हस्तक्षेप करने से पहले पूर्ण करना**

आवश्यक है:
  - राज्य की कार्रवाई को विधि द्वारा स्वीकृत होना चाहिए,
  - लोकतांत्रिक समाज में कार्रवाई के लिए एक वैध आधार/उद्देश्य होना चाहिए,
  - कार्रवाई इस प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता के अनुरूप होनी चाहिए, तथा
  - यह हस्तक्षेप करने की शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध, प्रक्रियात्मक गारंटी के अधीन होनी चाहिए।
- **विनीत कुमार बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अन्य वाद (वर्ष 2019) में बॉम्बे उच्च न्यायालय** ने राज्य द्वारा अपने विषयों पर निगरानी करने की शक्ति के दायरे को रेखांकित किया है, विशेष रूप से उन विषयों के संबंध में जो 'लोक आपात' या 'लोक सुरक्षा के हित' की श्रेणी में नहीं आते हैं।

- **निजता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार:** उचित संदेह पर आधारित कथित जोखिम, नागरिकों के **अपरंपरागत, विवादास्पद या उत्तेजक विचारों को व्यक्त करने, साझा करने और उन पर चर्चा करने की क्षमता** को प्रभावित करता है।
- **निगरानी का अभाव:** संसदीय या न्यायिक निरीक्षण की कमी के कारण, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी विशेषकर **कार्यपालिका को, निगरानी के विषय और व्यक्तियों को प्रभावित करने की शक्ति प्रदान** करती है। इसके परिणामस्वरूप भय उत्पन्न कर लोगों की वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित किया जा सकता है।
- **विधि की सम्यक् प्रक्रिया (Due process of law) का उल्लंघन:** कार्यपालिका द्वारा की जाने वाली निगरानी **संविधान के अनुच्छेद 32 और 226** (क्रमशः उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा रिट जारी करने की शक्ति) के तहत प्रदत्त अधिकारों को सीमित करती है, क्योंकि कार्यकारी निगरानी को गुप्त तरीके से संचालित किया जाता है। इसलिए, प्रभावित व्यक्ति अपने अधिकारों के उल्लंघन संबंधी साक्ष्य को प्रस्तुत करने में असमर्थ होता है।
  - **इससे न केवल सम्यक् प्रक्रिया और शक्तियों के पृथक्करण के आदर्शों का उल्लंघन होता है** बल्कि **के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ वाद (वर्ष 2017)** में उल्लिखित अनिवार्य कार्यविधि संबंधी सुरक्षा उपायों की आवश्यकता की भी अवहेलना होती है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष खतरा: साइबर-आतंकवाद और साइबर-अपराधों की बढ़ती** घटनाओं के कारण सूचना, कंप्यूटर सिस्टम एवं प्रोग्राम तथा डेटा के विरुद्ध हमला करने संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। इसके **परिणामस्वरूप उप-राष्ट्रीय समूहों या गुप्त एजेंटों द्वारा गैर-लड़ाकू लक्ष्यों के विरुद्ध हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं।**

आगे की राह

- **न्यायपालिका की भूमिका:** न्यायपालिका ही यह तय करने में सक्षम हो सकती है कि क्या निगरानी की उल्लिखित घटनाएं तर्कसंगत हैं तथा क्या इसके लिए कोई अन्य कम कठिन विकल्प उपलब्ध हैं। साथ ही, न्यायपालिका **प्रभावित व्यक्तियों के अधिकारों और सरकार के उद्देश्यों की आवश्यकता को परस्पर संतुलित करने की दिशा में भी सहयोग कर सकती है।**
- **जागरूकता:** लोगों को इस संबंध में समझ प्रदान करने के लिए एक शैक्षिक ढांचे को स्थापित किया जाना चाहिए, जो उन्हें व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट डेटा में सेंधमारी करने वाली घटनाओं की पहचान करने एवं उन घटनाओं से स्वयं को सुरक्षित करने हेतु समझ प्रदान कर सके।
- **विकेंद्रीकृत प्रणाली:** निगरानी प्रणाली को विकेंद्रीकृत और एक मुक्त स्रोत के रूप में होना चाहिए। साथ ही, निगरानी प्रणाली को इस प्रकार से डिजाइन किया जाना चाहिए, ताकि बिना किसी निजता के अतिक्रमण के डेटा को साझा किया जा सके।
- **समर्पित साइबर सुरक्षा विधि:** भारत को साइबर संबंधी अपराध का सामना करने, भारत और इसकी साइबर सुरक्षा तथा **साइबर संप्रभु हितों का संरक्षण करने के लिए अधिक प्रभावी विधिक ढांचे एवं कठोर प्रावधानों को लागू करना चाहिए।**
  - **भारतीय उद्योग परिसंघ** द्वारा आयोजित **साइबर सुरक्षा शिखर सम्मेलन** के अनुसार, **भारत को 'सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा' की बजाये 'साइबर सुरक्षा' पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।**
- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial intelligence: AI) का उपयोग:** साइबर हमलों का निवारण करने और सटीक रूप से उनकी पहचान करने हेतु खतरे के बारे में वास्तविक समय आधारित आसूचना (रीयल-टाइम थ्रेट इंटेलिजेंस) और AI के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

5.2.1. फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी (Facial Recognition Technology)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय पुलिस को सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए सरकार ने **नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम (National Automated Facial Recognition System: NAFRS)** लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- फेशियल रिकॉग्निशन (चेहरा पहचाने की एक तकनीक) वस्तुतः किसी **व्यक्ति के चेहरे के माध्यम से उसकी पहचान को सुनिश्चित करने या उसकी व्यक्तिगत पहचान की पुष्टि करने** हेतु उपयोग की जाने वाली एक विधि है। **फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक** का उपयोग करके फ़ोटो, वीडियो या रियल-टाइम में लोगों की पहचान की जा सकती है।
- NAFRS का उपयोग संपूर्ण भारत में पुलिस द्वारा किया जाएगा और इसे **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau: NCRB)** द्वारा जारी किया जाएगा।
- यह **दिल्ली** से संचालित किए जाने वाला एक मोबाइल एवं वेब-आधारित एप्लिकेशन है, जो अपराध की रोकथाम करने और पता लगाने तथा तीव्र दस्तावेज़ सत्यापन में मदद करेगा।
- इसे अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली (Crime & Criminals Tracking Network and Systems: CCTNS), एकीकृत आपराधिक न्याय प्रणाली (Integrated Criminal Justice System: ICJS), राज्य-विशिष्ट डेटाबेस सिस्टम और खोया-पाया पोर्टल जैसे **अन्य वर्तमान डेटाबेस के साथ जोड़ा** जाएगा।
- यह अपराध की जांच या एक अपराधी की पहचान (फेस मास्क, मेकअप, प्लास्टिक सर्जरी, दाढ़ी, या लम्बे बालों से प्रभावित हुए बिना) करने के लिए **फेशियल रिकॉग्निशन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करेगा।**

पहचान हेतु प्रयोग की जाने वाली कुछ विधियों की कार्यप्रणाली

- **फिंगरप्रिंट:** फिंगरप्रिंट की पहचान सरलता से की जा सकती है और अंगुलियों की बनावट में मौजूद विशिष्ट शंख (लूप), चाप (आर्च) एवं चक्र (व्होर्ल) की तुलना करके सत्यापित किया जा सकता है।
- **आवाज पहचान या वॉयस रिकॉग्निशन:** शारीरिक रूप से किसी भी व्यक्ति के कंठ/स्वर पथ (vocal tract) के स्वरूप में नासिका, मुख और कंठ सम्मिलित होते हैं - जो ध्वनि को निर्धारित करने में सहायता करते हैं। व्यावहारिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति के कहने या बोलने में भी-गति भिन्नता, स्वर, गति, उच्चारण और इसी प्रकार की अन्य विविधिताएं पायी जाती हैं।
- **रेटिना स्कैन:** इसके तहत विशिष्ट निकट अवरक्त कैमरों (near-infrared cameras) का उपयोग कर नेत्रों के भीतर स्थित केशिकाओं (प्रत्येक व्यक्ति में पृथक-पृथक) को अधिग्रहित किया जाता है।
- **कुंजी आघात गतिकी (Keystroke dynamics):** कुंजी आघात गतिकी के तहत लोगों द्वारा कीबोर्ड या कीपैड पर टाइप करते समय उपयोग किए जाने वाले एक निश्चित पैटर्न को संज्ञान में लिया जाता है।
- उपर्युक्त संकेतकों के अतिरिक्त, अन्य बायोमेट्रिक्स का भी उपयोग धीरे-धीरे बढ़ रहा है, जैसे- कान संबंधी प्रमाणीकरण (ear authentication), फुटप्रिंट और फुट डायनामिक्स और चलने (gait) की शैली की पहचान।

फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का महत्व

बेहतर सुरक्षा: सरकारी स्तर पर, फेशियल रिकॉग्निशन **आतंकवादियों या अन्य अपराधियों की पहचान करने में** मदद कर सकता है।

- **तीव्र संसाधन:** इस तकनीक के तहत किसी भी व्यक्ति के चेहरे की पहचान करने में केवल एक सेकंड का समय लगता है। फेशियल रिकॉग्निशन किसी व्यक्ति की पहचान के **त्वरित और कुशल सत्यापन** को सक्षम बनाती है।
- **अपराध में कमी:** मात्र फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का उपयोग ही विशेष रूप से छोटे अपराधों के लिए एक निवारक के रूप में कार्य कर सकता है।
- **स्टॉप एंड सर्च (रोकने एवं जांच पड़ताल करने) की पक्षपातपूर्ण प्रवृत्ति को समाप्त करना:** फेशियल

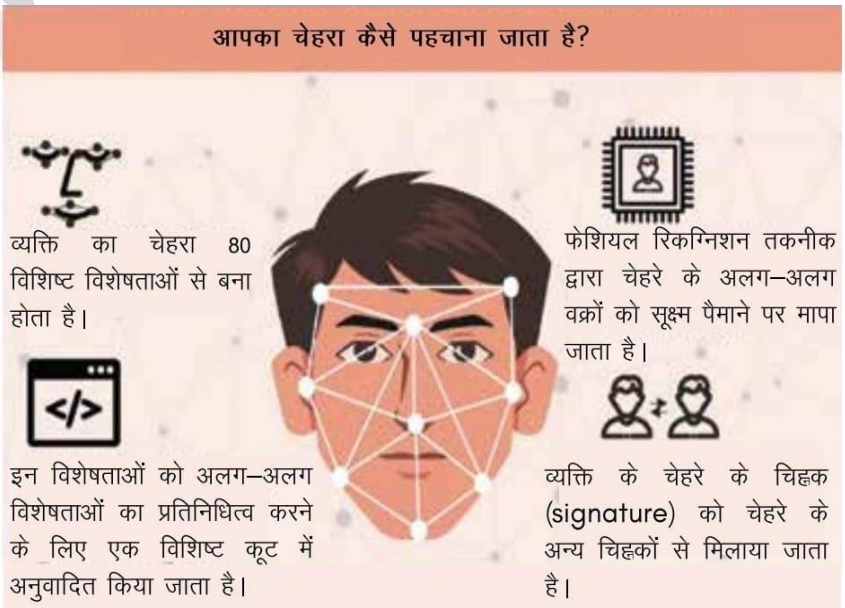

रिकॉग्निशन तकनीक मानव प्रक्रिया की बजाय एक स्वचालित प्रकिया के माध्यम से भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर संदिग्धों की पहचान करके, कानून का पालन करने वाले नागरिकों पर **संभावित पक्षपात** और स्टॉप एंड सर्च की अनुचित प्रवृत्ति को कम करने में मदद कर सकती है।

इस प्रौद्योगिकी से संबद्ध चुनौतियां

- **त्रुटि की संभावना:** यह तकनीक केवल संभावनाओं के आधार पर 'पहचान' या 'सत्यापन' करती है (उदाहरण के लिए, इसकी संभावना केवल 70% हो सकती है कि फोटो पर दिखाया गया व्यक्ति वही व्यक्ति है, जो पुलिस की निगरानी सूची में है)।
    - उदाहरण के लिए, इसके तहत **'एक भ्रामक पहचान' (किसी अन्य व्यक्ति के सदृश्य छवि न कि संदिग्ध व्यक्ति की वास्तविक छवि)** प्राप्त होने की संभावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति जहां एल्गोरिथम किसी छवि का त्रुटिपूर्ण मिलान कर देता है, भले ही उस छवि में चिन्हित व्यक्ति संदिग्ध न हो। इसके परिणामस्वरूप अनुचित गिरफ्तारी को बढ़ावा मिल सकता है।
- **अंतर्निहित पूर्वाग्रह:** शोध से ज्ञात हुआ है कि फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर पूर्व-प्रशिक्षित मॉडल पर आधारित है। इसलिए, प्रशिक्षण डेटासेट में कुछ निश्चित प्रकार के चेहरों (जैसे- महिला, बच्चे और नृजातीय अल्पसंख्यक) की संख्या बढ़ने या ऐसे चेहरों की संख्या कम हो जाने पर यह पूर्वाग्रह इसके प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है।
    - उदाहरण के लिए, त्रुटि और पूर्वाग्रह के घटकों से युक्त फेशियल रिकॉग्निशन द्वारा आपराधिक न्याय प्रणाली में कुछ अधिक प्रतिनिधित्व वाले समूहों (जैसे- दलित एवं अल्पसंख्यक) की प्रोफाइलिंग को बढ़ावा मिल सकता है।
- **वृहद पैमाने पर डेटा संग्रहण:** फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर वस्तुतः मशीन लर्निंग प्रौद्योगिकी पर निर्भर होती है। इसके लिए "सीख/विश्लेषण" हेतु बड़े पैमाने पर डेटा सेट की आवश्यकता होती है और तभी सटीक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।
- **निजता के अधिकार पर प्रभाव:** चूंकि NAFRS द्वारा संवेदनशील निजी सूचनाओं को एकत्र, संसाधित और संग्रहित किया जाता है, ऐसे में लंबी अवधि के लिए फेस बॉयोमीट्रिक्स - भले ही स्थायी रूप से नहीं - लेकिन निजता के अधिकार को प्रभावित कर सकती है।
    - **के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ वाद (2017) में NAFRS उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए तीनों परीक्षणों** (कानून के अस्तित्व से संबंधित, राज्य की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध गारंटी तथा लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के साधनों के बीच तार्किक संबंध स्थापित करने में) **में असफल** रहा है।
- **अनुसंधान एवं विकास का अभाव:** ज्ञातव्य है कि पुलिस और कानून व्यवस्था राज्य सूची के विषय हैं। अत: कुछ राज्यों द्वारा अंतर्निहित जोखिमों का पूर्ण विश्लेषण किए बिना ही नई तकनीकों का उपयोग करना आरंभ कर दिया गया है।
- **उदार लोकतंत्र को प्रभावित करना:** चूंकि, गोपनीयता या अनामिता एक उदार लोकतंत्र की कार्यप्रणाली का एक प्रमुख आधार है, इसलिए फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक का अनियंत्रित उपयोग स्वतंत्र पत्रकारिता या बिना हथियारों के शांतिपूर्वक एकत्रित होने के अधिकार या नागरिक समाज की किसी भी तरह की सक्रियता को हतोत्साहित कर सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां

- **संयुक्त राज्य अमेरिका:** फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा संभावित जांच योग्य साक्ष्यों के लिए फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक का उपयोग किया जाता है।
- **यूनाइटेड किंगडम:** इंग्लैंड में भी गंभीर हिंसा की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल द्वारा फेशियल रिकॉग्निशन का उपयोग किया जाता है।
- **चीन:** यह उइगर मुस्लिमों को ट्रैक करने के क्रम में नस्लीय प्रोफाइलिंग और सामूहिक निगरानी के लिए फेशियल रिकॉग्निशन का उपयोग करता है।

आगे की राह

- **स्पष्ट कानून की आवश्यकता:** नागरिक स्वतंत्रता के हित में और लोकतंत्र को सत्तावादी के रूप में परिवर्तित होने से रोकने हेतु एक सुदृढ़ तथा सार्थक डेटा संरक्षण कानून को अधिनियमित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, NAFRS के वैधानिक प्राधिकार और उसे लागू करने के लिए दिशा-निर्देशों को भी अधिसूचित किया जाना आवश्यक है।
- **क्षेत्र में विशेषज्ञता की आवश्यकता:** सोशल मीडिया प्रोफाइल से एकत्र किए गए डेटा में प्रामाणिकता से संबंधित जोखिम बने रहते हैं। इसलिए, विशेषज्ञों द्वारा ऐसे विवरणों को संग्रहीत करने से पूर्व सत्यापित किया जाना चाहिए। एकत्रित डेटा और डेटाबेस के दुरुपयोग एवं हेराफेरी को रोकने हेतु उन्हें उचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।
- **पर्याप्त सुरक्षा उपाय:** फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक के गलत प्रयोग या दुरुपयोग होने की संभावना को कम करने के लिए कानून लागू करने वाले निकायों की जवाबदेही को बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, पर्याप्त निगरानी के साथ दंड जैसे सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

Emphasis on conceptual clarity to train the aspirants for developing an understanding to solve ethics case study from basic to advance level

Case studies covers all the exclusive topics from contemporary and current issues as well as previous Year UPSC Paper Case studies

To discuss on Various techniques on writing soring answers.

One to one mentoring session

ETHICS

Case Studies Classes

Starts: 30th OCT | 1 PM

Focus on contemporary issues and interlinking case studies with topics of current interest.

Regular Doubts clearing session and personal guidance for the ethics paper throughout your preparation

Daily Class assignment and discussion

Comprehensive & updated ethics material

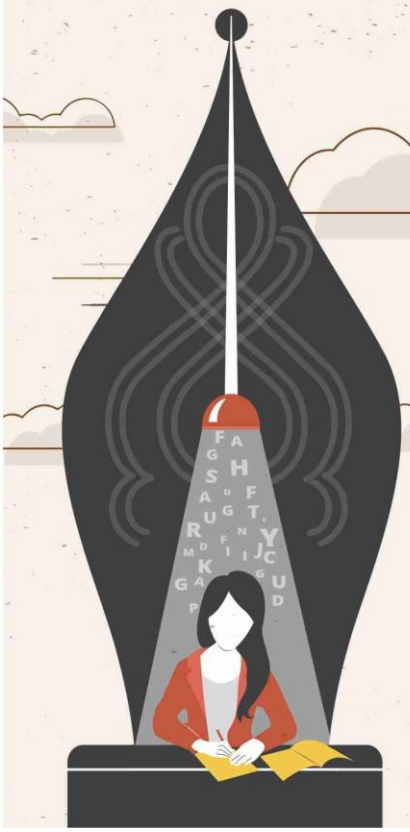

ESSAY

ENRICHMENT PROGRAME 2021

31 OCTOBER | 5 PM

- Introducing different stages from developing an idea into completing an essay
- Practical and efficient approach to learn different parts of essay
- Regular practice and brainstorming sessions
- Inter disciplinary approaches
- LIVE / ONLINE Classes Available

6. पूर्वोत्तर में उग्रवाद या विद्रोह (Insurgency in the North East)

संक्षिप्त विवरण

पूर्वोत्तर में नृजातीय समूहों की संख्या सौ से अधिक है, और ये अत्यंत घनिष्ठ रूप से अपनी पहचान एवं विशिष्टता से जुड़े हुए हैं तथा वे इसे बनाए रखने हेतु सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। वे इस विशिष्टता को अपने राजनीतिक और सामाजिक ढांचे में भी बनाए रखने हेतु प्रयासरत रहे हैं। साथ ही, हितों की उपेक्षा और उन्हें समुचित प्रतिनिधित्व न मिलने पर इनके द्वारा राजनीतिक संगठनों को लक्षित करके, हिंसक विद्रोह किए जाते रहे हैं।

पूर्वोत्तर में उग्रवाद के व्यापक प्रसार ने इस क्षेत्र की शांति-व्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। इससे न केवल क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक विकास प्रभावित होता है बल्कि देश पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

वर्तमान स्थिति

हालांकि, **युद्धविराम समझौतों**, **शांति वार्ता**, भारत के भीतर मजबूत **सैन्य कार्रवाइयों** के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र में पिछले 5 से 6 वर्षों में उग्रवाद में भारी गिरावट आई है। साथ ही **वर्ष 2014 की तुलना में, वर्ष 2020 में अब तक केवल** 162 घटनाएं घटित हुई हैं तथा **विद्रोह की घटनाओं में 80% की कमी** आई है और 2 नागरिकों की हत्या हुई है। हालांकि, अभी भी कई विद्रोही समूह इस क्षेत्र में सक्रिय हैं।

पूर्वोत्तर में उग्रवाद – एक नज़र में

पूर्वोत्तर में उग्रवाद के मुख्य कारण

- व्यापक पैमाने पर प्रवास या पड़ोसी जनजातियों के साथ नृजातीय प्रतिद्वंद्विता के कारण **स्थानीय स्तर पर पहचान का संकट।**
- पूर्वोत्तर में साक्षरता और मानव विकास के अपेक्षाकृत उच्च स्तर के बावजूद **खराब कनेक्टिविटी और सीमित बुनियादी ढांचे** के कारण अवसरों की कमी।
- सरकार की अक्षमता और वस्तुओं की कमी के कारण **शासन एवं अर्थव्यवस्था का अनौपचारिक रूप।**
- दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र के चलते **असुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं।**
- सुरक्षा बलों की अत्यधिक उपस्थिति और मानवाधिकारों से जुड़े मुद्दों के कारण **मुख्यधारा से अलगाव की भावना।**

देश के लिए पूर्वोत्तर में शांति बनाए रखने का महत्व

- **राष्ट्रीय सुरक्षा:** पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा का अधिकांश हिस्सा, जिसमें विवादित क्षेत्र भी शामिल हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति की है। इसलिए यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
- **सीमा–पार संबंधों को मजबूत करना:** इस क्षेत्र की भू–रणनीतिक अवस्थिति के कारण यह दक्षिण–पूर्व एशिया के लिए एक सेतु के रूप में कार्य कर सकता है।
- **आर्थिक महत्व:** अपने समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों (जैसे– तेल और गैस, जल विद्युत की क्षमता, वन–आधारित उत्पाद), पर्यटन और निर्यात की क्षमता आदि के बावजूद भी यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है।
- **राष्ट्रीय एकीकरण:** पूर्वोत्तर क्षेत्र यहां निवास करने वाली 200 से अधिक जनजातियों के साथ एक मिनी–इंडिया का प्रतिनिधित्व करता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में सद्भाव स्थापित करना, संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक रोल मॉडल बनाने में सहायता कर सकता है।

पूर्वोत्तर में शांति बहाल करने और समृद्धि लाने के लिए सरकार द्वारा की गई पहल

- NLFT समझौता (त्रिपुरा), ब्रू शरणार्थी पुनर्वास समझौता, बोडो शांति समझौता और हाल ही में हुए कार्बी आंगलोंग **शांति समझौता जैसे शांति समझौतों या करार** के माध्यम से लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का **स्थायी समाधान।**
- विद्रोही समूहों के लिए सुरक्षित आश्रय को समाप्त करने हेतु पडोसी देशों के सहयोग से सीमाओं पर बाड़ लगाना। उदाहरण के लिए, त्रिपुरा में भारत–बांग्लादेश सीमा पर लगभग 24 कि.मी. की बाड़ लगाई गई है।
- **स्थानीय और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पहल, जैसे:**
  - **उड़ान 4.0** (उड़े देश का आम नागरिक) के तहत पूर्वोत्तर हवाई मार्गों को प्राथमिकता।
  - पूर्वोत्तर की सभी राजधानियों को भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ने के लिए तीव्र प्रयास।
  - **मैत्री सेतु,** बांग्लादेश में रामगढ़ के साथ त्रिपुरा में सबरूम को जोड़ने के लिए फेनी नदी पर 1.9 कि.मी. के पुल का निर्माण।
- **निम्नलिखित उपायों के माध्यम से "एक्ट ईस्ट पॉलिसी" के तहत आर्थिक केंद्र के रूप में पूर्वोत्तर का विकास:**
  - केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के **सकल बजटीय सहायता का कम से कम 10 प्रतिशत अनिवार्य** रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निर्धारित करना।
  - **स्वदेश दर्शन योजना, व्यापक दूरसंचार विकास परियोजना, कृषि निर्यात क्षेत्र, राष्ट्रीय बांस मिशन** जैसी पहल।
- इस क्षेत्र की सांस्कृतिक समृद्धि को संरक्षित करने के लिए हॉर्नबिल त्यौहार जैसे स्थानीय उत्सवों का आयोजन।

शांति और समृद्धि की पहल के समक्ष चुनौतियां

- दुर्गम भू–भाग वाली **गैर–सीमांकित सीमाओं** के कारण सीमाओं पर बाड़ लगाना एक जटिल कार्य है।
- **आर्थिक विकास और कनेक्टिविटी संबधी पहलों के समक्ष खतरे,** पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की उपस्थिति और भूमि अधिग्रहण में कठिनाईयों से संबंधित चुनौतियाँ।
- **सीमित FDI अंतर्वाह और पूर्वोत्तर में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की प्रधानता।**
- मानव–तस्करी, नशीले पदार्थों का व्यापार, अवैध शिकार आदि में शामिल संगठित अपराध सिंडिकेट की उपस्थिति।
- आसियान देशों के साथ **भारतीय व्यापार की वृद्धि में गिरावट** और विद्रोही समूहों द्वारा म्यांमार में **भारत की कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर हमलों की घटना** एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए चुनौती।
- अन्य क्षेत्रों के लोगों में इस क्षेत्र और यहां के लोगों के बारे में **प्रचलित रूढ़िबद्ध धारणाएं।**

आगे की राह

- **सामाजिक–सांस्कृतिक स्तर पर,** शेष भारतीयों और बाहरी लोगों में पूर्वोत्तर के लोगों, उनकी संस्कृति, भाषा आदि के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
- **आर्थिक स्तर पर,** क्षेत्र में आवश्यक उद्यमिता के विकास के लिए मौजूदा बुनियादी ढांचे के अनुरूप खाद्य प्रसंस्करण, फूलों की खेती, रेशम उत्पादन आदि जैसे हल्के उद्योगों पर काम करना।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा के स्तर पर,** मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए निरंतर आतंकवाद विरोधी अभियानों के साथ शांति प्रयासों को जारी रखना।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, पड़ोसी देशों से संचालित विद्रोही समूहों और संगठित अपराध गठजोड़ के खिलाफ संयुक्त प्रयास करना। साथ ही, असुरक्षित सीमा से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए गैर–सीमांकित सीमा के मुद्दों का समाधान करना।
- राजनीतिक स्तर पर, इस क्षेत्र में सामाजिक एकीकरण के लिए पूर्वोत्तर के राजनीतिक दलों और नागरिक समाज को शामिल करना।

6.1. बोडो शांति समझौता (Bodo Peace Accord)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, असम राज्य में तृतीय बोडो शांति समझौते की प्रथम वर्षगांठ मनाई गई।

तृतीय बोडो शांति समझौते के बारे में

- यह 27 जनवरी 2020 को **केंद्र सरकार, असम सरकार और** असम के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन **नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (NDFB)** के मध्य त्रिपक्षीय समझौते के रूप में हस्ताक्षरित तीसरा बोडो शांति समझौता है। इसे असम में बोडो बहुल क्षेत्रों में स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए हस्ताक्षरित किया गया था।

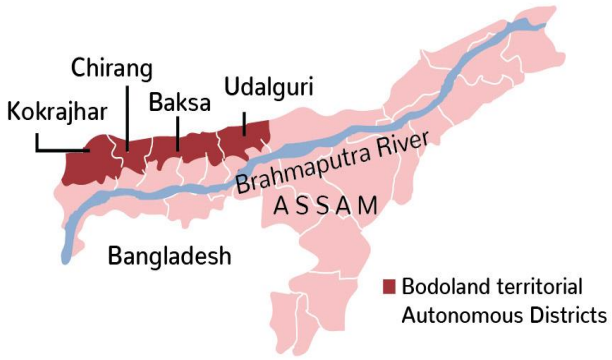

इस समझौते के प्रमुख निष्कर्ष

- **बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिलों (BTADs)**[57] का पुनर्गठन किया गया है। इसमें मौजूदा BATDs से संलग्न नए बोडो बहुल ग्रामों को शामिल और मुख्यतः गैर-जनजातीय आबादी वाले गाँवों को बाहर किया गया है।
- **BTADs का नाम परिवर्तित कर बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (BTR)**[58] **कर दिया गया।** इसमें अब पूर्व की तुलना में अधिक कार्यकारी, प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय शक्तियां निहित हैं।

[57] Bodo Territorial Areas Districts

[58] Bodoland Territorial Region

- BTR के सीमांकन और पुनर्गठन के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक तटस्थ व्यक्ति की अध्यक्षता और हितधारकों के प्रतिनिधित्व से संबद्ध **एक आयोग का गठन** किया जाएगा।
- कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ के पहाड़ी जिलों में रहने वाले बोडो को अनुसूचित पर्वतीय जनजाति का दर्जा[59] प्रदान किया जाएगा।
- बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (BTC)[60] में **सीटों की संख्या 40 से बढ़ाकर 60** की जाएगी।
- **देवनागरी लिपि के साथ बोडो संपूर्ण असम के लिए** एक सहयोगी राजभाषा होगी।
- उपायुक्त (Deputy Commissioners) और पुलिस अधीक्षक (Superintendents of Police) BTC के मुख्य कार्यकारी सदस्य (CEM)[61] के परामर्श से नियुक्त किए जाएंगे।
- **1,500 करोड़ रुपये का एक विशेष विकास पैकेज** तीन वर्षों में प्रदान किया जाएगा।

बोडोलैंड विवाद का विकासक्रम

- **1960 और 1970 का दशक:** बोडो-आबादी बहुल क्षेत्रों पर आप्रवासियों द्वारा अवैध अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए बोडो और अन्य जनजातियों द्वारा 'उदयाचल' के रूप में एक अलग राज्य की माँग की गई थी। हालाँकि, यह मांग प्लेन्स ट्राइबल्स काउंसिल ऑफ असम (एक राजनीतिक संगठन) के तत्वावधान में की गई थी।
- **वर्ष 1993:** केंद्र, असम सरकार और ABSU द्वारा एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, जिसके पश्चात् बोडोलैंड स्वायत्त परिषद (BAC)[62] का गठन किया गया। हालांकि, समझौते के विभिन्न प्रावधानों को लागू नहीं करने के कारण BAC अपने गठन के उद्देश्यों की प्राप्ति में विफल रही।
- **वर्ष 2003**: केंद्र, असम सरकार और BLT के मध्य हस्ताक्षरित एक त्रिपक्षीय समझौते के उपरांत बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (BTC) का गठन किया गया तथा BLT को भंग कर दिया गया।
- **वर्ष 2005**: NDFB समूह द्वारा युद्ध-विराम (असम सरकार और केंद्र के साथ) की घोषणा की गई। इस संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद, यह समूह तीन गुटों में विभाजित हो गया। उन गुटों में से एक, NDFB (S), द्वारा हिंसक हमले किए जाते रहे हैं।

इस दिशा में अब तक किए गए प्रयास

- **बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (BTR)** को नया स्वरुप प्रदान करने के लिए **एक सीमा आयोग का गठन किया गया है।**
- विभिन्न आयोगों और सलाहकार समितियों के माध्यम से बोडो क्षेत्र के निवासियों के लिए विकास कार्य को संचालित किया जा रहा है।

[59] Scheduled Hill Tribe status

[60] Bodoland Territorial Council

[61] Chief Executive Member

[62] Bodoland Autonomous Council

- **750 करोड़ रुपये की लागत वाली 65 योजनाओं को आरंभ किया गया है तथा** अलग से 565 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन भी किया गया है।

- बोडो भाषा को उचित सम्मान देने के लिए **असम राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया** गया है।
- **आत्मसमर्पण करने वाले सभी उग्रवादियों के लिए आर्थिक सहायता (4 लाख रुपये) की भी शुरूआत की गई है।**

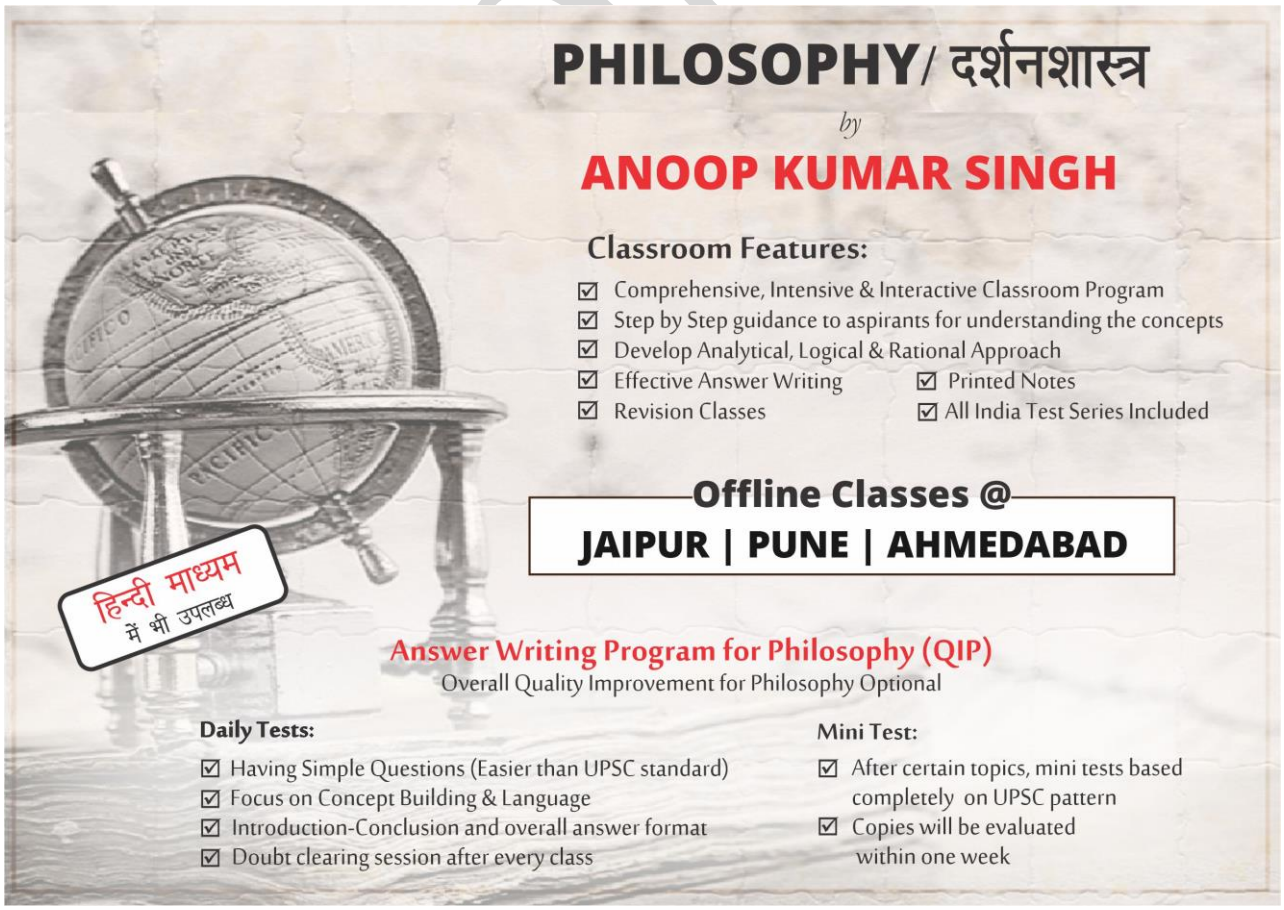

7. विविध (Miscellaneous)

7.1. आसूचना सुधार (Intelligence Reforms)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, अनेक विशेषज्ञों ने चीन द्वारा निरंतर की जाने वाली घुसपैठ की पृष्ठभूमि में आसूचना सुधारों की आवश्यकता को इंगित किया है।

भारत में आसूचना संरचना

- भारत के वर्तमान आसूचना तंत्र में **विशिष्ट अधिदेश प्राप्त विभिन्न एजेंसियां** सम्मिलित हैं।
- शीर्ष स्तर पर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA)[63] की अध्यक्षता में **राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सचिवालय (NSCS)[64]** कार्यरत है। इसकी स्थापना सरकार द्वारा वर्ष 1998 के पोखरण-2 परमाणु परीक्षणों के उपरांत की गई थी।
  - यह भारत के प्रधान मंत्री के कार्यकारी कार्यालय के अंतर्गत संचालित होता है। यह **सरकार की कार्यकारी शाखा और आसूचना सेवाओं के मध्य समन्वय स्थापित करता है।** इसके अतिरिक्त, यह आसूचना और सुरक्षा के मुद्दों पर नेतृत्वकारी परामर्श भी प्रदान करता है।
- विभिन्न एजेंसियों से सभी खुफ़िया जानकारी (आसूचना) एकत्रित करने और विश्लेषण करने के उद्देश्य से **संयुक्त आसूचना समिति (JIC)[65]** नामक एक एक निकाय का गठन किया गया था। वर्ष 2018 में इसका NSCS में विलय कर दिया गया था।
- **अन्य आसूचना एजेंसियां:**
  - वर्ष 1887 में **आसूचना ब्यूरो (IB)** का गठन किया गया था। यह गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करता है और भारत की घरेलू खुफ़िया, आंतरिक सुरक्षा और आसूचना-रोधी (counter-intelligence) कार्यवाही के लिए उत्तरदायी है।
    - इसे पूर्व में भारतीय राजनीतिक खुफ़िया कार्यालय[66] के नाम से जाना जाता था। परन्तु स्वतंत्रता के उपरांत इसका नाम परिवर्तित करके आसूचना ब्यूरो (IB) कर दिया गया।
  - वर्ष 1968 में **अनुसंधान और विश्लेषण स्कंध (रॉ) (R&AW)[67]** का गठन किया गया था। यह देश की एक बाह्य खुफ़िया एजेंसी है।
    - यह प्रधान मंत्री के प्रत्यक्ष आदेश के तहत संचालित होती है। R&AW मंत्रिमंडल सचिवालय (Cabinet Secretariat) का एक स्कंध (विंग) है।
  - **राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (NTRO)[68] (पूर्ववर्ती राष्ट्रीय तकनीकी सुविधा संगठन):** इसे वर्ष 2004 में स्थापित किया गया था। यह भारत सरकार की तकनीकी खुफ़िया एजेंसी है।
    - NTRO भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) के तहत एक तकनीकी आसूचना एजेंसी है और यह प्रधान मंत्री कार्यालय का एक भाग है।
  - **राजस्व आसूचना निदेशालय (Directorate of Revenue Intelligence: DRI):** यह तस्करी-रोधी खुफ़िया सूचनाओं के संग्रहण हेतु स्थापित एक निकाय है। इसकी स्थापना वर्ष 1957 में गई थी और यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
- **IB, रॉ और NTRO** के "आचरण मानदंड" (norms of conduct) **आसूचना संगठन (अधिकार निर्बंधन) अधिनियम, 1985 {Intelligence Organisations (Restrictions of Rights) Act, 1985}** द्वारा शासित होते हैं।
  - इसके अतिरिक्त, भारतीय खुफ़िया एजेंसियों के कर्मचारी **शासकीय गुप्त बात अधिनियम[69]** (वर्ष 1923 में पहली बार अधिनियमित) के अधीन हैं। यह अधिनियम अन्य विषयों के साथ-साथ गोपनीय सूचनाओं के साझाकरण को शासित करता है।

[63] National Security Advisor

[64] National Security Council Secretariat

[65] Joint Intelligence Committee

[66] Indian Political Intelligence Office

[67] Research and Analysis Wing

[68] National Technical Research Organisation

- चीन और पाकिस्तान जैसे परमाणु हथियार संपन्न विरोधियों, माओवादियों और साइबर आतंकवाद जैसे विविध और जटिल राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों को देखते हुए खुफिया सूचनाओं में सुधार करना अत्यंत आवश्यक हो गया है।

आगे की राह

- **बेहतर समन्वय:** बेहतर अंतर-समन्वय स्थापित करने, अतिव्यापि और दोहराव को समाप्त करने, क्षेत्राधिकार संघर्ष को समाप्त करने तथा राष्ट्रीय संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय आसूचना समन्वयक / राष्ट्रीय आसूचना निदेशक को नियुक्त किया जाना चाहिए।
- **विधिक स्थिति प्रदान करना:** यह भारत के आसूचना समुदाय/एजेंसियों को वैधानिक आधार और एक चार्टर प्रदान करेगा तथा इसे संस्थागत रूप से जवाबदेह बनाएगा।
- **जवाबदेही में सुधार:** भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) / NSA तथा एक पृथक आसूचना लोकपाल की वार्षिक रिपोर्ट द्वारा आसूचना एजेंसियों की वित्तीय जवाबदेही को मजबूत किया जाना चाहिए। साथ ही, इनकी निगरानी के लिए एक संसदीय जवाबदेही समिति का भी गठन किया जाए।
- **प्रौद्योगिकी और नवाचार में मजबूत आधार:** इस प्रकार के ढांचे के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और शिक्षाविदों के मध्य एक त्रिपक्षीय साझेदारी की आवश्यकता होगी। स्थानीय क्षमता को तेजी से निर्मित करने के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकी मार्गों की पहचान करने और एक ठोस पंचवर्षीय योजना बनाने की आवश्यकता है।
- **भर्ती, नियुक्ति, पदोन्नति और प्रशिक्षण में सुधार:** विभिन्न खुफ़िया एजेंसियों के लिए खुला और पृथक प्रत्यक्ष भर्ती तंत्र, प्रशिक्षण मॉड्यूल में सुधार, प्रशिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार और स्वस्थाने पदोन्नति से मध्यम व मध्य-वरिष्ठ स्तर पर सुधार होता है।
- **मुक्त स्रोतों से जानकारी एकत्रित करना:** सूचना न केवल पारंपरिक मीडिया स्रोतों, जैसे- समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविजन से प्राप्त होती है, बल्कि माइक्रो-ब्लॉग, ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया से भी प्राप्त की जा सकती है।

[69] Official Secrets Act

- **एकत्रित जानकारी का विश्लेषण करने की क्षमता:** आसूचना संग्रह और विश्लेषण दोनों कार्यों को मजबूत करते हुए आसूचना व विश्लेषण दोनों को पृथक करने हेतु एक प्रणाली की आवश्यकता है।

7.2. इंटरनेट शटडाउन (Internet Shutdowns)

सुर्ख़ियों में क्यों?

यूनाइटेड किंगडम स्थित एक कंपनी **टॉप 10 वी.पी.एन. (Top10VPN)** की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020 में इंटरनेट शटडाउन (अर्थात् इंटरनेट को बंद करना या इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाना या अवरुद्ध करना) के कारण **भारत को लगभग 2.8 बिलियन डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है।** ज्ञातव्य है कि इसके कारण विश्व अर्थव्यवस्था को हुए लगभग 4 बिलियन डॉलर के कुल नुकसान में भारत की लगभग 70% हिस्सेदारी थी

इंटरनेट शटडाउन के बारे में

- **परिभाषा:** यह रिपोर्ट इंटरनेट शटडाउन को सूचना के प्रवाह पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु किसी विशिष्ट जनसांख्यिकी क्षेत्र या स्थान के लिए **इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक संचार को अवरुद्ध करने** के रूप में परिभाषित करती है। **इंटरनेट शटडाउन के निम्नलिखित प्रकार हो सकते हैं:**
  - **इंटरनेट ब्लैकआउट (Internet blackouts):** इसमें इंटरनेट तक पहुँच पूर्ण रूप से समाप्त कर दी जाती है।
  - **सोशल मीडिया शटडाउन (Social media shutdowns):** इसमें फेसबुक व व्हाट्सएप जैसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक पहुँच अवरुद्ध कर दी जाती है।
  - **थ्रॉटलिंग (Throttling):** इसमें इंटरनेट की स्पीड (गति) कम कर उसे 2G के स्तर तक पहुँचा दिया जाता है।

इंटरनेट शटडाउन से संबंधित प्रावधान

समयावधि	प्रावधान	कौन आदेश जारी कर सकता है?	शटडाउन की अवधि
वर्ष 2017 से पूर्व	 • **दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144** (किसी क्षेत्र में पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने को प्रतिबंधित करता है) • **भारतीय तार अधिनियम, 1885**	 **जिलाधिकारी / सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट / राज्य द्वारा अधिकृत कोई अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट**	 **धारा 144 के तहत** 2 महीने से अधिक नहीं तथा परिस्थितियों के अनुसार राज्य द्वारा 6 महीने तक विस्तारित किया जा सकता है।
वर्ष 2017 के बाद	• **दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन (लोक आपात या लोक सुरक्षा) नियम, 2017:** भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके यह नया नियम बनाया गया। • 2017 के नियमों के बावजूद, सरकार ने अक्सर **धारा 144** के	• संघ या राज्य सरकार के केवल **गृह सचिव** आदेश जारी कर सकते हैं और इस आदेश की एक समिति द्वारा 5 दिन के भीतर समीक्षा की जाएगी • "अपरिहार्य परिस्थितियों" में संघ या राज्य सरकार के गृह सचिव द्वारा अधिकृत संयुक्त सचिव या	• **दूरसंचार सेवाओं का अस्थायी निलंबन (संशोधन) नियम, 2020** के अंतर्गत दूरसंचार इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने का आदेश 15 दिनों से अधिक के लिए प्रचालन या प्रभावी नहीं रहेगा।

	तहत व्यापक शक्ति का उपयोग किया है।	उससे ऊपर के रेंक का अधिकारी आदेश जारी कर सकता है।	

इंटरनेट शटडाउन के लिए अन्य प्रावधान: सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 69(A) सरकार को निश्चित वेबसाइटों को ब्लॉक करने की शक्ति प्रदान करती है, न कि इंटरनेट को संपूर्ण रूप से।

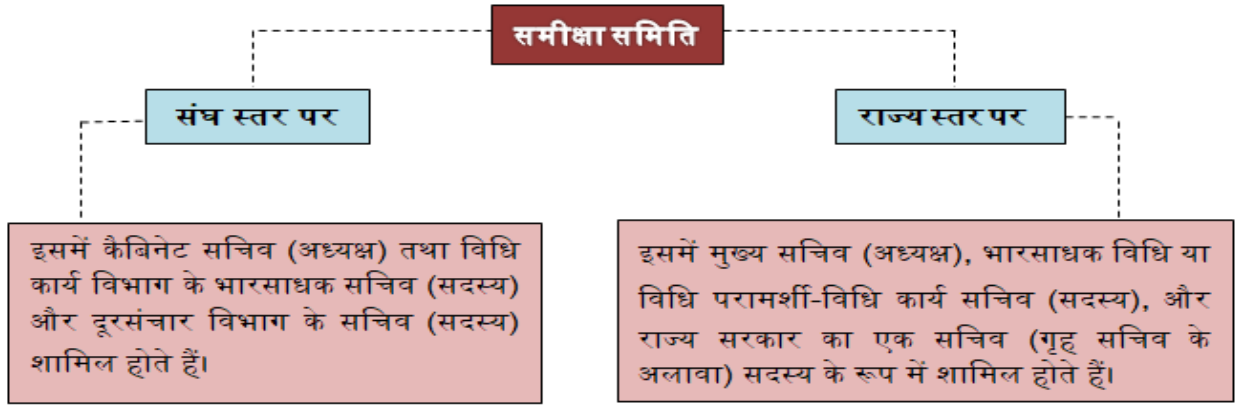

- **इंटरनेट शटडाउन के पक्ष में तर्क:** यह हेट स्पीच (घृणा-वाक्), झूठी खबरों (फेक न्यूज़) आदि को रोकने के लिए एक साधन के रूप में कार्य करके शांति और सार्वजनिक स्थिरता को सुनिश्चित करता है।
- **इंटरनेट शटडाउन के विपक्ष में तर्क:** यह नागरिक स्वतंत्रता, आर्थिक नुकसान, मौलिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सार्वजनिक सेवाओं को बाधित करके मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है।

आगे की राह

- सरकारों को स्रोत पर ही मुद्दों को संबोधित करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करनी चाहिए तथा **इंटरनेट शटडाउन के वैकल्पिक उपायों को प्राथमिकता देनी चाहिए।**
- सरकारों को ऐसी कार्रवाई करने से पूर्व **इंटरनेट शटडाउन की लागत के प्रभाव का एक लागत-लाभ विश्लेषण करने की आवश्यकता** है।
- पूँजीपतियों और निवेशकों को अपने **जोखिम मूल्यांकन** के भाग के रूप में इंटरनेट शटडाउन को शामिल करना चाहिए।
- सभी सरकारों को **कारणों, समय, विकल्पों पर विचार करने, निर्णय लेने वाले अधिकारियों और जिन नियमों के तहत शटडाउन लगाया गया था, का दस्तावेज तैयार करना चाहिए** तथा सार्वजनिक जांच के लिए इन दस्तावेज़ों को जारी करना चाहिए।

7.3. भारत में ड्रोन विनियम (Drone Regulations in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

नागर विमानन मंत्रालय (MoCA)[70] ने उदारीकृत ड्रोन नियम, 2021 को अधिसूचित कर दिया है।

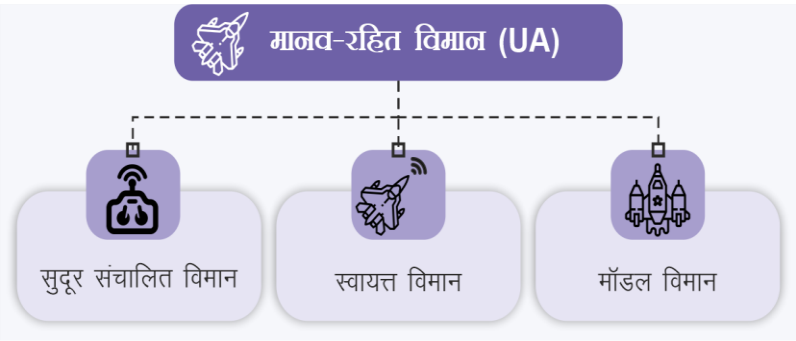

ड्रोन के बारे में

- ड्रोन वस्तुतः **मानव रहित विमान (Unmanned Aircraft: UA)** के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला एक सामान्य शब्द

[70] Ministry of Civil Aviation

है। इन विमानों को रिमोट कंट्रोल के माध्यम से विमानचालक के बिना ही परिचालित किया जाता है।

- विमान और उससे संबंधित घटक, जो किसी विमानचालक के बिना परिचालित होते हैं, उन्हें **मानव रहित विमान प्रणाली (UAS)**[71] के रूप में संदर्भित किया जाता है।

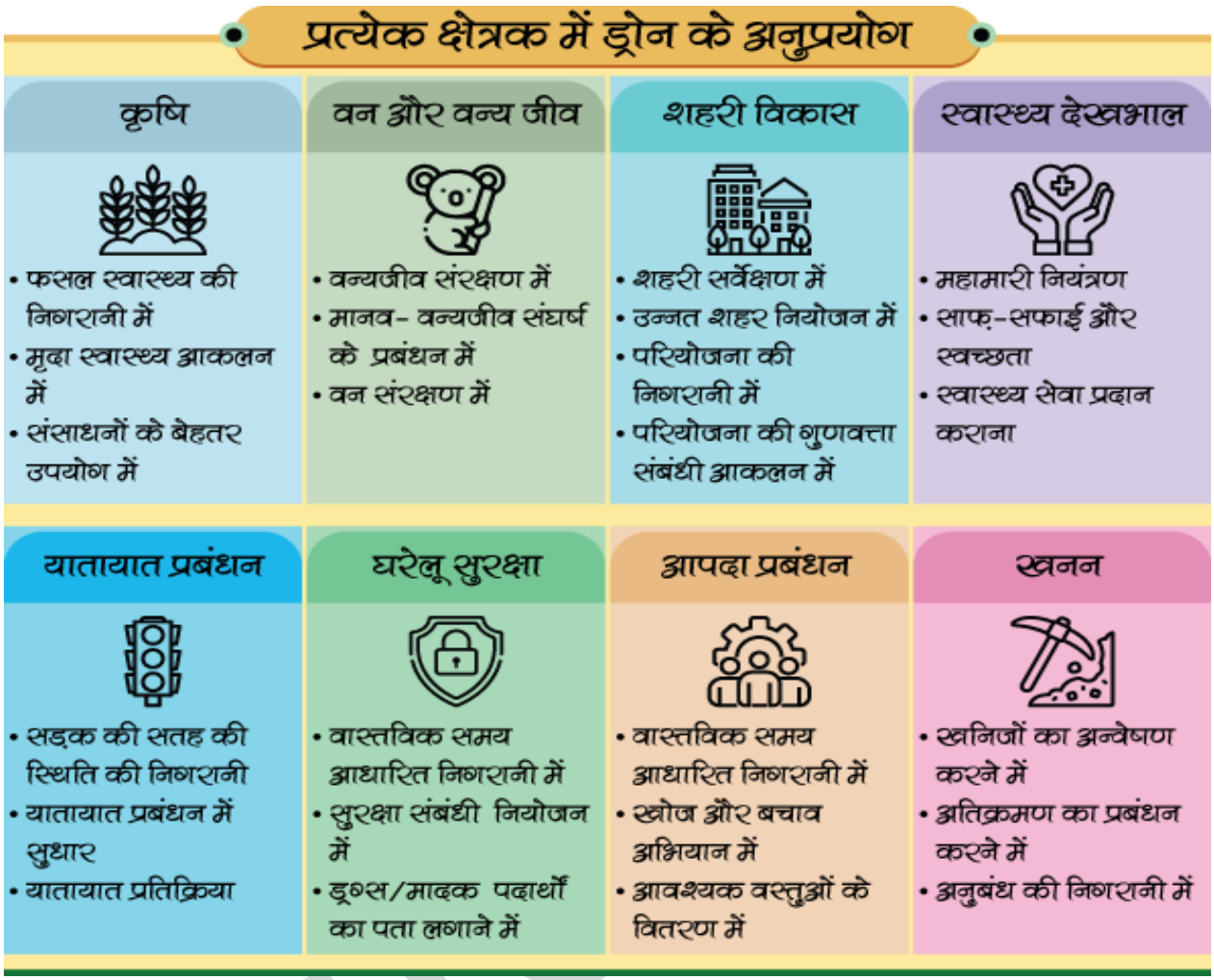

ड्रोन विनियमों की आवश्यकता

- **नीतिगत अंतराल:** मानव रहित हवाई वाहनों (UAVs) के उपयोग के लिए **नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA)**[72] द्वारा तैयार किए गए प्रथम प्रारूप दिशा-निर्देशों में अनेक नीतिगत उपाय शेष रह गए हैं, जिन्हें **सुरक्षा संबंधी मुद्दों** और **विभिन्न असैन्य क्षेत्रकों (civilian sectors) में ड्रोन के वैध उपयोग** के मध्य संतुलन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संबोधित किया जाना चाहिए।
- **गुणवत्ता नियंत्रण:** चूंकि, भारत को अपनी ड्रोन संबंधी आवश्यकता के अधिकांश हिस्से की पूर्ति के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ता है, इसलिए उनके गुणवत्ता नियंत्रण और मानकीकरण को सुनिश्चित करने पर बल दिया जाना चाहिए।
- **निजता से संबंधित प्रश्न:** ड्रोन किसी का ध्यान आकर्षित किए बिना अर्थात् गुप्त रूप से आंकड़ों और छवियों को एकत्रित कर सकते हैं। इससे नागरिकों में उनकी निजता के अधिकार का हनन होने का भय बना रहता है। यह चिंता उन मामलों में भी देखी जा सकती है, जब सरकारी संस्थाएं जनता की निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग करती हैं।
- **आतंक से संबद्ध जोखिमों के प्रबंधन हेतु:** ड्रोन द्वारा किए जा सकने वाले विभिन्न कार्यों में त्वरित प्रगति के साथ ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, जहाँ आतंकवादी संगठनों द्वारा अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ड्रोन का उपयोग किया गया है। इन विनियमों के कार्यान्वयन से सरकार को अपने संभावित सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए ड्रोन को प्रतिबंधित करने का आश्रय नहीं लेना पड़ेगा।
- **हवाई यातायात प्रबंधन:** ड्रोन हवाई यातायात के प्रबंधन में एक नया आयाम प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि उन्हें न तो पारंपरिक विमानों की भांति ट्रैक किया जाना और न ही उनके साथ संचार स्थापित कर सकना आसान होता है।

[71] Unmanned Aircraft System

[72] Directorate General of Civil Aviation

ड्रोन और सुरक्षा चिंता

- भारत में सुरक्षा एजेंसियां कुछ समय से **संवेदनशील स्थानों/स्थलों को लक्षित करने के लिए ड्रोन के संभावित उपयोग की आशंका व्यक्त करती रही है।**
  - हालांकि, कुछ वर्ष पूर्व पंजाब सीमा पर हथियारों और मादक द्रव्यों को पहुंचाने के लिए ड्रोन का उपयोग किया गया था।
- **ड्रोन सुरक्षा के समक्ष एक जोखिम के रूप में उभर रहे हैं, जैसाकि:**
  - **पारंपरिक रडार प्रणालियां कम ऊंचाई पर उड़ने वाले उपकरणों का पता लगाने में असमर्थ होती हैं।** कम ऊंचाई पर उड़ने के अतिरिक्त, इनकी मंद गति के कारण भी ड्रोन को ट्रेस और इंटरसेप्ट करना एक कठिन कार्य होता है।
  - **आतंकी समूहों को इस प्रौद्योगिकी तक आसान पहुंच प्राप्त है** तथा ये उन्हें हवाई हमलों के संचालन की क्षमता भी प्रदान करते हैं।
  - **पारंपरिक हथियारों की तुलना में अपेक्षाकृत सस्ते, कॉम्पैक्ट और आकार में छोटे होने के बावजूद भी,** ड्रोन से कहीं अधिक विनाशकारी परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। साथ ही, इनका उपयोग सामूहिक विनाश के हथियारों की आपूर्ति हेतु भी किया जा सकता है।
  - हमलावर पक्ष के किसी भी सदस्य को प्रत्यक्ष रूप से जोखिम में डाले बिना हमला करने के लिए **इन्हे रिमोट द्वारा दूर से नियंत्रित किया जा सकता है।**
- **भारत द्वारा इन जोखिमों से निपटने हेतु किए जा रहे उपाय:**
  - **रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO)** ने एक **'ड्रोन रोधी तंत्र'** को विकसित किया है और संभवतः इसे इसी वर्ष लागू किया जाएगा।
  - **भारतीय वायु सेना** ने भी **काउंटर अनआर्म्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम (CUAS)** को खरीदने का निर्णय लिया है। इसे आतंकी/अवैध ड्रोन को विनष्ट करने के लिए लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियारों से लैस किया जा सकता है।

ड्रोन नियम, 2021 के विषय में

- इस ड्रोन नीति द्वारा **मानव रहित विमान प्रणाली (UAS) नियम, 2021 (12 मार्च 2021 को जारी) को प्रतिस्थापित किया** गया है।
- इसका उद्देश्य **अनेक प्रकार के मानव रहित विमान परिचालन परिदृश्यों को सक्षम बनाना, मानव रहित विमान उद्योग के लिए अनुपालन प्रक्रिया को अत्यंत सुलभ बनाना तथा रक्षा एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।**

प्रमुख प्रावधान

नियम लागू होंगे	• ये नियम भारत में ड्रोन/मानव रहित विमान प्रणाली का स्वामित्व/कब्ज़ा रखने वाले या इसे पट्टे पर देने, प्रचलन, अंतरण या रखरखाव में लगे सभी व्यक्तियों पर लागू होंगे। • ये नियम तत्समय भारत में या भारतीय हवाई क्षेत्र में सभी ड्रोनों पर भी लागू होंगे। • हालांकि, ये नियम भारतीय संघ की **नौसेना, थल सेना या वायु सेना से संबंधित या उनके द्वारा प्रयुक्त किसी ड्रोन/मानव रहित प्रणाली पर लागू नहीं होंगे।**

अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के लिए पात्रता शर्तें	• **निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाला व्यक्ति रिमोट पायलट अनुज्ञप्ति/लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्र होगा:**
	  ○ **जिसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 65 वर्ष हो;**
	  ○ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से **दसवीं की परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो;**
	  ○ किसी मान्यता प्राप्त रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन से, जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो, ऐसा परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर चुका हो।
	• **किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए रिमोट पायलट अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं होगी जो:**
	  ○ नैनो ड्रोन/मानव रहित विमान प्रणाली का परिचालन कर रहा हो;
	  ○ गैर-वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए एक माइक्रो ड्रोन का परिचालन कर रहा हो।
	  ○ अनुसंधान और विकास संगठनों के लिए ऐसे ड्रोन के संचालन हेतु।

ड्रोन/UAV का वर्गीकरण	• **ड्रोन/UAV को पेलोड सहित उनके अधिकतम समग्र भार के आधार पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा:**

मानव रहित विमान प्रणाली (UAS) का वर्गीकरण	
नैनो/अति सूक्ष्म UAS	250 ग्राम से कम या बराबर।

सूक्ष्म UAS	250 ग्राम से अधिक, परन्तु 2 किलोग्राम से कम या बराबर।
लघु UAS	2 किलोग्राम से अधिक, परन्तु 25 किलोग्राम से कम या बराबर।
मध्यम UAS	25 किलोग्राम से अधिक, परन्तु 150 किलोग्राम से कम या बराबर।
विशाल UAS	150 किलोग्राम से अधिक।

ड्रोन/UAS का पंजीकरण

- डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म (DSP) पर अनिवार्य विवरण प्रदान किए जाने के उपरांत ड्रोन **परिचालकों को ड्रोन के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या** (Unique Identification Number: UIN) प्रदान की जाएगी।
  - डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म (DSP), MoCA द्वारा एक **सुरक्षित और स्केलेबल मंच प्रदान करने के लिए आरंभ की गई पहल है।** यह ड्रोन प्रौद्योगिकी ढांचे का समर्थन करती है, जैसे- 'नो परमीशन, नो टेकऑफ' (No Permission, No Take-off: NPNT)। साथ ही, इसे उड़ान संबंधी अनुमति डिजिटल रूप से (ऑनलाइन) प्राप्त करने और मानव रहित विमान परिचालन एवं यातायात को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

ड्रोन का परिचालन

- केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर ड्रोन/मानव रहित विमान प्रणाली के परिचालन के लिए एक हवाई क्षेत्र का मानचित्र, जो **भारत के संपूर्ण हवाई क्षेत्र को लाल, पीले और हरे क्षेत्रों में विभाजित करता है,** प्रकाशित कर सकती है।

ग्रीन जोन	येलो जोन	रेड जोन
• **भूमिक्षेत्र या भारत के राज्यक्षेत्रीय (प्रादेशिक) जल से 400 फीट या 120 मीटर की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तक के वायुक्षेत्र,** जिसे मानव-रहित वायु प्रणाली (UAS) प्रचालनों के लिए वायुक्षेत्र के मानचित्र में, रेड जोन या येलो जोन के रूप में नामित नहीं किया गया है। • किसी प्रचालित विमानपत्तन की परिधि से 8 किलोमीटर या 12 किलोमीटर की क्षैतिज (lateral) दूरी के बीच भूमि से ऊपर 200 फुट या 60 मीटर का हवाई क्षेत्र।	• **येलो जोन का अर्थ भारत के भूमि क्षेत्रों या राज्यक्षेत्रीय जल के ऊपर परिभाषित आयामों के उस हवाई क्षेत्र से है, जिसके भीतर मानव-रहित विमान प्रणाली परिचालन प्रतिबंधित है,** और इसके लिए संबंधित हवाई यातायात नियंत्रण प्राधिकरण से अनुमति की आवश्यकता होगी।	• **रेड जोन का अर्थ भारत के भूमि क्षेत्रों या राज्यक्षेत्रीय जल के ऊपर, या भारत के राज्यक्षेत्रीय जल से परे केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कोई स्थापना या अधिसूचित बंदरगाह सीमा से परिभाषित आयामों का हवाई क्षेत्र,** जिसके भीतर केंद्र सरकार द्वारा असाधारण परिस्थितियों में मानव-रहित विमान प्रणाली परिचालन की अनुमति होगी।

- **कोई भी व्यक्ति बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किए रेड ज़ोन या येलो जोन में ड्रोन का परिचालन नहीं करेगा।**
- निर्दिष्ट ग्रीन जोन में **भूमिक्षेत्र या भारत के प्रादेशिक जल से 400 फीट ऊर्ध्वाधर ऊँचाई तक** के हवाई क्षेत्र में और परिचालित विमानपत्तन की परिधि से 8 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की पार्श्व दूरी के बीच भूमि से ऊपर 200 फुट के हवाई क्षेत्र में येलो ज़ोन के प्रावधान लागू होंगे;
- राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या विधि प्रवर्तन अभिकरण **किसी निर्दिष्ट हवाई क्षेत्र को 96 घंटे से अनधिक की अवधि के लिए अस्थायी रेड जोन घोषित कर सकती है।**
  - इसकी घोषणा ऐसे किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी, जो **पुलिस अधीक्षक या उसके समकक्ष पद से नीचे की रैंक का न हो।**

अनुसंधान और विकास (R&D) के लिए ड्रोन का परिचालन

- **ड्रोन के परिचालन के लिए** निम्नलिखित **व्यक्तियों/निकायों को उड़ान योग्यता प्रमाण-पत्र,** विशिष्ट पहचान संख्या, पूर्व अनुमति और रिमोट पायलट लाइसेंस की **आवश्यकता नहीं होगी, जिनमें शामिल हैं:**
  - केंद्र सरकार, राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रण में या उनसे मान्यता प्राप्त **अनुसंधान एवं विकास संस्थाएं और शैक्षणिक संस्थान।**

	○ उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त **स्टार्ट-अप्स।** ○ कोई भी ड्रोन/मानव रहित विमान विनिर्माता **जिसके पास वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या हो।** • परन्तु, इस प्रकार के **ड्रोन/UAS का परिचालन ग्रीन जोन के भीतर और उस व्यक्ति के परिसर के भीतर हो, जहां ऐसा अनुसंधान विकास और परीक्षण किया जा रहा हो; या ऐसे व्यक्ति के नियंत्रण में किसी ग्रीन जोन के खुले क्षेत्र के भीतर होना चाहिए।**
अन्य प्रमुख बिंदु	• **500 किलोग्राम से अधिक, अधिकतम समग्र भार वाले किसी मानव-रहित विमान प्रणाली के मामले में वायुयान नियम, 1937 के उपबंध लागू होंगे।** • ड्रोन और ड्रोन घटकों के आयात को **विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा विनियमित किया जाएगा।** • किसी भी पंजीकरण या लाइसेंस जारी करने से पूर्व **किसी सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी।** • **रद्द किए गए अनुमोदन:** विशिष्ट प्राधिकरण संख्या, विशिष्ट प्रोटोटाइप पहचान संख्या, अनुरूपता का प्रमाण-पत्र, रखरखाव का प्रमाण-पत्र, आयात मंजूरी, मौजूदा ड्रोन की स्वीकृति, परिचालन परमिट, अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्राधिकार, छात्र रिमोट पायलट लाइसेंस, रिमोट पायलट प्रशिक्षक प्राधिकार, ड्रोन बंदरगाह प्राधिकार आदि। • 'नो परमीशन - नो टेकऑफ' (NPNT), रियल-टाइम ट्रैकिंग बीकन, जियो-फेंसिंग आदि जैसे **सुरक्षात्मक उपायों को भविष्य में अधिसूचित किया जाएगा।** • डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म को व्यापार अनुकूल सिंगल-विंडो ऑनलाइन प्रणाली के रूप में विकसित किया जाएगा। • **उड़ान योग्यता (Airworthiness) प्रमाण-पत्र** जारी करना **भारतीय गुणवत्ता परिषद और इसके द्वारा अधिकृत प्रमाणन निकाय** में निहित होगा।

आगे की राह

- राज्यों द्वारा **ड्रोन के स्वामित्व और उपयोग के संबंध में आवश्यक मानकों की सीमाओं को परिभाषित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया** को लागू करने पर अत्यधिक बल दिया जाना चाहिए।
  - यूरोपीय संघ द्वारा **संयुक्त राष्ट्र-आधारित विधिक ढांचे को प्रोत्साहन प्रदान करने** का भी आग्रह किया गया है। यह ढांचा यह उपबंध करता है कि **सशस्त्र ड्रोन के उपयोग के समय अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधि का अवश्य अनुपालन करना चाहिए।**
- **विनियमन:** ड्रोन के लिए विनियमों को परिभाषित और निर्धारित करने में कुछ प्रारंभिक प्रगति के बावजूद, सरकार को ऐसे कानूनों को बढ़ावा देना चाहिए, जो नवाचार को प्रोत्साहित तथा निजता के उल्लंघन एवं हवाई क्षेत्र के दुरुपयोग को प्रतिबंधित करते हों।
- **मानव-रहित विमान प्रणाली (UAS) नियमों के तहत UAS के वर्गीकरण** को सुधारने पर बल दिया जाना चाहिए। इसमें प्रदर्शन आधारित वर्गीकरण की बजाए भार आधारित वर्गीकरण को प्राथमिकता प्रदान की गई है।

ड्रोन-रोधी तकनीकें, जिनका उपयोग शत्रु ड्रोन्स के विरुद्ध किया जा सकता है

रेडियो जैमर	यह एक स्थिर, चालित या हाथ में पकड़कर उपयोग किया जाने वाला उपकरण है, जो रेडियो आवृत्ति ट्रांसमिट करके आकाश में ड्रोन का पता लगाने और उसे निष्क्रिय (jam) करने लिए रेडार एवं कैमरों के संयोजन का उपयोग करता है।
जी.पी.एस. स्पूफिंग	इस रोधी उपाय (काउंटर–मेजर्स) में ड्रोन द्वारा नेविगेशन के लिए जी.पी.एस. उपग्रहों के साथ किए जा रहे संचार को नए सिग्नल प्रेषित करके प्रतिस्थापित या विकृत कर दिया जाता है।
विद्युतचुंबकीय स्पंदन	इसे संचालित करने पर यह ड्रोन के रेडियो संपर्क में व्यवधान उत्पन्न कर देता है और ड्रोन में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को बाधित या नष्ट भी कर सकता है।
नेट गन्स	नेट कैनन को जमीन से हाथों द्वारा, कंधे पर रखकर या किसी वाहन पर 360 डिग्री घूमने वाले शीर्ष से दागा जा सकता है। इसका उपयोग 20 मीटर से 300 मीटर की सीमा के मध्य ड्रोन को प्रभावी ढंग से कैप्चर (प्रग्रहित) करने के लिए किया जाता है।
उच्च ऊर्जायुक्त लेज़र्स	ये एक उच्च–शक्ति युक्त मानव–रहित हवाई प्रणाली रोधी उपकरण हैं, जो प्रकाश की एक अत्यंत केंद्रित बीम या लेजर बीम उत्सर्जित करके ड्रोन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना को पिघला और बाधित कर सकते हैं।

वीकली फोकस

सुरक्षा

मुद्दे	विवरण	अन्य जानकारी
कृत्रिम बुद्धिमत्ता और राष्ट्रीय सुरक्षा	कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रौद्योगिकी का तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है, जो वाणिज्यिक निवेशकों, रक्षा बुद्धिजीवियों, नीति निर्माताओं और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धियों का समान रूप से ध्यान आकर्षित कर रहा है। हाल ही में, साइबर हमलों में AI के बढ़ते उपयोग और हाइब्रिड युद्ध तकनीकों के विकास जैसे घटनाक्रमों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि AI, राष्ट्रीय सुरक्षा को किस सीमा तक और कैसे प्रभावित कर सकता है। AI चुनौतियों के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कई अवसर भी प्रस्तुत करता है। इस संदर्भ में, भारत के लिए तकनीकी विकास और रक्षा क्षेत्र के एकीकरण के साथ तालमेल बिठाना महत्वपूर्ण हो जाता है।	
भारत की परमाणु नीति	संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण सम्मेलन में भारत द्वारा अपनी **"नो-फर्स्ट-यूज"** नीति की पुनरावृत्ति ने भारत के परमाणु सिद्धांत को सुर्खियों में ला दिया है। इस संदर्भ में, इसके विकास, इसकी वर्तमान रूपरेखा, भारत के लिए इसके महत्व और बदलते तकनीकी और भू-राजनीतिक परिदृश्य में इसकी समीक्षा की आवश्यकता को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है।	
तटीय सुरक्षा: भारत की तैयारियों की स्थिति	26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद भारत में तटीय सुरक्षा के प्रबंधन में आमूल-चूल परिवर्तन आया है। विगत कुछ वर्षों में, भारत के तटों को सुरक्षित करने के प्रयासों में तेजी आई है। लेकिन, क्या वे पर्याप्त हैं? इस दस्तावेज़ का उद्देश्य तटीय सुरक्षा के प्रति भारत के दृष्टिकोण का विश्लेषण करना है क्योंकि यह दृष्टिकोण स्वतंत्रता के बाद विकसित हुआ है। यह इस बात का विश्लेषण भी करता है कि भारत के तट किस प्रकार के खतरों और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और वे कारक कौन-से हैं, जिन्होंने हमारे तटीय सुरक्षा तंत्र के सुचारू और प्रभावी कामकाज में बाधा उत्पन्न की है।	
रक्षा उद्योग का स्वदेशीकरण: आवश्यकता से अवसर तक	भारत जैसे-जैसे अपनी वास्तविक रणनीतिक स्वायत्तता प्राप्त करने की ओर अग्रसर है, उसे व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य और तकनीकी रूप से मजबूत स्वदेशी रक्षा औद्योगिक आधार निर्मित करने के लिए विभिन्न प्रयास करने की आवश्यकता है। स्वदेशी रक्षा विनिर्माण की दिशा में भारत के प्रयासों का विश्लेषण करते हुए, यह दस्तावेज़ इसमें व्याप्त कमियों का परीक्षण करता है और देश में एक अभेद्य सुरक्षा ढांचे के निर्माण के लिए आगे की राह सुझाता है।	

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

FAST TRACK COURSE 2022

GENERAL STUDIES PRELIMS

ARE YOU "PRE" CAUTIOUS?

PURPOSE OF THIS COURSE

The GS Prelims Course is designed to help aspirants prepare for & increase their score in General Studies Paper I. It will not only include discussion of the entire GS Paper I Prelims syllabus but also that of previous years' UPSC papers along with practice & discussion of Vision IAS classroom tests. Our goal is that the aspirants become better test takers and can see a visible improvement in their Prelims score on completion of the course.

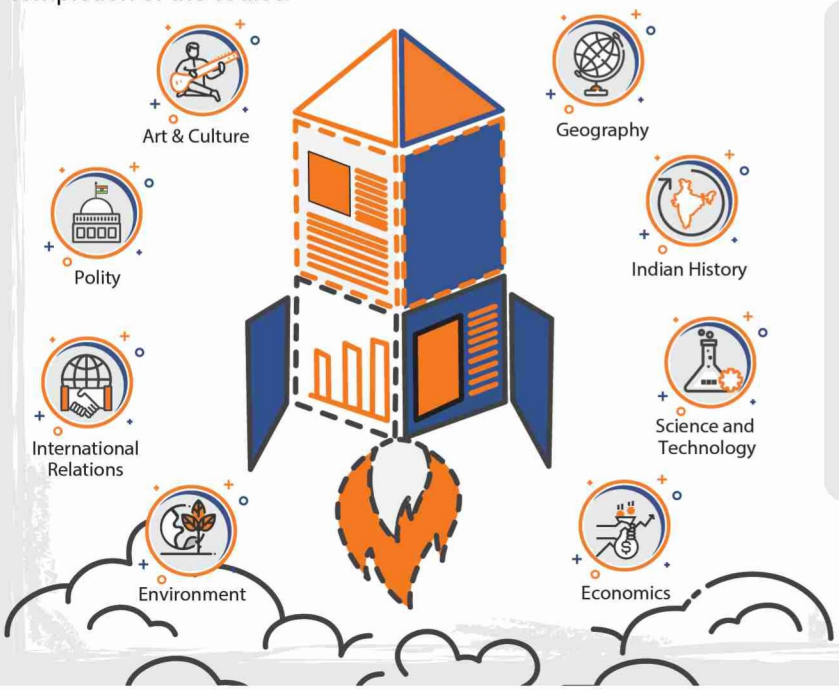

INCLUDES

- Access to recorded live classes at your personal student platform.
- Comprehensive, relevant & updated Soft Copy of the study material for prelims syllabus.
- Access to PT 365 classes
- Sectional mini test and Comprehensive Current Affairs.

COURSE BEGINS	TOTAL NO OF CLASSES
18 JANUARY	60

CSAT कलासेस 2022

ENGLISH MEDIUM
11 January

हिन्दी माध्यम
22 December

लाइव/ऑनलाइन
कक्षाएं भी उपलब्ध

10 IN TOP 10 SELECTIONS IN CSE 2020

from various programs of **Vision Ias**

1 AIR

SHUBHAM KUMAR
(GS FOUNDATION BATCH CLASSROOM STUDENT)

2 AIR

JAGRATI AWASTHI
(ALL INDIA TEST SERIES)

3 AIR

ANKITA JAIN
(ALL INDIA TEST SERIES)

4 AIR

YASH JALUKA
(ABHYAAS TEST SERIES)

5 AIR

MAMTA YADAV
(ALL INDIA TEST SERIES)

6 AIR

MEERA K
(ALL INDIA TEST SERIES)

7 AIR

PRAVEEN KUMAR
(ALL INDIA TEST SERIES, ESSAY TEST, ABHYAAS, PDP)

8 AIR

JIVANI KARTIK NAGJIBHAI
(GS FOUNDATION BATCH CLASSROOM STUDENT)

9 AIR

APALA MISHRA
(ABHYAAS TEST SERIES)

10 AIR

SATYAM GANDHI
(ALL INDIA TEST SERIES, EASSY TEST)

YOU CAN BE NEXT

HEAD OFFICE Apsara Arcade, 1/8-B, 1st Floor, Near Gate 6, Karol Bagh Metro Station
+91 8468022022, +91 9019066066

Mukherjee Nagar Centre
635, Opp. Signature View Apartments, Banda Bahadur Marg, Mukherjee Nagar

DELHI

JAIPUR 9001949244 | **HYDERABAD** 9000104133 | **PUNE** 8007500096 | **AHMEDABAD** 9909447040 | **LUCKNOW** 8468022022 | **CHANDIGARH** 8468022022 | **GUWAHATI** 8468022022

/c/VisionIASdelhi /vision_ias /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC